खण्ड-187, अंक-4
गुरूवार, 14 भाद्रपद, शक संवत् 1879
(5 सितम्बर, 1957 ई0)

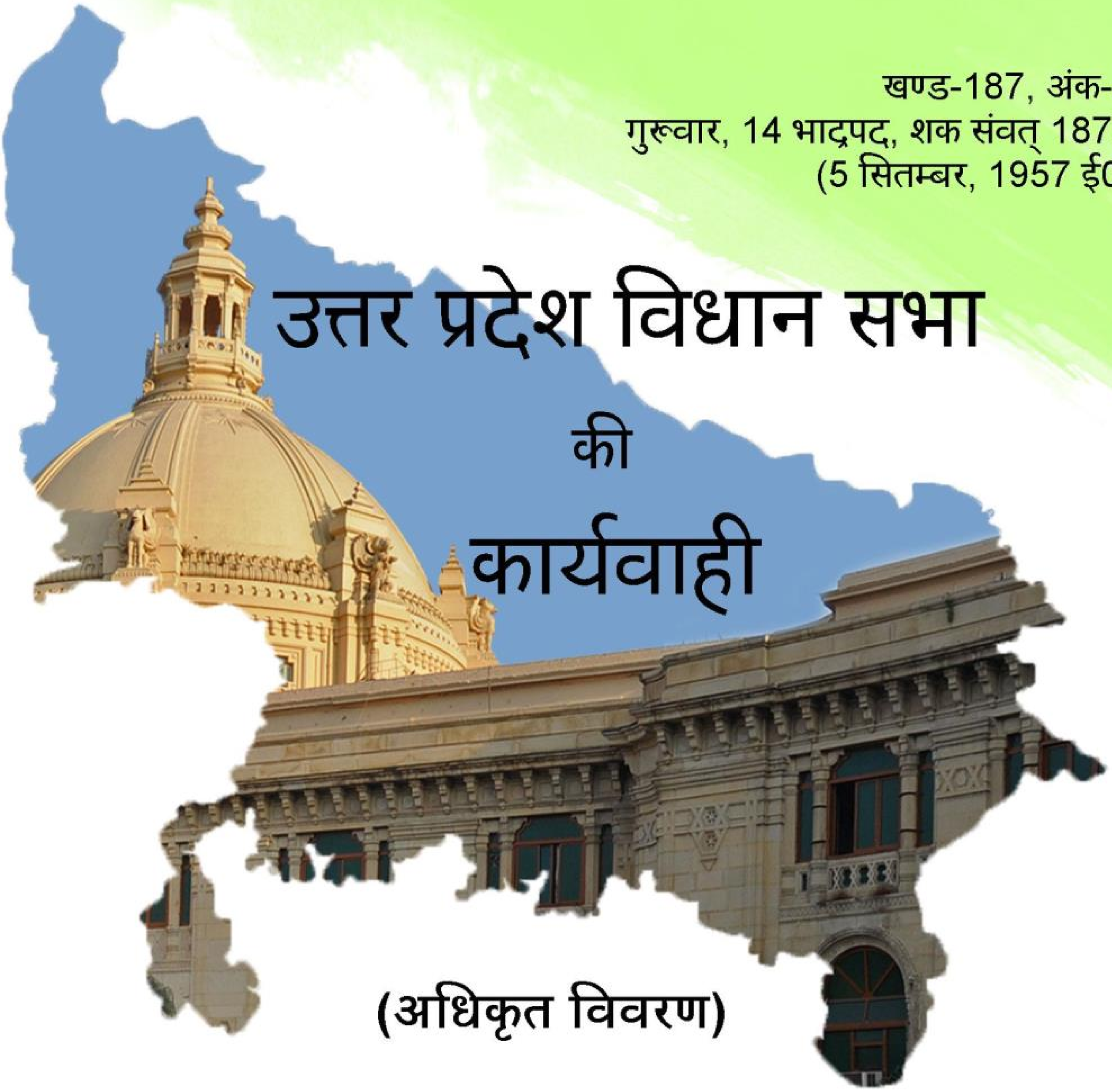

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 187 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ५ सितम्बर, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (३१८)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीजइमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असगर अली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, उपनाम श्री कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरू
कल्याणराय, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीरमणसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूरअली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री

गोविन्दसहाय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
पञ्चरराम, श्री
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री

भगौतीप्रसाद, वर्मा श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोरराव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राज बिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आय, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, तिवारी, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री

रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूर्मसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हिम्मतसिंह, श्री ,
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

माल उपमन्त्री, श्री परमात्मानन्द सिंह भी उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ५ सितम्बर, १९५७ ई०

तारांकित प्रश्न

*१–२—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—[१९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३–४—श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—[३० अगस्त, १९५७ को प्रश्न २३–२४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।)

स्माल सेविंग्स बैंक में धन न जमा करा सकने पर सरकारी कर्मचारियों को दण्ड

*५—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकारी कर्मचारी इस बात के लिये बाध्य है कि वे अपने Duty सम्बन्धी कामों के अतिरिक्त Small Savings Bank में रुपया जमा कराने के लिये जनता में प्रोपेगेन्डा करे और उनसे रुपया जमा करावें ?

नियोजन उपमन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—जी नहीं ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुछ कर्मचारी जो सेविंग्स बैंक के लिये रुपया जमा नहीं कर सके उनको बरखास्त कर दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसकी कोई सूचना तो हमें नहीं है, लेकिन जो आप का मन्तव्य है, उन कर्मचारियों की यह ड्यूटी है कि वे सेविंग्स बैंक के लिये रुपया जमा करें और प्रोपेगेन्डा करें ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार लेखपाल और सेक्रेटरी, जो प्रत्येक गांव-समाज से सम्बन्धित हैं उनके लिये यह आवश्यक समझती है कि व अपन और कामों क साथ स्माल सेविंग्स बैंक के लिये रुपया जमा करें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह तो प्रत्येक गवर्नमेंट सर्वेन्ट के लिये जैसा है वैसा उनके लिये भी है ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पटवारी और लेखपाल यदि इसमें समर्थ न हों तो उन्हें बरखास्त करने की सजा न दी जाय, इस पर सरकार गौर करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसी सजा इसके लिये न दी गई है और न दी जायगी ।

तहसील खैरागढ़ जिला आगरा में चकबन्दी से सम्बन्धित शिकायतें

*६—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिला की खैरागढ़ तहसील के कितने गांवों से चकबन्दी के सम्बन्ध में शिकायत आई हैं ?

माल उपमन्त्री (श्री परमात्मानन्द सिंह)—आगरा जिले की खैरागढ़ तहसील में चकबन्दी के सम्बन्ध में ५३ गांवों से शिकायतें प्राप्त हुईं ।

*७—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—इन शिकायतों में मुख्य मुख्य शिकायतें क्या हैं और सरकार ने उन शिकायतों में से किस-किस शिकायत के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—इन शिकायतों में मुख्य-मुख्य शिकायतें चकबन्दी कर्मचारियों द्वारा रिश्वत ग्रहण करना, भू० लेख की शुद्धि में अनियमितताएं सिद्धान्तों एवं प्रस्तावों के विवरण पत्रों को नियम विरुद्ध बनाना, पेड़ों और कुओं की कीमत कम या बिल्कुल न लगाना तथा गांवों में चकबन्दी योजना लागू न किया जाना है। इन शिकायतों की पूरी-पूरी जांच करने पर विदित हुआ कि बहुत सी शिकायतें निराधार थीं और शिकायत करने वालों को स्वयं उनका ज्ञान नहीं था। जो शिकायतें सही पायी गईं उन्हें नियमानुसार दूर कर दिया गया। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में ३ चकबन्दीकर्त्ता तथा ६ लेखपालों (चकबन्दी) की सेवाएं समाप्त कर दी गयीं। १ चकबन्दीकर्त्ता ने स्वयं त्याग-पत्र दे दिया। २ सहायक चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध जांच जारी है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कितने गांवों में वहां चकबन्दी हो रही है ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—११७ में हो रही है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो शिकायतें आई हैं उनमें गांव के प्रधानों की भी शिकायतें हैं ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—इसका विवरण काफी मौजूद है, यदि माननीय सदस्य दफ्तर में आने की कृपा करें तो वह विवरण उनको दिखाया जा सकता है।

माल मन्त्री (श्री चरणसिंह)—अगर माननीय पालीवाल जी चाहेंगे तो मैं उसे वहीं उनके पास लेकर आ जाऊंगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि रिश्वत के आरोप में कितने लोगों को निकाला गया है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—यह तो अभी प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि कितने आदमी निकाले गये हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बतायेगी कि जांच किस अधिकारी ने की और जांच में क्या उन्होंने गवाहियां लीं ? अगर लीं तो क्या वह रिकार्ड की गयीं ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बतायेगी कि कुल कितनी शिकायतें थीं और उनमें से कितनी सही पाई गयीं ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—इसका भी विवरण इस समय बताने में सदन का अधिक समय लगेगा, इसलिये आप दफ्तर में मालूम कर लें।

*८—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[१९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जिले में टेस्ट वर्क्स, तकावी तथा मुफ्त सहायता

*९—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में जुलाई, १९५७ में किन-किन स्थानों पर टेस्ट वर्क जारी किया गया है ?

श्री चरणसिंह--जिला आजमगढ़ में निम्नलिखित प्रयोग कार्य जुलाई, १९५७ में जारी किये गये--

नाम तहसील	नाम टेस्ट वर्क
लालगंज	१--कम्हरिया-बेलहाडीह
	२--नरसिंहपुर-पल्हना
	३--गोडहरा-अहरौली
	४--जिउली-गोडहरा
फूलपुर	५--मार्टीनगंज-बरदह
	६--मार्टीनगंज-ठेकमां
सदर	७--तहबरपुर-रैसिंहपुर
मुहम्मदाबाद	८--जहानागंज-जहानागंज रोड
घोसी	९--घोसी-दरगाह
सगड़ी	१०--लाटघाट-रौनापार

*१०--श्री विश्राम राय (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५७ में जुलाई तक आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में किन-किन गांवों में तकावी और मुफ्त सहायता बांटी गई है ?

श्री चरणसिंह--जिला आजमगढ़ की प्रत्येक तहसील के उन ग्रामों की संख्या जिनमें सन् १९५७ में जुलाई तक तकावी तथा मुफ्त सहायता बांटी गयी, निम्न है :--

नाम तहसील			ग्रामों की संख्या जिनमें तकावी बांटी गई	ग्रामों की संख्या जिनमें मुफ्त सहायता बांटी गई
सदर	..	..	३६६	३६६
महमूदाबाद	..	..	३६०	३६०
सगड़ी	..	..	२५२	२५२
फूलपुर	..	..	४५५	४५५
घोसी	..	..	२६६	२५९
लालगंज	..	..	१७२	१४२

ग्रामों के नाम कार्यालय में देखे जा सकते हैं ।

*११-१२--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--[१९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१३-१५--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--[१९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

सचिवालय-कर्मचारियों द्वारा सचिवालय पुनस्संगठन के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों पर विचार

*१६--श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या यह सत्य है कि सचिवालय प्रशासन में सुधार करने एवं खर्चे में कमी करने के लिये रि-आर्गेनाइजेशन कमिश्नर सचिवालय के कर्मचारियों से कुछ सुझाव मांगे थे ?

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--जी हां ।

*१७—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या यह सही है कि जिन कर्मचारियों के सुझाव कमिश्नर को अच्छे जान पड़े उन कर्मचारियों को सरकार ने कैश-रिवार्ड प्रदान किये हैं ? यदि हां, तो कुल कितनी रकम इस प्रकार से वितरित की गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। इस प्रकार कुल १,५०० रु० की रकम वितरित की गई।

*१८—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त उत्तम सुझावों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उत्तम सुझाव विचाराधीन हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सुझाव रिआर्गेनाइजेशन कमिश्नर के पास कब पहुंचे थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके लिए सूचना की जरूरत होगी।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन उत्तम सुझावों के सिलसिले में लिखा गया है कि विचाराधीन हैं उनमें मुख्य-मुख्य सुझाव क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी तो रिआर्गेनाइजेशन कमिश्नर के विचाराधीन हैं। गवर्नमेंट के विचाराधीन होने में तो देर है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन सुझावों पर अन्तिम निर्णय कब तक हो जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके लिए कोई तारीख नहीं बतायी जा सकती।

*१९—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—[१९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

गोरखपुर जिले के अन्तर्गत भारत-नैपाल सीमा पर अवैध शराब की बिक्री

*२०—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार को यह पता है कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत भारत-नैपाल सीमा के भारतीय भाग में बाजारों में अवैध शराब की बिक्री खुले-आम होती है और ऐसी एक दुकान का चालान भी गत २ जून को पुलिस की सहायता से एक विधायक द्वारा कराया जा चुका है ? यदि हां, तो ऐसी नाजायज बिक्री रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

परिवहन राज्य मन्त्री (डाक्टर सीताराम)—गोरखपुर जिले के अन्तर्गत भारत-नैपाल सीमा के भारतीय भाग में अवैध शराब की खुले आम बिक्री की सूचना सरकार को नहीं है। यह बात सही है कि २ जून, १९५७ को शराब की अवैध बिक्री की शिकायत मिलने पर एक विधायक द्वारा एक दुकान का चालान कराया गया है, जो लाइसेंस शुदा आबकारी की नहीं हैं।

शराब की नाजायज बिक्री की कोई आम शिकायत नहीं है, अतएव कोई असाधारण कदम सरकार द्वारा उठाये जाने का प्रश्न नहीं उठता। जब कभी नाजायज शराब बनने या बिकने की सूचना मिलती है, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाती है।

पहाड़ी इलाकों की बस दुर्घटनाओं में वृद्धि

*२१--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पहाड़ी इलाकों में विशेषकर बद्रीनाथ के रास्ते पर बार-बार बस दुर्घटनाओं के होने के क्या कारण हैं? और इन दुर्घटनाओं की छानबीन करने के लिये वह कोई जांच आयोग नियुक्त करने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम---मोटर चालकों की असावधानी, शराब पी कर गाड़ी चलाने, मार्ग की खराबी, गाड़ियों के पुराने होने और अचानक बिगड़ जाने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त गेट--समय के विपरीत गाड़ी ले जाने और वर्षा होने से सड़क पर फिसलन हो जाने के कारण भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इस सम्बन्ध में जांच आयोग नियुक्त करने का कोई विचार नहीं है। हां, इन कारणों को दूर करने के लिये आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

प्रदेश में पटवारियों तथा लेखपालों की संख्या

*२२--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त भर में इस समय पटवारियों की संख्या कितनी है और लेखपालों की संख्या क्या है ?

श्री परमात्मानन्दसिंह---पहाड़ी इलाकों में पटवारियों की संख्या २७२ तथा प्रान्त के मैदानी भाग के लेखपालों की संख्या १८,१२६ है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि लेखपालों की नियुक्ति के पहले पटवारियों की कुल कितनी संख्या थी ?

श्री चरणसिंह---२७ हजार ७ सौ के लगभग।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इनमें परिगणित जाति के लोगों की कितनी संख्या थी ?

श्री अध्यक्ष---यह तो बिलकुल नया सा सवाल आ गया। इसमें तो आप पूरी संख्या पटवारियों की पूछ सकते थे। परिगणित जाति का सवाल पैदा नहीं होता।

*२३--श्री लक्ष्मणराव कदम---[वापस लिया गया।]

*२४-२६---श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)---[१९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*२७-२८--श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)---[१९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*२९--श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---[४ अक्तूबर, १९५७ के लिये प्रश्न ५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गोरखपुर जिले के विभिन्न एन० ई० एस० ब्लाक्स की जीप गाड़ियों पर व्यय

*३०--श्री केशव पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के एन०ई०एस० ब्लाक चरगांवा, फरेंदा, बांसगांव के जीप गाड़ियों पर वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में क्या खर्च पड़ा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---उक्त तीन राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों की जीप-गाड़ियों पर, १९५६-५७ में, ४,४६८ रु० ७१ नये पैसे खर्च हुए।

*३१-३२—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—[१९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

अल्प-बचत योजना में जमा धन से अधिक रुपया निकाला जाना

*३३—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष अल्प-बचत योजना द्वारा कितना रुपया जमा हुआ और उसमें से कितना रुपया जमा करने वालों ने निकाल लिया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अल्प-बचत योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में १ अप्रैल, १९५७ से ३१ जुलाई, १९५७ तक पूरे प्रदेश में १२,३४,७०,३६५ रु० जमा हुआ तथा १२,००,०३,४७५ रु० निकाला गया।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इतनी अधिक रकम के निकाले जाने का क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक तो हर साल ऐसा होता है कि अप्रैल से लेकर मई जून तक रुपया ज्यादा निकाला जाता है, क्योंकि शायद विवाह में लाजिमी होता है। हर साल का ऐसा अनुभव है। इस साल एक खास बात यह हुई कि जून के महीने में गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने एक नये प्रकार का सर्टिफिकेट निकाला—नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें और सब चीजों की अपेक्षा कहीं ज्यादा सूद है, ५-४ प्रतिशत। इससे ऊपर किसी और पर सूद नहीं है। यह बारह वर्ष का सर्टिफिकेट है। जहां तक पता चला है बहुत से लोगों ने और चीजों से रुपया विदड्रा किया और बाद में इसमें लगाया या लगायेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अल्प-बचत योजना का रुपया राज्य सरकार के एकाउन्ट में जमा होता है या केन्द्रीय सरकार के ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उसका तो अलग एकाउन्ट होता है। ठीक नहीं जानता कि कहां जमा होता है। जो हम को मिलता है वह मैं जानता हूं।

सचिवालय-कर्मचारियों की मांगें तथा उनका हजामत न बनवाने का निश्चय

*३४—श्री रामचन्द्र विकल—क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि सरकारी सचिवालय के कर्मचारियों ने हजामत न बनवाने का निश्चय हड़ताल के रूप में किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

कुछ समय पूर्व महंगाई भत्ता सप्ताह मनाने के सम्बन्ध में एसोसियेशन की एक नोटिस प्राप्त हुई थी जिसमें १५ से २१ जुलाई, १९५७ तक हजामत न बनवाने के संकल्प का जिक्र था। इस निश्चय के अनुसार कार्य होने की जानकारी सरकार को नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो नोटिस उन्हें प्राप्त हुई उसमें सचिवालय के कर्मचारियों की क्या-क्या मांगें थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांग उसमें एक भी नहीं थी। उसमें ४,५ बातों का निश्चय था कि हम क्या-क्या करेंगे। अगर आप कहें तो वे निश्चय बतला दूं।

श्री अध्यक्ष—हां बतला दीजिये, जिसमें माननीय सदस्य की तकलीफ दूर हो जायगी।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पहली बात तो यह है कि उनका खत हमारे यहां १६ जुलाई को आया जब कि १५ जुलाई से वे उन निश्चयों को कार्यान्वित करने वाले थे। पहला निश्चय यह था कि दफ्तर के जो बन्द होने का ठीक वक्त है उस समय वे चले जायंगे। लीविंग दी आफिस ऐग्जेक्टली ऐट शेड्यूल टाइम आन १५ जुलाई।

दूसरा यह था कि हम दफ्तर के बीच में चाय नहीं पियेंगे और एक सप्ताह तक हजामत नहीं बनवायेंगे ।

तीसरा यह था कि ६ बड़ी-बड़ी मीटिंगें महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में करेंगे और चौथा यह था कि जिस दिन बजट पेश होगा उस दिन अमीनुद्दौला पार्क में एक बड़ी मीटिंग होगी उसमें शरीक होंगे ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो नोटिस उन्हें प्राप्त हुई उसमें उनकी एक मांग यह भी है कि उन्हें भत्ता केन्द्रीय सरकार के मुताबिक दिया जाय । यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उसे यह मानने में क्या कठिनाई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जो उनका खत है वह मैंने पढ़ कर सुना दिया । बाकी मंहगाई वाली बात तो बहुत दिनों से चली आ रही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बतायेगी कि सरकारी सचिवालय के कर्मचारियों का जो सिविल सेक्रेटेरियट ऐसोसियेशन है और जो मिनिस्टीरियल स्टाफ फेडरेशन है उसने इस पत्र के पहले कोई मांग-पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेजा था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां । मैंने निवेदन किया कि मंहगाई भत्ता केन्द्रीय सरकार के बराबर किया जाय यह मांग पहले से चली आ रही है, लेकिन इस खत में मांग का जिक्र नहीं, बल्कि निश्चयों का जिक्र था ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि उनका जो निश्चय था कि होटलों में चाय न पीयेंगे और हजामत न बनायेंगे, तो यह कार्य उन्होंने कितने दिन तक जारी रखा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं किसी रेस्ट्रां में गया नहीं, मुझे मालूम नहीं चाय पी या नहीं, हजामत बनाई या नहीं । मैंने इस दृष्टि से किसी के चेहरे को देखा नहीं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतायेगी कि जिन लोगों ने निश्चय किया था कि हजामत नहीं बनायेंगे उनमें से दाढ़ी रखने वाले कितने थे ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने जवाब में कहा है कि देखा ही नहीं इस उत्तर पर यह प्रश्न उठता नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार से अब भी कोई पत्र-व्यवहार मिनिस्टीरियल स्टाफ की मांगों के सम्बन्ध में चल रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस सम्बन्ध में कोई पत्र-व्यवहार नहीं चल रहा है, लेकिन यह प्रादेशिक सरकार भी और जहां तक मैं समझता हूं दूसरी प्रादेशिक सरकारें भी केन्द्रीय सरकार से बराबर इस बात का पत्र-व्यवहार करती रही हैं कि केन्द्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं और जो प्रादेशिक सरकारों के कर्मचारी हैं एक ही प्रकार का काम करते हैं, एक ही महंगाई की परिस्थिति में रहते हैं और दोनों की तनख्वाह और मंहगाई में बड़ा फर्क है, इसका कोई न कोई उपाय होना चाहिये ताकि इस अन्तर को दूर किया जाय ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे बाद में उनकी हजामत बन गई कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष---वह बात तो गुजर चुकी । अब सभी क्लीन शेव्ड हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि सचिवालय के कर्मचारियों की एसोसियेशन रजिस्टर्ड है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं ठीक नहीं बता सकता, लेकिन जहां तक मुझे खयाल है गवर्नमेन्ट से स्वीकृत जरूर है । रजिस्टर्ड है या नहीं ह यह मुझे नहीं मालूम ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इन कर्मचारियों को अधिक महंगाई भत्ता देने हेतु कोई अतिरिक्त अनुदान मांगे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अनुदान मांगने का सवाल नहीं है और न केवल भत्ते का सवाल है, बल्कि जो भी अन्तर हमारे यहां के कर्मचारियों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में है उसको दूर करने का सवाल है। इस सम्बन्ध में काफी लिखा पढ़ी हुई है और होती रहती है ।

*३५—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—[१८ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बस्ती जिले में चकबन्दी से सम्बन्धित भ्रष्टाचार के आरोप में दण्डित कर्मचारी

*३६—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की चकबंदी योजना से कितने कर्मचारी भ्रष्टाचार के आरोप में पिछले ३ महीनों में निकाले गये हैं ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—बस्ती जिले की चकबंदी योजना में भ्रष्टाचार के आरोप में पिछले ३ महीनों में ५० कर्मचारी निकाले गये तथा २ कर्मचारियों को अपनी पुरानी जगह पर प्रत्यावर्तित किया गया ।

*३७—श्री रामलखन मिश्र—कितनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप की जांच चल रही है ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—इस समय कुल ५ कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप की जांच चल रही है ।

*३८—श्री रामलखन मिश्र—क्या माल मंत्री को यह ज्ञात है कि जितने कर्मचारियों के प्रति S. O. (C) ने निकालने की सिफारिश की उनमें कुछ नहीं निकाले गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—जितने भी कर्मचारियों के प्रति Settlement Officer (consolidation) ने निकालने की सिफारिश की थी वह सब निकाल दिये गये । केवल एक चकबंदी अधिकारी को अपने स्थायी पद पर वापस करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

*३९-४०—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—[१९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

प्रदेश में चकबन्दी कार्य की प्रगति

*४१—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक चकबंदी कहां-कहां और कितने क्षेत्रों की हो चुकी है ?

श्री चरणसिंह—३१ जुलाई, १९५७ तक चकबंदी का कार्य २५ तहसीलों (जिनकी सूची सदन के मेज पर रख दी गई है) के ३,५०३ गांवों में हो चुकी है । इन गांवों का खेतिहर भूमि का क्षेत्रफल (cultivated area) २,०८,२०६ एकड़ है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३२७ पर ।)

फर्रुखाबाद जिले में चकबन्दी तथा गलत इन्दराजों की दुरुस्ती पर व्यय

*४२—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार फर्रुखाबाद जिले में उन ग्रामों की सूची पेश करने की कृपा करेगी जिन ग्रामों में चकबंदी का कार्य पूर्ण होकर कब्जा दिलाया जा चुका है ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है।

*४३—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में चकबंदी क्षेत्र में गलत इन्दराजों की क्या संख्या है और उसकी दुरुस्ती में सरकार को कितना खर्च उठाना पड़ा ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—१,६०,२३४ अशुद्धियां पाई गईं, जिन पर लगभग पूरे खर्चे का एक तिहाई दुरुस्ती कागजात पर लगा।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील में चकबंदी के कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा।

श्री परमात्मानन्दसिंह—समय छः महीने से साल भर तक लग सकता है।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कागजात दुरुस्ती का जो व्यय हुआ वह चकबंदी के खर्चे में शामिल है ?

श्री चरणसिंह—जितना खर्चा हुआ है उसमें से कुछ छोड़ देने का गवर्नमेन्ट का इरादा है। सारा किसानों से वसूल करने का इरादा नहीं है।

श्री होरीलाल यादव—सरकार का इरादा कितने प्रतिशत छोड़ने का है ?

श्री चरणसिंह—अब इस तरह से हिसाब लगा के नहीं बताया जा सकता कि कितने प्रतिशत छोड़ा जायगा।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार इस बात को बताने की कृपा करेगी कि जो खर्चा यह जवाब में दिया गया है कि उसकी अशुद्धियों पर १/३ खर्चा हुआ तो इसको देखते हुये क्या सरकार ३३ परसेंट चकबंदी खर्चे में छोड़ने पर विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह—कहीं खर्चा कम होगा, कहीं ज्यादा होगा, लेकिन गवर्नमेन्ट का इरादा जिस जिले में जितना खर्चा हुआ है उससे नहीं है, बल्कि सारे सूबे में जो खर्चे का औसत पड़ता है उसको वसूल करने का है और उसमें से कुछ खर्चा छोड़ने का भी इरादा है। तो कहीं प्रतिशत कम हो सकता है और कहीं वह प्रतिशत ज्यादा हो सकता है। एक सीलिंग कि इससे ज्यादा हम वसूल नहीं करेंगे, इस मसले पर विचार हो रहा है।

*४४—श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—[१८ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न २७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४५—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—[१९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*४६—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—[१९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*४७-४८—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—[१९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में आग लगने की घटनाएं तथा अग्नि-पीड़ितों की सहायता

*४९--श्री मुक्तिनाथराय--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में मार्च सन् १९५७ ई० से जून सन् १९५७ ई० तक आग लगने की कितनी वारदातें हुई हैं और इस सम्बन्ध में पीड़ित लोगों को कितनी सहायता दी गई ? इसमें जिले की सगड़ी तहसील में कितनी वारदातें हुईं और पीड़ित व्यक्तियों को कितनी सहायता दी गई ?

श्री परमात्मानन्दसिंह--आजमगढ़ जिले में मार्च सन् १९५७ ई० से जून १९५७ ई० तक आग लगने की कुल १०४ वारदातें हुई हैं। ३६ घटनाओं में पीड़ित लोगों को ३६१५ रुपये की सहायता दी गई। इसमें जिले की सगड़ी तहसील में ९ वारदातें हुईं और पीड़ित व्यक्तियों को १,१९५ रुपये की सहायता दी गई ।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सगड़ी तहसील में ९ वारदातें किन-किन ग्रामों में हुईं और उनमें कितने लोगों को क्षति हुई ?

श्री परमात्मानन्दसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री रामदास आर्य--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सहायता उनको कब दी गई ?

श्री परमात्मानन्दसिंह--आग लगने के थोड़े दिन बाद दी गई ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि १,१९५ रुपये कितने लोगों को सहायतार्थ दिया गया ?

श्री परमात्मानन्दसिंह--९ वारदातें बतलाई गई हैं। जन-संख्या मेरे पास नहीं है। अगर आप नोटिस देंगे तो बतला दी जायगी ।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो कुल संख्या ११७ जिले भर में आग लगने की बतलाई गई उनमें ऐसी कितनी घटनायें हैं जिनमें आग लगाई गई और लगाने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री परमात्मानन्दसिंह--१०४ घटनायें हुई, ११७ नहीं और आग लगाने का कोई प्रश्न उठा ही नहीं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन घरों में आग लगी उन लोगों को किस रेट पर सहायता दी गई ?

श्री चरणसिंह--कोई रेट नहीं होता ।

*५०--श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--[१७ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*५१-५२--श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--[३० सितम्बर १९५७ के लिये प्रश्न ४९-५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*५३--श्री झारखंडेराय--[१९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५४--श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)--[१९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५५--श्री गंगाप्रसादसिंह--[१२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

बाराबंकी जिले की भेलसर-रुदौली सड़क के निर्माण में विलम्ब

*५६--श्री मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल (जिला बाराबंकी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले के अन्तर्गत थाना भेलसर से रुदौली जाने वाली सड़क को नियोजन विभाग द्वारा उसके निर्माण हेतु डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बाराबंकी को अनुदान देना निश्चय किया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--प्रगाढ़ विकास खंड रुदौली के बजट से भेलसर-रुदौली सड़क के निर्माण के लिये ३०,००० रु० का अनुदान इस शर्त पर स्वीकृत हुआ कि १५,०००रु० का सहयोग स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त होगा। इस १५,००० रु० में से १०,००० रु० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड व ५,००० रु० नोटीफाइड एरिया रुदौली ने अनुदान देना निश्चय किया है। नोटीफाइड एरिया रुदौली ने ५,००० रु० का भुगतान कर दिया है, परन्तु डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से १०,००० रु० का अनुदान मिलना अभी बाकी है ।

*५७--श्री मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त सड़क का निर्माण कब तक पूरा होगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--सड़क का निर्माण डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अनुदान के मिलते ही प्रारम्भ होगा ।

श्री मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ३० हजार रुपया जो विकास खंड के लिये मंजूर किया गया है वह किस तारीख से मंजूर किया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसकी तारीख की सूचना अगर माननीय सदस्य कहेंगे तो मंगा दी जायगी ।

श्री मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जब स्थानीय संस्थाओं ने १५ हजार रुपया देना मंजूर कर लिया था तो १० हजार रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने अब तक क्यों नहीं दिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसके लिये उनको रिमांइंडर भी गवर्नमेण्ट की तरफ से भेजा गया है कि जल्दी से वे दें ।

ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स द्वारा डायरी लिखना

*५८--श्री धनुषधारी पांडेय--क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स (B. D. O.) नित्य प्रति के कामों की कोई डायरी लिखते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--सरकारी आदेशानुसार ब्लाक डेवलपमेन्ट आफिसर, असिस्टेन्ट डेवलपमेन्ट आफिसर और ग्राम सेवकों को मासिक डायरी रखनी होती है, जिसमें रोजाना काम का ब्योरा होता है ।

श्री धनुषधारी पांडेय--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि एन०ई०एस० के समस्त कर्मचारियों को कब यह आदेश दिया गया कि वे डायरी मेन्टेन करें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह तो जब से खुला होगा तब से है। खास कर दिसम्बर, १९५३ को फिर दोहराया गया ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो मासिक डायरी रखते हैं उसकी कोई जांच भी होती हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जरूर, उनके ऊपर के अधिकारी उसकी जांच करते होंगे ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह बी० डी० ओज० अपनी डायरी को अपने इमीडियेट आफिसर्स को सबमिट करते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---बी० डी० ओ० तो एक तरह से अपने ब्लाक में स्वतंत्र आफिसर है, इसलिये कोई आवश्यकता नहीं होगी, और वह जाता भी कहां है, अपने ही क्षेत्र में रहता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो बी०डी०ओज० डायरी रखते हैं, सरकार ने ऊपर के अफसरों को कोई आदेश दिया है कि वह जांच किया करें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह तो मूल नियम है कि ऊपर का अफसर अपने मातहतों के काम को देखता ही है । यह तो हर एक डिपार्टमेन्ट में होता है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बी०डी० ओज० की डायरी के आधार पर अच्छा काम करने या बुरा काम करने के सम्बन्ध में किसी रिपोर्ट पर सरकार की ओर से कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अभी तक तो सरकार के पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है ।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सरकार की प्लानिंग की रिपोर्ट इस डायरी के आधार पर होती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यहां तो जो कुछ होता है वह प्लानिंग कमेटी के थ्रू आता है और उसकी डायरी तो सिर्फ उसके काम की होती है और किसी चीज का सवाल नहीं है ।

श्री देवनारायण भारतीय---माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि ब्लाक डेवलपमेन्ट आफिसर्स स्वतंत्र हैं, मैं सरकार से यह जानता चाहता हूं कि क्या वे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर के अधीन नहीं हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---क्यों नहीं हैं । यह तो मैंने नहीं कहा । स्वतंत्र के माने यह हैं कि उसको अपने क्षेत्र के अन्दर पूर्ण अधिकार है ।

*५९---श्री धनुषधारी पांडेय---[१७ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*६०---श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---[१९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

जिला हमीरपुर के गांवों में कथित बाढ़

*६१---श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को मालूम है कि इस वर्ष १६,१७ जुलाई को भयंकर वर्षा के कारण जिला हमीरपुर के कई गांवों में भयंकर बाढ़ आ गई है, जिसके फलस्वरूप ग्रामों में बहुत से मकानात गिर गये हैं और खाद्य सामग्री और धन की हानि हुई है ?

श्री चरणसिंह---इस वर्ष १६, १७ जुलाई को हमीरपुर जिले में केवल क्रमशः २९ इंच तथा १.९३ इंच वर्षा हुई । इसके फलस्वरूप जिले में कोई बाढ़ नहीं आई ।

*६२—श्री रामगोपाल गुप्त (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार उन बाढ़-पीड़ित ग्रामों की तफसीलवार हानि की तालिका सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री चरणसिंह—यह प्रश्न नहीं उठता।

*६३—श्री रामगोपाल गुप्त (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने उपरोक्त ग्रामों के पीड़ित लोगों की मदद के लिये कोई प्रबंध किया है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चरणसिंह—यह प्रश्न भी नहीं उठता।

अलीगढ़ जिले की अतरौली तहसील में जंगली बघेरों को मारने के लिए पुलिस की नियुक्ति

*६४—श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार को पता है कि अलीगढ़ जिले की उतरौली तहसील में जंगली जानवर रात को छोटे-छोटे बच्चों को उठा ले जाते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—स्थानीय अधिकारियों के पास जंगली जानवरों द्वारा बच्चों को उठा ले जाने की कोई रिपोर्ट नहीं आई, किन्तु इस तहसील में वर्षा ऋतु के पहिले बघेरें हो गये थे। अब उनकी मांदों में पानी भर जाने से वे तितर बितर हो गये हैं।

*६५—श्री डूंगरसिंह—यदि हां, तो इस खतरे को रोकने के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही हो रही है और उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह प्रश्न, पूंछे गये रूप में, नहीं उठता। फिर भी, स्थिति यह है कि एक हथियार बन्द पुलिस की गारद इस क्षेत्र में नियुक्त कर दी गई है, जिसने ६ बघेरों को नष्ट किया है। इस क्षेत्र के सभी लायसेंसदारों को भी इस विषय में सतर्क कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस तहसील के अन्तर्गत तीनों पुलिस थानों को भी आदेश दे दिये गये हैं कि वे इन जानवरों के उत्पात को रोकते रहें।

श्री डूंगरसिंह—क्या यह सत्य है कि इन जंगली जानवरों के मारने में पुलिस दिलचस्पी नहीं ले रही है और वे देहातियों द्वारा मारे गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हमारी इत्तला तो यह है कि पुलिस ही ने मारे। अब पुलिस में देहात के आदमी जरूर भर्ती होते होंगे। इसलिये यह कह सकते हैं कि वह देहातियों द्वारा मारे गये।

श्री देवनारायण भारतीय—सरकार उन गांवों में जहां पर ये भेड़िये ज्यादातर देखे गये हैं और जहां उन्होंने ज्यादा नुकसान किया है, वहां के मुख्य-मुख्य लोगों को लाइसेंस देने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने तो 'बघेरे' कहा, भेड़िये नहीं कहा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

श्री डूंगरसिंह—क्या इस बात की कोई रिपोर्ट हुई सरकार के पास कि इस क्षेत्र में बघेरे आ गये हैं, जिसके आधार पर पुलिस का इन्तजाम किया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, बघेरे आ गये, इसके लिये इत्तला थी सरकार को, लेकिन किसी के मरने मारने की इत्तला नहीं आयी।

*६६—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—[१९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*६७-६९—श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—[१९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

शिक्षा केन्द्र, बख्शी का तालाब के लिए ए० डी० ओ० पंचायत का चुनाव

*७०—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेशीय शिक्षा केन्द्र बख्शी के तालाब के लिये इस बार कितने ए० डी० ओ० पंचायत की छांट की गई थी और कितनों के स्थान खाली रह गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—११८ शिक्षार्थी चुने गये थे, जिनमें से कुल ७६ भर्ती हुए तथा ३२ स्थान खाली रह गये ।

*७१—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या नियोजन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जो स्थान खाली रह गये हैं उनकी पूर्ति के लिये भर्ती का कब तक अवसर और दिया गया है और उनकी भर्ती का क्रम क्या रखा गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—दूसरा चुनाव किया जायगा, जिसके लिये अभी समय निर्धारित नहीं हुआ है । भर्ती के क्रम का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस केन्द्र के आरम्भ होते ही फ्लू के कारण एक अगस्त तक के लिये इसको स्थगित कर दिया गया ? यदि हां, तो उसके यहां के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये क्या यत्न हुआ और उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—प्रश्न इतना ही है कि इतने आदमी आये ही नहीं । मुझे पता नहीं कि यह कब बंद हुआ और क्या असर पड़ा, लेकिन यह लोग ज्वाइन नहीं किये केवल ७६ आदमी आये ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—इसी टर्म में जो खाली जगह रह गई हैं उनकी पूर्ति का कब तक अवसर मिल सकेगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसके लिये तो नया चुनाव होगा और नई भर्ती होगी ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसका सेलेक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन से होता है या सरकार करती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—पब्लिक सर्विस कमीशन से नहीं होता है ।

*७२—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—[२५ सितम्बर १९५७ के लिये प्रश्न २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*७३—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—[१५ अक्तूबर, १९५७ के लिये प्रश्न ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

मरदह (गाजीपुर) में रोडवेज का बुकिंग आफिस खोलने की स्वीकृति

*७४—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मरदह (गाजीपुर) में रोडवेज विभाग के बुकिंग आफिस की स्वीकृति हो गई है और इसके लिये मकान निश्चित करके उस मकान का किराया दिया जा रहा है ?

डाक्टर सीताराम—जनरल मैनेजर, गोरखपुर को मरदह (गाजीपुर) में बुकिंग आफिस खोलने के लिये आदेश दिये जा चुके हैं, परन्तु इसके लिये अभी न कोई मकान निश्चित हुआ है और न किराया ही दिया जा रहा है ।

*७५—श्री यमुनासिंह (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि उपरोक्त बुकिंग आफिस में अब तक बुकिंग क्लर्क की नियुक्ति नहीं हुई है ? अगर उत्तर हां, में है, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—बुकिंग क्लर्क की नियुक्ति अभी नहीं हुई है। जब तक बुकिंग आफिस नहीं खुलता है, बुकिंग क्लर्क की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

मऊ-गाजीपुर सड़क पर डिजिल आयल की गाड़ियां चलाने पर विचार

*७६—श्री यमुनासिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मऊ-गाजीपुर सड़क पर डिजिल आयल की गाड़ियां चलाने के प्रश्न पर वह विचार कर रही है ? अगर हां, तो कब तक ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, मऊ-गाजीपुर सड़क पर डिजिल बसें चलाने का प्रश्न विचाराधीन है। यह बसें कब से चलेंगी, अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता।

*७७—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—[१९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

पुलिस के सुपरिण्टेण्डेण्टों व डिप्टी सुपिरण्टेण्डेण्टों की तनज्जुली

*७८—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदश में १९५२ स अब तक कितने एस० पी० या डी० एस० पी० अपने पद से तनज्जुल किय गये हैं या बरखास्त किये गये हैं और कितनों ने स्वयं इस्तीफा दिया है और कितनों से सरकार ने इस्तीफा दिलवाया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द —

	एस० पी०	डी० एस० पी०
तनज्जुल किये गये	४	३
बरख्वास्त किये गये	—	३
स्वयं इस्तीफा दिया	१	—

सरकार ने किसी से भी इस्तीफा नहीं दिलवाया है।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५२ से अब तक ४ एस० पी० और ३ डी० एस० पी० जो तनज्जुल किये गये हैं तो वह पद से तनज्जुल किये गये हैं या बतन में किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पद से।

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो तनज्जुल किये गये हैं वह किन-किन जिलों के हैं और किन अपराधों में किये गये हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बी सूची होगी, क्योंकि कई अपराध होत ह.....

श्री अध्यक्ष—जिले बता दीजिये चार ही तो हैं, अपराधों के प्रश्न को छोड़ दीजिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस समय मेरे पास जिलों की सूची नहीं है, तारीख की सूची है।

भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो डी० एस० पी० तनज्जुल किये गये हैं उन पर कोर्ट में मुकद्दमा चला था या सरकार ने कर दिया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर कोर्ट में मुकदमा चलता तो फिर तनज्जुली नहीं होती बल्कि जल जाते ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार इन चार सुपरिटेंडेंट्स आफ पुलिस और ३ डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स आफ पुलिस के नाम बतलाने की कृपा करेगी जिनकी तनज्जुली की गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—नाम बताना तो बहुत अच्छा नहीं मालूम होता, लेकिन अगर आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष—आप यह कह सकते हैं कि नाम बताना उचित नहीं है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जब तक माननीय सदस्य को कोई खास दिलचस्पी किसी के बारे में न हो तब तक मैं नाम बताना अच्छा नहीं समझता ।

*७९-८०—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—[१९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

ग्राम समाज धधुवा गाजन, जिला प्रतापगढ़ के प्रधान द्वारा किसानों के पेड़ों की नीलामी

*८१—श्रीमती अमोला देवी (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करगी कि ग्राम समाज धधुवा-गाजन, तहसील कुन्डा, जिला प्रतापगढ़ के प्रधान ने किसानों के खेत के पेड़ नीलाम कर दिये हैं ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—जी हां ।

*८२—श्रीमती अमोला देवी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पेड़ कितनी कीमत पर नीलाम हुए हैं और कुल पेड़ों की संख्या क्या है ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—पेड़ ११ रु० ८ आना में नीलाम हुए थे और उनकी संख्या २३ है ।

श्रीमती अमोला देवी—क्या सरकार यह बतायेगी कि यह जायज है या नाजायज ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—सरकार की दृष्टि में जो कार्यवाही हुई वह गलत हुई ।

श्री देवनारायण भारतीय—जब सरकार इस कार्यवाही को गलत समझती है तो उसको ठीक करने के लिये उसने क्या स्टेप्स लिये ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—जो रुपया जमा है वह उन काश्तकारों को दे दिया जायगा और गांव-सभा के प्रेसीडेंट को यह हिदायत कर दी गयी है कि आइन्दा ऐसी कार्यवाही न करें ।

पट्टी तल्ला सालम जिला अल्मोड़ा में पेय जल की व्यवस्था

*८३—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पट्टी तल्ला सालम, जिला अल्मोड़ा में पेय जल हतु नलकूप योजना के अन्तर्गत ग्राम पुमाऊ को कोई अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो कितना और किस सन् में ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न को सूचना मानते हुये भविष्य में इस पेय-जल योजना के लिये कोई अनुदान देने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वहां कुएं की योजना तो हो नहीं सकती, लेकिन नाले वगैरह के सुधार के लिये एक गांव को ३०० रुपये और एक को ४०० रुपये दिये जा चुके हैं।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, मैंने कुआं नहीं कहा। वहां जो पेय-जल योजना है, जो नालियों से पानी लाया जा रहा है उसके लिये क्या सरकार कोई अनुदान देने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आपने नलकूप योजना के अन्तर्गत सवाल पूछा था, इसलिये उन्होंने यह जबाव दिया।

हाकिम तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के इजलास में मुकदमे फैसल होने में विलम्ब के कारण

*८४—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हाकिम, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद की इजलास में कितने मामले ऐसे हैं जो १ जून, सन् १९५७ तक पिछले तीन वर्ष से चल रहे हैं ? इन मामलों में इतना विलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह—ऐसे १२ मुकदमें हैं। विलम्ब के निम्नलिखित कारण हैं—

(१) हाकिम तहसील के पास प्रशासकीय कार्य अधिक होने के कारण समय का अभाव।
(२) हाईकोर्ट द्वारा स्थगन आदेश जारी होना।
(३) नोटिस की तामील असंतोषजनक होना।
(४) मिसलों का दीवानी की अदालतों में तलब होना।

बाढ़ और अतिवृष्टि ग्रस्त गाजीपुर जिले को सरकारी सहायता

*८५—श्री यमुनासिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में गत बाढ़ और अतिवृष्टि से मंगई, वेसो, भेसही और टोंस नदियों के किनारे के कौन-कौन से ग्राम ध्वस्त हो गये हैं ?

श्री चरणसिंह—प्रभावित ग्रामों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३२८–३२९ पर।)

*८६—श्री यमुना सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त ग्रामों को क्या-क्या राजकीय सहायता अब तक प्राप्त हो चुकी है ?

श्री चरणसिंह—प्रश्न ८५ के उत्तर में दिये गये ग्रामों को गत बाढ़ के सम्बन्ध में निम्नलिखित सहायता सरकार द्वारा दी गई—

	रु०
तकावी	३,६०,९००
हरिजन को सहायता	२६,०२०
मकानों को बनाने के लिये सहायता	६१,०८०

इसके अतिरिक्त १८,२४२ मन अनाज, १५,४५९ गज कपड़ा, दियासलाई के बक्स, मिट्टी का तेल, गुड़, कम्बल, नमक, सिले हुए कपड़े तथा अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। जिन ग्रामों में ६ आना से १६ आना तक फसल को हानि हुई है उनके मालगुजारी में छूट भी दी गई। इन ग्रामों की भूमि ऊंची करने का कार्य तथा इन ग्रामों को मिलाने वाली सड़कों को ऊंचा करने का कार्य भी सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है।

*८७—श्री यमुनासिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गाजीपुर जिले के कितने गत वर्ष की बाढ़ तथा अतिवृष्टि से प्रभावित ग्रामों के प्रार्थना-पत्र जिलाधीश महोदय के यहां आये हैं, जो पुरानी नीची बस्ती को छोड़कर ऊंची जमीन पर बसना चाहते हैं ?

श्री चरणसिंह—ऐसे तीन प्रार्थना-पत्र जिलाधीश के पास आये हैं ।

गोरखपुर जिले में छाया खण्डों का एन० ई० एस० ब्लाक्स में परिवर्तन

*८८—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गोरखपुर जिले में कुल कितने छाया खंड स्वीकृत हुये हैं और उनमें कौन-कौन सा खंड इस वर्ष N. E. S. ब्लाक में परिवर्तित होगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जो ब्लाक खुल चुके हैं उनके अलावा गोरखपुर जिला २१ छाया खण्डों में बटा हुआ है । आशा है कि इस वर्ष इनमें से दो ब्लाक बरहलगंज और पनियारा को राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड बना दिया जायगा ।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह छाया खण्ड किसकी सिफारिश पर एन० ई० एस० ब्लाक बनाये जाते हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की सिफारिश पर ।

गोरखपुर नियोजन समिति को प्रदेशीय तथा केन्द्रीय सहायता तथा धन का व्यय

*८९—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर नियोजन समिति को सन् १९५५–५६ तथा १९५६–५७ में कुल कितना धन विकास कार्यों के लिये प्रदेशीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार से अलग-अलग मदों के लिये खर्च करने को मिला था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३३०–३३२ पर।)

*९०—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि कुल स्वीकृत धन विभिन्न मदों में समयानुसार खर्च हुआ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—विभिन्न मदों में स्वीकृत धन का व्यय जिला नियोजन समिति की मंजूरी के मुताबिक उनके निर्धारित समय के अनुसार होता है ।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सूची उन्होंने दी है उसमें स्वीकृत धनराशि ६०,००० रुपये सन् १९५५–५६ में मन्जूर की गयी थी जिसमें से १ जुलाई, १९५७ तक १६,८०६ रुपया खर्च हो पाया है, तो शेष धन किन कारणों से खर्च नहीं हो पाया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—एक तो इस अनुदान की उनको देर में सूचना मिली क्योंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया से भी इसकी स्वीकृति आती है इसलिये जनवरी के अन्त तक उनको सूचना पहुंची । तो ३१ मार्च तक सब रुपया खर्च कर देना मुमकिन नहीं था । दूसरी बात यह थी कि उस वक्त पंचायतराज के एलक्शन्स हो रहे थे और जितने हमारे ब्लाक्स के कर्मचारी थे व सब चुनाव में बड़े व्यस्त रहे ।

सिवहारा शुगर मिल के गन्दे पानी से फसल की हानि

*९१—श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि क्या यह सही है कि सिवहारा शुगर मिल का गन्दा पानी निकलने से ७ मौजे (१) मढौरा, (२) मढौरी, (३) रसूलपुर, (४) कल्यानपुर, (५) खलीलपुर, (६) श्यामाबाद, (७) मिजीपुर की लगभग ६०० बीघा फसल बरबाद होने की शिकायत पिछले दो वर्षों में सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरणसिंह—इस बात की पहली शिकायत जिलाधिकारियों को २ नवम्बर, १९५६ को मिली कि सिवहारा चीनी मिल के गन्दे पानी से आस-पास के गांवों की फसल को नुकसान पहुंचता है। इसकी जांच की गई जिससे पता चलता है कि मिल के गन्दे पानी से कुछ नुकसान खेतों को अवश्य पहुंचता है। मिल के अधिकारियों को कहा गया है कि वे गन्दे पानी की नाली को शीघ्र सुधार दें जिससे कि यह नुकसान न हो। नुकसान का कारण यह भी है कि किसान स्वयं ही नाली को काट कर सींचने के लिये पानी लेते हैं फिर उसे बन्द नहीं करते।

*९२—श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)—जिस जमीन में फसल की बरबादी हुई है उसकी मालगुजारी वसूल की गई है या नहीं ?

श्री चरणसिंह—मालगुजारी वसूल की जा रही है, क्योंकि मालगुजारी में छूट केवल प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि की दशा में ही दी जा सकती है। मिल के पानी से हुई हानि का मुआविजा किसान चाहें तो मिल मालिकों से तलब कर सकते हैं और उसके लिये कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं।

इलाहाबाद जिले की क्षतिग्रस्त तहसीलों में मालगुजारी की छूट के लिए सिफारिश

*९३—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में कौन-कौन तहसीलों से फसल खराब होने के समाचार सरकार के पास आये हैं ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—इलाहाबाद जिले की सभी तहसीलों से फसल खराब होने के समाचार सरकार को प्राप्त हुए हैं।

श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि किन-किन तहसीलों में कौन-कौन सी सुविधा किस-किस रूप में सरकार ने दी ?

श्री चरणसिंह—नियम के अनुसार उनकी मालगुजारी माफ की जायगी।

श्री सुरथबहादुर शाह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह किस हद तक नुकसान हुआ है ? क्या इसकी जांच कराने की उन्होंने कृपा की है ?

श्री चरणसिंह—जी हां, रेवेन्यू मैनुअल के नियम के अनुसार जांच हो चुकी है और उनकी सिफारिशें भी वहां पर कुछ करने के लिये आ चुकी हैं। कुछ गांवों में ६ आने से ८ आने तक नुकसान हुआ और कुछ में ८ आने से ऊपर हुआ है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वहां कितनी तकावी दी गई और कितने लगान की छूट दी गई ?

श्री चरणसिंह—तकावी तो मालूम नहीं है क्योंकि उसकी तहकीकात मैंने नहीं की और फसल जब खराब हो जाती है तो यह लाजमी नहीं है कि हर गांव में, हर मामले में तकावी दी जाय। मालगुजारी की माफी की सिफारिश वहां से आई है। ३०,००,००० रुपये की मालगुजारी थी उसमें से १२,००,००० की सिफारिश उन्होंने भेजी है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने उसको मंजूर नहीं किया।

श्री सुरथबहादुर शाह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब नुकसान आठ आने से कम है तो सरकार किस प्रकार से छूट देने का विचार कर रही है?

श्री अध्यक्ष—यह तो बता दिया है कि आठ आने के बाद ही छूट दी जाती है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह नुकसान किन कारणों से हुआ? क्या इसकी जांच उसने करायी है?

श्री चरणसिंह—वर्षा से और और प्राकृतिक आपदाओं के कारण।

इलाहाबाद जिले की सोरांव तहसील में चकबन्दी का कार्य

*९४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में कौन-कौन तहसीलों में चकबन्दी का कार्य शुरू कर दिया गया है?

श्री परमात्मानन्दसिंह—इलाहाबाद जिले की तहसील सोरांव में नवम्बर, १९५५ से चकबन्दी का कार्य शुरू कर दिया गया है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि चकबन्दी के सिलसिले में कितने आदमी इस समय वहां काम कर रहे हैं?

श्री परमात्मानन्दसिंह—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि वहां के काश्तकारों ने वहां के अधिकारियों के विरुद्ध सरकार के पास पक्षपात करने और घूस लेने की शिकायत भेजी है?

श्री चरणसिंह—जहां तक मुझको याद पड़ता है इलाहाबाद से एक भी शिकायत मेरे पास नहीं आयी है।

प्रदेश में सरकारी तथा असरकारी व्यायामशालायें

*९५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में कितनी व्यायामशालायें ऐसी हैं जो सरकार की ओर से चलायी जाती हैं और कितनी ऐसी हैं जिन्हें सरकारी सहायता मिलती है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—प्रदेश में सरकार की ओर से ३० व्यायामशालायें चलाई जाती हैं तथा २१ व्यायामशालाओं को समय-समय पर राज्य की ओर से आर्थिक सहायता दी गई है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कुश्ती आदि लड़ने के अखाड़े और पैरेलल बार के अंग्रेजी तरीके के व्यायाम के अखाड़े अलग-अलग सरकार ने खोल रखे हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—हिन्दुस्तानी ढंग की अलग-अलग व्यायामशालायें सरकार ने खोल रखी हैं जिनमें कुश्ती, मुग्दर, लाठी आदि चलाने का काम सिखाया जाता है। वह व्यायामशालायें अंग्रेजी ढंग के अखाड़े का भी काम करें तो सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार ने पहलवानों को इनको ट्रेनिंग देने के लिये एन्गेज कर रखा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो अखाड़े खोले गये हैं उनमें शिक्षा देने वाले सरकार की ओर से पेड व्यक्ति रखे गये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह अखाड़े नहीं व्यायामशालायें हैं। इनमें हर प्रकार के व्यायाम होते हैं और सरकार की तरफ से जहां-जहां व्यायाम की शिक्षा होती है उसके लिये शिक्षक हैं ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन २१ व्यायामशालाओं को कुल कितना अनुदान दिया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह २१ व्यायामशालायें तो सरकार की हैं और जो बाकी व्यायामशालायें हैं उनको अनुदान दिया जाता है । उनको कितना अनुदान दिया जाता है इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अधिक से अधिक कितनी सहायता दी गयी और कम से कम कितनी सहायता दी गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बतलायेगी कि यह व्यायामशालायें किस विभाग के अधीन कार्य करती हैं ?

श्री अध्यक्ष---मुख्य मंत्री जी इसका जवाब दे रहे हैं इससे आपको समझ लेना चाहिये ।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि मल्ल युद्ध सिखाने के लिये कुछ पहलवानों की नियुक्ति भी आइन्दा होने वाली है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन मेरा खयाल है कि होना चाहिये और इस वर्ष जब मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने इस बात पर जोर दिया है कि दुर्भाग्य से भारतीय व्यायाम के ढंग की तरफ कम ध्यान दिया गया है । इस साल खासतौर से रुपया भी हम दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि थोड़े दिनों में भारतीय ढंग की कुश्ती वगैरह को भी काफी प्रोत्साहन मिलेगा ।

श्री सुरथबहादुर शाह---क्या सरकार इन व्यायामशालाओं में बाक्सिंग की ट्रेनिंग देती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अभी तक तो शायद नहीं है । इस विषय में थोड़ा मतभेद भी है, कुछ लोग समझते हैं कि अंग्रेजी ढंग की बाक्सिंग अच्छी है । मेरा निजी खयाल है कि भारतीय ढंग की बाक्सिंग अच्छी है । हम इस पर विचार कर रहे हैं ।

श्री सुरथबहादुर शाह---क्या सरकार इस सदन के भी कुछ पहलवानों को उसमें नियुक्त करने का विचार रखती है ?

(उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार देश के नौजवानों के स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रत्येक ब्लाक में एक-एक अखाड़ा बनाने पर विचार करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अखाड़े हमारे प्रदेश में अभी भी गांवों में भी और जिलों में भी बहुत से हैं, सरकार अपनी तरफ से अखाड़े खोले, इसकी अपेक्षा यह ज्यादा अच्छा है कि जो अखाड़े चल रहे हैं उनको सरकार की ओर से सहायता दी जाय।

श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)---क्या सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में व्यायामशाला खोलने का विचार करती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने अभी उत्तर दे दिया है ।

ग्राम मोलनापुर, जिला आजमगढ़ की घाघरा द्वारा कटी भूमि की पुनः जुताई में कठिनाई

*९६--श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के ग्राम मोलनापुर की कितनी एकड़ भूमि सन् १९३८ से १९५६ तक घाघरा नदी के कटाव के कारण कट कर नदी के पेटे में चली गई है?

श्री परमात्मानन्द सिंह---मोलनापुर ग्राम स्थाई बन्दोबस्ती ग्राम है। इस कारण इस ग्राम के क्षेत्रफल में १९३८ ई० से १९५२ ई० तक (जबकि जमींदारी विनाश की गई) के कागजातों में कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता है। जमींदारी विनाश के पश्चात् १९५६ ई० तक इस ग्राम की १९१२·५३२ एकड़ भूमि कट कर नदी के पेट में चली गई।

*९७--श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कटी हुई भूमि को खेती लायक हो जाने के बाद भूतपूर्व काश्तकार जोतने नहीं पा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों ?

श्री परमात्मानन्दसिंह---ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस गांव का कुल रकबा कितना है ?

श्री परमात्मानन्दसिंह---५,००० एकड़ के लगभग है। ठीक तादाद ढूंढने में दो एक मिनट का समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष---५,००० एकड़ के करीब आपने बता दिया, यह जवाब काफी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---जिन लोगों के खेत नदी में कट गये हैं उनके जीवनयापन के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री परमात्मानन्दसिंह---नोटिस की आवश्यकता है।

श्री उग्रसेन---क्या जो जमीन कट गई है उस पर मालगुजारी भी ली जाती है ?

श्री परमात्मानन्दसिंह---उस जमीन की मालगुजारी नहीं ली जाती है, लेकिन जब उसका इल्म हो जाता है और जांच हो जाती है उसके बाद।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उस जमीन को जो फिर से पड़ी है गांव समाज के प्रधान ने दूसरे लोगों को असामी के तौर पर उठा दिया है ?

श्री चरणसिंह---गवर्नमेन्ट को मालूम नहीं है कि भूतपूर्व काश्तकार अपनी जमीन नहीं ले पा रहे हैं। इसलिये दूसरे सवाल का जवाब कैसे दिया जा सकता है ?

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह व्यवस्था करेगी कि जो भूमि अब नदी से निकल आई है वह उन्हीं काश्तकारों को दी जाय जो कटने से पहले उसके मालिक थे ?

श्री चरणसिंह—इस सिलसिले में विस्तार के साथ नियम रेवेन्यू मैनुअल में बने हुये हैं और प्रिवी काउन्सिल की नजायर भी हैं। उनके मुताबिक काम होता है। अगर जमीन इस तरह से कटती है कि धीरे-धीरे किसी के खेत में मिल जाती है और आइडेन्टीफायेबिल और रिकगनाइजेबिल नहीं होती, तो फिर जिसके खेत में वह मिलती है उसी की है। अगर दरिया एकदम मोड़ खाता है और पुरानी जमीन आइडेन्टीफाइ की जा सकती है तो वह पुराने किसान की होती है। जिस किसान को शिकायत होती हो वह अदालत में जाकर दावा दायर करे। हर चीज गवर्नमेन्ट अपने आदेश से नहीं कर सकती है।

आजमगढ़ जिले में रबी तथा खरीफ की फसलों की मालगुजारी की मुआफी

*९८—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सन् १९५६ की खरीफ की फसल की मालगुजारी में प्रत्येक तहसील में अलग-अलग कितने-कितने रुपये की मुआफी हुई थी ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—आजमगढ़ जिले में छूट दी जाने वाली खरीफ की मालगुजारी की वसूली स्थगित है। छूट देने के सम्बन्ध में जिलाधीश के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हो गये हैं, परन्तु कुछ प्रश्नों पर स्पष्टीकरण के लिये अभी जिलाधीश से लिखा-पढ़ी की जा रही है।

*९९—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ४ मई, सन् १९५७ के रबी की मालगुजारी में चार आने मुआफी करने के आदेशानुसार प्रत्येक तहसील में कितने-कितने रुपये की छूट होगी ?

श्री चरणसिंह—४ मई, सन् १९५७ के शासकीय आदेशानुसार रुपये में ४ आने की छूट केवल उन गांवों में दी जायगी जिनमें हानि रुपये में ६ आने और ८ आने के बीच में हुई तथा जहां पिछली खरीफ में बाढ़ से क्षति हुई थी। इस सम्बन्ध में अभी तक जिलाधीश के अंतिम प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुये हैं।

*१००—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील से ४ मई, सन् १९५७ तक बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों से रबी की कितनी मालगुजारी वसूल की जा चुकी है ?

श्री चरणसिंह—४ मई, १९५७ तक वसूल की गई मालगुजारी का ब्योरा इस प्रकार है:

नाम तहसील	धनराशि मालगुजारी रुपया
१—सदर	२४,३६८
२—फूलपुर	६८,७२०
३—लालगंज	१२,८०१
४—सगरी	११,९४९
५—घोसी	४४,४५०
६—मुहम्मदाबाद	३७,३२७
योग ..	१,९९,६१५

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुल खरीफ की कितनी मालगुजारी स्थगित की गई है ?

श्री चरणसिंह---नोटिस की आवश्यकता होगी, लेकिन खरीफ की मालगुजारी ११ लाख से अधिक माफ की गई है ।

अतारांकित प्रश्न

१-२---श्री भुवनशभूषण शर्मा---[१९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

३-५---श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---[१९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

कानपुर जिले के राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डों पर व्यय

६---श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६-५७ के वर्ष में मार्च तक सरकार ने राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड पर कितनी धनराशि कानपुर जिले में व्यय की है और चालू वर्ष तथा आगामी वर्ष में इस मद में कुल कितना व्यय होना है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कानपुर के राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों पर सन् १९५६-५७ में १,७९,५३८ रुपया खर्च हुआ । इन ब्लाकों पर १९५७-५८ में ४,९१,५५० रुपया और १९५८-५९ में १०,७६,५३५ रुपया व्यय होने का अनुमान लगाया गया है ।

देवरिया जिलान्तर्गत सलेमपुर तहसील में भुखमरी से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास श्री उग्रसेन ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है जिसमें वह कहते हैं कि---

"देवरिया जिलान्तर्गत सलेमपुर तहसील के मरहवा ग्राम के रामधनी गोंड़ पुत्र दुखी के गत दिनांक २३ अगस्त, १९५७ को भूख ज्वाला से तड़प-तड़प कर मरने के कारण समूचे जनपद के साढ़े बाइस लाख लोगों का जीवन संकटापन्न स्थिति में है और सलेमपुर तहसील में व्यापक पैमाने पर भुखमरी प्रारम्भ हो गयी है । सरकारी सहायता नगण्य है । अतः विधान सभा आज की कार्यवाही, इस विषय पर विचार हेतु स्थगित करती है ।"

क्या माननीय अन्न मंत्री जी को इस विषय में कुछ सूचना है ?

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)---मेरे पास तो आज सुबह ही यह पहुंचा है ।

श्री अध्यक्ष---मैं कामरोको प्रस्ताव तो स्वीकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें जो हुई घटना के बारे में आप सूचना मंगा लीजिये ।

श्री सैयद अली जहीर---मंगा लूंगा ।

श्री अध्यक्ष---यह एक साधारण सी बात है । एक अखबार में छपी है । इसके साथ ही साथ आपने एक सभापति के पत्र की नकल भी अटेस्ट की है, इसलिये मैं इसको निश्चित नहीं मानता । अनिश्चित मानकर इसको मैं नहीं ले रहा हूं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मेरे पास गांव के सभापति ने लिख कर भेजा है ।

श्री अध्यक्ष---इसीलिये तो वे आपको जांच करके सूचना देंगे ।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई, सदस्य विधान सभा की सजायाबी के बारे में सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास एक सूचना अंग्रेजी में आयी है। मैं उसका अनुवाद करके सुना देता हूं। यह पत्र श्री जे० पी० चतुर्वेदी अस्थायी सिविल ऐंड सेशंस जज, मुरादाबाद की तरफ से आया है। वह लिखते हैं---

"मुझे आपको यह सूचित करना है कि गोवध अधिनियम की धारा ८ के अन्तर्गत अपील सम्बन्धी शक्ति का प्रयोग करने पर मैंने अपना यह कर्त्तव्य समझा कि यह निदेश करूं कि श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई, सदस्य विधान सभा, गिरफ्तार किये जायं, क्योंकि मैंने आज दिनांक ३ सितम्बर, १९५७ को उनकी उस अपील को अस्वीकार कर दिया जो उन्होंने श्री रंजीत सिंह, सिटी मैजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक २४ दिसम्बर, १९५६ पर किया था जिसके द्वारा उन पर अभियोग लगाकर १८ मास के कठोर कारावास तथा १०० रुपये के जुर्माने अथवा जुरमाना न अदा किये जाने की दशा में ३ मास के अतिरिक्त कठोर कारावास का दंड दिया गया था। तदनुसार श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई, सदस्य विधान सभा, ३ सितम्बर, १९५७ को ११ बजकर ४५ मिनट (पूर्वाह्न) गिरफ्तार किये गये और इस समय जिला जेल मुरादाबाद में रखे गये हैं।"

यह पत्र ३ तारीख को भेजा गया था और कल शाम हमारे दफ्तर में आया है।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५७*

वित्त मन्त्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, यह इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ था और इस पर काफी बहस हो चुकी है। उसके बाद सदन ने यह निर्णय किया कि यह प्रवर समिति को भेजा जाय। प्रवर समिति ने ४-५ मीटिंग्स करके पूर्णतया इस पर विचार किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जहां तक प्रवर समिति की रिपोर्ट का संबंध है उसमें पुराने विधेयक के अनुसार खंड २ और ३ को निकाल दिया गया है जिनका अभिप्राय यह था कि भारतवर्ष में एक नया कोयनेज सिस्टम लागू हुआ है, उसको रेग्युलेट करने में टैक्स बढ़ने की संभावना थी, इसलिये प्रवर समिति ने खंड २ और ३ को निकाल दिया है।

जहां तक इसकी और धाराओं का संबंध है, १९५६ में केन्द्रीय सरकार ने अपने सेल्स टैक्स कानून में कुछ परिवर्तन किये थे और कुछ डैफिनीशन्स लागू की थीं तथा प्रांतीय सरकारों को यह आदेश दिये थे कि अपनी डैफिनीशन्स में अपने सेल्स टैक्स के अनुसार इन डैफिनीशन्स को लागू कर लें। जब यह सेलेक्ट कमेटी बैठ रही थी, उसके मेम्बरान के सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि भारत सरकार और भी संशोधन करना चाहती है तो इस सेल्स टैक्स कानून में जहां तक कि इन डैफिनीशन्स इत्यादि का संबंध है, जहां तक खंड ४ का संबंध है, पुराने विधेयक के अनुसार उसको वैसा ही रखा गया है और उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं समझी गयी है।

इसके आगे प्रवर समिति ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड पर विचार किया जो कि संबंधित है टैक्स के इवेजन से, क्योंकि यहां इधर के बैठने वाले लोगों ने और उधर के बैठने वाले लोगों ने हमेशा इस बात की शिकायत की है कि सरकार द्वारा जो टैक्सेज लगाये जाते हैं उनमें इवेजन होता है, यानी लोगों के इवेजन करने से सरकार को पूरी तौर पर

*२ सितम्बर, १९५७ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री धर्म सिंह]

टैक्सेज नहीं प्राप्त होते, उसी चीज को लेकर यहां पर यह रखा गया है और जिसका अभिप्राय यह है कि हमने अब तक यह देखा है कि एक फर्म है जो चली आती है और ६ महीने तक काम करने के बाद उस फर्म को बन्द कर देते हैं और या तो दूसरे फर्म में शामिल हो जाते हैं या इधर-उधर चले जाते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि सरकार को पूरी तौर पर टैक्स नहीं मिल पाता, या कोई 'ए' फर्म है, उसने अपना नाम बदल दिया, कोई दूसरा साइन बोर्ड लगा दिया या एक फर्म का कोई व्यक्ति दूसरे फर्म में चला गया तो इस प्रकार से सरकार के सामने दिक्कत आती रहती है, कि वह कैसे टैक्स वसूल करे। उन फर्मों के लिये भी इसमें प्राविजन किया गया है। जहां तक प्रवर समिति का संबंध है उसमें इसके लिये दो प्रतिबन्ध जोड़ दिये गये हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिये कि 'ए' फर्म है जो पहले से चला आता है लेकिन बाद में 'बी' में जाकर शामिल हो जाता है। तो पहले तो कोशिश की जायगी कि 'ए' से ही जो 'बी' में जाकर पार्टनर हो गया है उसी से रुपया वसूल किया जाय और यदि किन्हीं कारणों से वह वसूल नहीं होता है तो 'बी' से कहा जायगा कि वह उसके शेयर का रुपया पैसा दे। लेकिन साथ ही साथ अगर वह नहीं देता है तो इस विधेयक में यह अधिकार दिया गया है कि वह पूरीतौर से जिसमें जाकर सम्मिलित होगा उससे लेंगे। तो इसका अभिप्राय यही है, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि हमारे यहां टैक्सेज का इवेजन बहुत होता है, बोर्ड बदल दिया जाता है और बहुत सी चीजें इस तरह की की जाती हैं जिसकी वजह से सरकार के पास जितना पैसा पहुंचना चाहिये था उतना नहीं पहुंच पाता।

(इस समय १२ बजकर ९ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त पीठासीन हुए।)

अधिष्ठाता महोदय, जहां तक टैक्स का सम्बन्ध है, इसके अन्दर एक प्राविजन और है जो कि सिक्योरिटी आफ दि रेवेन्यू का है। उसका अभिप्राय यह है कि असेसिंग अथारिटी को किसी साल के अन्दर अगर यह ससपिशन हो जाता है कि सरकार को टैक्स नहीं मिलने वाला है तो वह सेल्स टैक्स कमिश्नर की आज्ञा लेकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है और अन्दाजन जितना पैसा आता है लगा सकता है। मान लीजिये किसी आदमी पर एक साल में एक हजार रुपया आने की बात होती है, तो उसको ससपिशन हो जाता है कि यह टैक्स वसूल नहीं हो सकेगा तो सेल्स टैक्स कमिश्नर से आज्ञा लेकर असेसिंग अथारिटी उतना ही या उससे कुछ कम रुपया जमा करा सकता है ताकि इस प्रकार से कोई फर्म या कोई संगठन कर्त्ता सेल्स टैक्स वगैरह लेकर न भागे। अब यह कि ऐग्रीव्ड पार्टीज के लिए आगे कोई मौका नहीं होता तो उस के लिए प्रवर समिति ने यह किया है कि ऐग्रीव्ड पार्टीज जिनसे इस प्रकार रुपया जमा कराया जायगा वे रिवाइजिंग अथारिटी के सामने अपील कर सकती हैं और यह उस के ऊपर निर्भर होगा कि किस प्रकार से उसको करें।

एक और खंड इस में आगे है। अब तक ३० दिन दिया जाता था। मान लीजिये एक फर्म है और अचानक किसी आदमी ने फर्म को बन्द कर दिया या उस का दिवाला निकल गया तो उस के लिए यह था कि वह ३० दिन के अन्दर इसकी सूचना असेसिंग अथारिटी को दे दे, लेकिन अब ३० दिन के बजाय १५ दिन ही रखा गया है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।

इसके अलावा दो तीन क्लाजेज हैं जो बहुत महत्व के हैं, इवेजन आफ टैक्सेज और सिक्योरिटी आफ रेवेन्यू, इन पर बहुत काफी बहस हो चुकी है और प्रवर समिति ने भी इस पर काफी छानबीन के बाद अपनी रिपोर्ट सदन के सम्मुख प्रस्तुत की है। इस पर कोई अधिक बहस की आवश्यकता नहीं है, इसमें न कोई ऐसे सैद्धान्तिक प्रश्न हैं कि जिन को टच किया गया है। प्रवर समिति में इस पर काफी बहस हो चुकी है और सदन में भी पहले हो चुकी है। इसलिए मैं आदरणीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस पर बहस करने के बाद सदन इसको पारित करे।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मुझे खेद है कि मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने में असमर्थ हूं। अगर हम इस विधान सभा के विगत वर्ष, उस से पहले के वर्ष और वर्तमान वर्ष के विधान सम्बन्धी इतिहास को देखने का कष्ट करें, तो हमें यह प्रतीत होगा कि बिक्री कर संशोधन विधेयक, सब से अधिक विधान सभा से या विधान मण्डल से प्रति वर्ष पारित होते रहे हैं। कुछ ऐसा लगता है कि सेल्स टैक्स के उपबन्धों के सम्बन्ध में, सेल्स टैक्स की परिभाषाएं क्या हों, उसका रूप क्या हो, उसकी धाराओं का स्वरूप क्या हो, सरकार का विचार, इतने वर्षों के बिक्री कर अधिनियम के प्रशासन के बाद भी निश्चित नहीं हुआ और प्रायः हम यह देखते हैं कि हर वर्ष कम से कम तीन चार अमेंडिंग बिल बिक्री कर के विषय में आ जाते हैं और प्रत्येक अमेंडिंग बिल जनता के लिए और व्यापारियों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, एक नयी परेशानी और असन्तोष लेकर आता है। जब प्रस्तुत विधेयक पहली बार इस सदन में आया था तो हमें आशा थी कि प्रवर समिति में जाने के बाद इस का स्वरूप कुछ बदल जायगा। यह आशा कुछ मानों में तो सही निकली और मैं प्रवर समिति के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम सरकार को इस बात के लिए राजी कर लिया कि सरकार अपने पुराने विधेयक के खंड २–३ को निकलवाने में सफल हो गयी। इसके लिए मैं प्रवर समिति के सदस्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करना चाहता हूं।

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—हमने तो उन्हें यहीं हाउस में विदड्रा किया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इस का मतलब यह है कि आप की यह प्रवर समिति की रिपोर्ट गलत है, इस के पहले पेज में यह लिखा है कि विधेयक के सभी खण्डों पर विचार करने के उपरान्त हम ने विधेयक में कतिपय संशोधन करने की सिफारिश की है। वे इस प्रकार हैं: विधेयक का खण्ड २—यह खण्ड निकाल दिया जाना चाहिए। विधेयक का खण्ड ३—यह खण्ड निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अधिष्ठाता महोदय, मैं कुछ सफाई पेश करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय मन्त्री जी का प्वाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन है वह आप सुन लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या उनका प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन है? मैं इस समय ईल्ड नहीं करता। मैं यह कह रहा था कि बिल के खंड २ व ३ को निकालने का प्रश्न प्रवर समिति के सामने आया और उसने इनको हटाने का निश्चय किया। मैं मानता हूं कि प्रवर समिति के माननीय मुख्य मन्त्री जी भी सदस्य थे और इस को वापस लेने में उन का भी श्रेय है, लेकिन अगर प्रवर समिति में वह न निकाले जाते तो वह अपनी सिफारिश में यह बात न लिखती कि इनको निकाला जाय क्योंकि यहां निकल गये होते तो यह मामला वहां फिर आता ही नहीं। तो ऐसी बात नहीं थी। हां, माननीय वित्त मन्त्री जी उस के सभापति थे, इसलिए उन की स्वीकृति से वहां ऐसा हुआ, इसके लिए वह अवश्य बधाई के पात्र हैं। इस खंड २–३ तो यह था कि दशमलव प्रणाली के अनुसार सिंगिल या मल्टी प्वाइंट टैक्स वसूल किया जायगा। लेकिन जब पाई टर्म्स को दशमलव क्वायनेज के टर्म्स में बदला गया तो उसका परिणाम यह हुआ कि सेल्स टैक्स की दर बढ़ गयी। इसीलिए मैं समझता हूं कि यह खण्ड भी वापस लिया गया। लेकिन आगे चलकर जो इस विधेयक में खण्डों को रखा गया है वह हमें स्वीकार नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

पहली बात तो आप इसमें यह देखेंगे कि यह सिफारिश की गयी है कि विधेयक का खंड ४ वैसा ही रहने दिया जाय। खंड ४ को, श्रीमन्, आप देखेंगे कि उस में टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की सिफारिशों के अनुसार जो ६ वस्तुएं हैं जो कि इंटर स्टेट टैक्सेशन की वस्तुएं हैं, जो कन्ज्यूमर गुड्स को प्रोडयूस करने वाली आवश्यक वस्तुएं हैं उन पर सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स लगेगा। वह एक ही स्थान पर लगेगा। तीन पाई रुपये के हिसाब से लगेगा। यह टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की सिफारिश थी। उसी सिफारिश को खंड ४ में रखने की बात कही गयी है। पहले भी जिस प्रकार खंड ४ था यानी जिस प्रकार मूल अधिनियम की धारा ३-कक थी उसमें भी यही मंतव्य था। सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट जो है, विधान के द्वारा सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में जो नये संशोधन किये गये हैं इंटर स्टेट सेल्स टैक्स के टैक्सेशन के लिए, उसकी शब्दावली जैसी सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट में इस्तेमाल की गयी है, उन्हीं लफ्जों को यहां भी इस्तेमाल करने के लिए यह खंड रखा गया है। लेकिन सेलेक्ट कमेटी को यह बतलाया गया कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट अभी इस क्लाज को और अमेंड कर रही है। सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट की व्यवस्था को अमेंड करने वाला एक बिल पार्लियामेंट के सामने और आ रहा है। तो सेलेक्ट कमेटी की सिफारिश में लिखा गया है—"चूंकि भारत सरकार केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में कुछ और संशोधन करने का विचार कर रही है, जिसके फलस्वरूप संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट की धारा ३-कक में भी कुछ और आनुषंगिक संशोधन करने आवश्यक हो जायंगे, हम लोगों ने यह सिफारिश नहीं की है। अतः हमारे निश्चित मत में विधेयक का खंड ४ वैसा ही रहने दिया जाय जैसा वह है।"

खंड ४ को, मेरा दृष्टिकोण यह है, इस विधेयक में स्थान देने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं क्योंकि जब सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट में, इसी क्लाज में, गवर्मनेंट आफ इंडिया अमेंडमेंट लाने वाली है और सरकार को मालूम है कि इस प्रकार यह धारा अमेंड होने वाली है तो फिर यह निरर्थक होगा कि आज हमने अमेंड किया और एक दिन पूरा लगाया और एक दो महीने के बाद फिर इसको अमेंड करने बैठें, और जानते हुए कि अमेंड होने वाला है, इसका स्थान हमारे स्टैट्यूट्स में रहने वाला नहीं है, तो हम अपना समय क्यों बरबाद करें। इसलिए मैं समझता हूं कि जो सरकार ने स्वयं सेलेक्ट कमेटी के सामने तर्क दिया उसको देखते हुए और इस बात को देखते हुए कि इस क्लाज को सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट में अमेंडमेंट आ रहा है इस विधेयक में स्थान नहीं देना चाहिए।

चौथी बात जो इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझे कहनी है वह सिक्योरिटीज के बारे में है। ऐसी आशा थी कि प्रवर समिति में सरकार इस बात को मान लेगी कि जो व्यापारियों को रजिस्टर किया जाता है उसमें जमानत लेने का प्राविधान नहीं रखा जायगा। लेकिन दुख का विषय है कि अभी भी जिस प्रकार नया विधेयक आया है इसमें भी यह आवश्यक कर दिया गया है, सेल्स टैक्स अधिकारियों को अधिकार दे दिया गया है कि अगर वह किसी व्यापारी को रजिस्टर न करना चाहें, तो वह कह सकते हैं कि तुम दस हजार की जमानत दो तब रजिस्ट्री की जायगी यानी रजिस्ट्री की फीस केवल १० रुपया है, लेकिन दस रुपये की फीस नहीं ली जायगी, और उससे मनमानी, मुंहमांगी जमानत मांग कर रजिस्टरी रोक दी जायगी। उसका नतीजा क्या होगा? सेल्स टैक्स ला की परिधि के बाहर वह हो जायगा। सेल्स टैक्स वसूल नहीं कर पायेंगे। टर्न ओवर ज्यादा होगा और एक साथ सारी पेनाल्टीज का भागी होगा। तो यह जमानत लेने की बात आखिर क्यों आयी, यह सोचने की बात है। या तो सरकार कहे कि वह सेल्स टैक्स ऐडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स टैक्स ला, और उसके प्राविजन्स को एन्फोर्स करने में असफल रहीं, और हम व्यापारियों से वसूलयाबी नहीं कर पाते हैं। नहीं तो जमानत लेने की बात उठती ही नहीं। फिर न जमानत के कोई स्लैब्स हैं कि किस प्रकार के व्यापारी से कितनी जमानत ली जायगी, ज्वेलरी के व्यापारी से कितनी ली जायगी, खाद्यान्न के व्यापारी से कितनी ली जायगी, कोई बात स्पष्ट नहीं है। केवल एक कार्टा ब्लांका ऐसा अधिकार सेल्स टैक्स कमिश्नर को देने की बात है।

हां प्रवर समिति ने एक विधान यह अवश्य किया है और एक मौका अपील का दिया है। जमानत जमा करने के बाद एक रिवीजन अथारिटी की अपील हो सकती है। लेकिन, श्रीमन्, आप जानते हैं कि जब किसी भी पदार्थ का वीभत्स और कुत्सित स्वरूप हो तो उस स्वरूप को सुन्दरमय बनाने की कोई भी चेष्टा की जाय और एक आध आवरण और आभूषण उसके कलेवर में विभूषित कर दिया जाय तो उससे उसका कलेवर सुन्दरतर नहीं होगा। वही हाल इस विधेयक के स्वरूप का है। इस कारण मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

हां, एक वह फर्म्स का मामला था। जिस ढंग से प्रवर समिति ने उसके बारे में सुझाव दिये हैं, मैं समझता हूं कि उससे राहत व्यापारियों को थोड़ी बहुत मिल जायगी। मैं उसको तो स्वीकार करता हूं। लेकिन बाकी जितने खंड इस विधेयक के हैं मुझे स्वीकार नहीं हैं।

एक और निवेदन इस सिलसिले में करना चाहता हूं कि सरकार को सेल्स टैक्स ला में जितने भी परिवर्तन करने हैं वह एक बार २, ३, ४, ५ महीने बैठे और निश्चय कर ले कि हमें ला का पैटर्न इस प्रकार का बनाना है तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि आप साल में तीन बार ऐक्ट को, रूल्स को बदलते हैं। उससे कानून पेचीदा होता जाता है, नियम और पेचीदे होते जाते हैं, व्यापारियों की समझ के बाहर होते हैं और सेल्स टैक्स ला को जो एडमिनिस्टर करते हैं उनकी भी समझ के बाहर होते हैं। नतीजा क्या होता है? ला के, रूल्स के इवेजन्स का मौका मिलता है और ला का ऐडमिनिस्ट्रेशन इतना मुश्किल हो जाता है कि उसको ठीक प्रकार से कार्यान्वित करना सम्भव नहीं होगा। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने यही कहा था कि ला को सरल बनाओ, कानून, नियमों को सरल बनाओ, जिनको आसानी से लागू किया जा सके। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा यू० पी० का सेल्स टैक्स ला पेचीदा है बहुत से राज्यों के मुकाबिले में। और सरकार, इस बात का आश्वासन देने के बाद भी कि हम ला को सरल बनायेंगे, उसमें भी असमर्थ रही। तो मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि सरकार समय लेकर यह तय कर ले कि हम ये अमेंडमेंट्स कम से कम ३, ४ साल के लिए रूल्स में और ऐक्ट में करने वाले हैं, फिर सदन को मौका दें उस पर विचार करने का। तभी सेल्स टैक्स ला हमारे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने वाला हो सकता है, नहीं तो जो हमारी मनोभावना है, वह सम्पूर्ण नहीं हो पायेगी।

एक और प्रार्थना इस सम्बन्ध में मैं करना चाहता हूं कि एक सेल्स टैक्स इन्क्वायरी कमेटी इस सदन में माननीय सदस्यों की और बाहर के कुछ प्रतिनिधियों की माननीय वित्त मन्त्री के चेयरमैनशिप में बनायी गयी थी। उसकी दो सब-कमेटीज थीं, एक सब-कमेटी के कनवीनर कुंवर गुरुनारायण थे और दूसरी के श्री बालेन्दुशाह थे। डेढ़ साल वह कमेटी बैठी जिसके ११ टर्म्स आफ रिफरेंसेज थे, जिसमें सेल्स टैक्स के कानून को संशोधन करने का रिफरेंस भी था। आपकी भी गवाही हुई थी। वह सेल्स टैक्स कमेटी बनारस भी गयी थी, जिसने डेढ़ साल तक कार्य किया। हजारों रुपया राज्य का व्यय हुआ। उसकी रिपोर्ट आज तक प्रकाशित क्यों नहीं हुई है, मैं जानना चाहूंगा। उस सेल्स टैक्स कमेटी की रिपोर्ट रेलेवेंट इस लिए है कि इसके बारे में उसके क्या सुझाव हैं, रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या उसके सुझाव हैं, सिक्योरिटी रखने के बारे में क्या सुझाव हैं और सेन्ट्रल सेल्स टैक्स के एक्जेम्पशन के बारे में क्या सुझाव हैं, हमारा जानने का अधिकार है, और मैं जानना चाहता हूं, मैं भी, श्रीमन्, इस इन्क्वायरी कमेटी का मेम्बर था, लेकिन मैंने एक साल के बाद इस्तीफा दे दिया था। तो मैं यह मांग करूंगा कि उस सेल्स टैक्स इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाय और प्रकाशित की जाय। अगर सरकार प्रकाशित नहीं करती तो फिर मैं यह कहने का अधिकारी हूं कि इस सरकार के हृदय के अन्तरंग में कहीं न कहीं कोई छिपा हुआ दानव बैठा हुआ है। दानव इस माने में कि जो बात को छिपाता है। जो मर्यादित रिपोर्ट है इस सदन के सदस्यों की उसको वह छिपाना चाहते हैं, उस रिपोर्ट को दबाना चाहते हैं, सप्रेस करना चाहते हैं। अगर सप्रेस नहीं करना चाहते तो हम मांग करते हैं कि माननीय वित्त मन्त्री जी उसे प्रकाशित करें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का अधिकांशतः विरोध करता हूं।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज सदन के सम्मुख बिक्रीकर विधेयक पर जो प्रवर समिति की रिपोर्ट उपस्थित है उस में सर्व प्रथम मुझे इस बात पर आपत्ति है कि कल दोपहर को वह रिपोर्ट इस सदन की मेज पर रखी गयी और आज उस पर विचार करने के लिए समय निर्धारित कर दिया गया जब कि कम से कम तीन दिन का अवकाश हमें मिलना चाहिए था।

जिस समय यह विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया था गत अप्रैल में उस समय पालीवाल जी ने एक संशोधन रखा था और उस में उन्होंने यह मांग की थी कि एक प्रवर समिति को यह बिल सुपुर्द कर दिया जाय और उसे यह अधिकार दिया जाय कि वह अपनी परिधि भी बढ़ा सके। मुझे दुख है कि उस समय माननीय वित्त मन्त्री ने इसका काफी विरोध किया था और उन्होंने यह कहा था कि प्रवर समिति को हम यह अधिकार नहीं दे सकते कि वह अपनी परिधि को भी बढ़ा सके। काफी वाद-विवाद होने के पश्चात् फिर मैंने अपना एक संशोधन प्रस्तुत किया था कि माननीय पालीवाल जी के संशोधन में से वे शब्द निकाल दिये जायं कि प्रवर समिति को अपनी परिधि बढ़ाने का अधिकार होगा। सिर्फ इतना रख दिया जाय कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो कि १५ दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट दे दे। यद्यपि उस समय पालीवाल जी ने ७ अगस्त तक की मांग की थी, परन्तु फिर भी वित्त मन्त्री जी ने ७ अगस्त तक समय देने का विरोध किया था और कुछ दिनों बाद उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि प्रवर समिति ३१ अगस्त तक इसकी रिपोर्ट दे सकेगी तथा कल वह रिपोर्ट इस सदन की मेज पर आयी है। हमें इस बात का अफसोस है कि जिस समय यह पहला विधेयक उपस्थित किया गया था और आज जो प्रवर समिति की रिपोर्ट है उसमें काफी परिवर्तन हो गया है। पहले विधेयक में इस बात की कहीं भी कोई चर्चा नहीं थी कि सेल्स टैक्स आफिसर्स या बिक्री कर के दूसरे अधिकारियों को इस बात का अधिकार होगा कि वह व्यापारियों को लाइसेंस देने से इन्कार कर दें। आज हम यह देखते हैं कि प्रवर समिति ने अपनी परिधि से आगे बढ़कर के इस तरह की एक धारा हमारे सामने ला करके रख दी है और बिक्री करके पदाधिकारियों को इस तरह का अधिकार दिया है कि वह लाइसेंस देने से लाइसेंस रिन्यू करने से भी इन्कार कर दें।

जहां तक इस विधेयक का उद्देश्य है मैं समझता हूं कि सदन का हर व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि वे व्यक्ति जो कि सरकारी टैक्स की चोरी करते हैं उनसे टैक्स वसूल करने के लिये हर संभव प्रयत्न किया जाय। मैं वित्त मंत्री को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रांत में टैक्सेशन के नियमों का पालन कराने के लिये कठोर कदम उठाने का प्रयत्न किया है ताकि राज्य की आय बढ़े। लेकिन धारा ६ में जो यह जोड़ दिया जाता है कि सेल्स टैक्स अधिकारी अगर उचित समझें तो वे सेक्योरेटी (नकद जमानत) लें और सेक्योरिटी (नकद जमानत) न मिलने पर लाइसेन्स देने से इन्कार कर दें, यह बात कुछ समझ में नहीं आयी। १० रुपया लाइसेन्स की फीस है। लाइसेन्स तो सिर्फ व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमति देता है। जिन व्यापारियों की बिक्री १२ हजार रुपये से अधिक होती है उनको लाइसेन्स लेना पड़ता है। बहुत से व्यापारी सेल्स टैक्स से बचने के लिये अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो वे कह देते हैं कि हमारी तो मामूली सी बिक्री है। छोटे व्यापारियों पर भी इस बात का जोर दिया जाता है कि वे अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने से १० रुपया प्रति व्यापारी सरकार को आमदनी होती है। तो सरकार का इस तरह का विधेयक प्रस्तुत करना कि सेल्स टैक्स अधिकारियों को इस तरह का अधिकार दिया जाय कि रजिस्ट्रेशन कराने वालों को अगर अधिकारी चाहें तो लाइसेन्स देने से इन्कार कर दें यह कहां तक उचित है। इसके बजाय टैक्स की चोरी रोकने के लिये सरकार को दूसरे कदम उठाने चाहिये? सरकार किसी व्यापारी के मौलिक अधिकारों पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं रखती है कि वह उसको देश और प्रदेश के अन्दर व्यापार करने की अनुमति न दे। जब कोई व्यापारी किसी चीज की बिक्री कर रहा है और वह लाइसेन्स की मांग करता है तो लाइसेन्स की मांग के मतलब यह हुए कि वह सरकार को इस बात की सूचना देता है कि उसकी बिक्री

१२ हजार रुपये से अधिक हो गई है या वह प्रदेश के अन्य जिलों से या प्रदेश के बाहर से माल मंगायेगा और उसका टैक्स सरकार को अदा करेगा ।

जहां तक कर के वसूल करने का सम्बन्ध है, प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया है कि फर्म के विघटन होने पर जो कि पुनः संगठित फर्म होगी उससे भी टैक्स वसूल कर सकेंगे, इस में कुछ संशोधन की आवश्यकता है । आज एक फर्म चल रही है, एक दूसरा व्यक्ति या फर्म उसकी गुडविल (good will) को खरीद लेता है तो उससे भी वह टैक्स वसूल कर लिया जायगा । मुझे पता चला है कि जिस समय प्रवर समिति के सन्मुख यह संशोधन लाया गया तो प्रवर समिति में भी बहुत से सदस्य उससे सहमत नहीं थे और कुछ सदस्यों ने इसका विरोध भी किया था । उन सदस्यों के विरोध के बावजूद भी वह संशोधन बहुमत द्वारा इस प्रवर समिति की रिपोर्ट में लाया गया है , तो अब यह देखिये कि सेल्स टैक्स की इस सेलेक्ट कमेटी के थोड़े सदस्यों में भी इस सम्बन्ध में मतभेद था, आज हाउस में भी हम लोग इस पर अपने मतभेद प्रकट कर रहे हैं अतः फिर दोबारा हम इस बात की मांग करते हैं कि इस धारा को इस विधेयक से निकाल दिया जाय । चूंकि अब इस में संशोधन तो हो ही नहीं सकता है, इसलिये मैं मांग करता हूं कि इसकी नयी उपधारा को पूरे तौर पर इस बिल में से निकाल दिया जाय । इसके निकालने से हम प्रदेश के व्यापारियों की भावनाओं की रक्षा कर सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता---लहरी जी, आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस बारे में आप कह रहे हैं कि आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, उस बारे में आप संशोधन भेज सकते हैं ।

श्री जगन्नाथ लहरी---संशोधन तो भेज सकते हैं, लेकिन इतना समय नहीं मिला और बिल पर बहस शुरू हो गयी ।

श्री अधिष्ठाता---यह तो ३ तारीख से मेज पर है ।

श्री जगन्नाथ लहरी---नहीं, कल दोपहर को रखा गया है । श्रीमन्, प्रक्रिया नियमावली के अनुसार संशोधन कम से कम ३६ घंटे पहले भेजने चाहिये । आप आज इसके ऊपर विचार स्थगित कर दें तो हम संशोधन भेज सकेंगे ।

श्री अधिष्ठाता---विचार स्थगित नहीं कर सकते, लेकिन आप संशोधन भेजना चाहें तो अब भी भेज सकते हैं ।

श्री जगन्नाथ लहरी---धन्यवाद । तो मेरी मांग यह है कि इसमें से धारा ४(६) को अगर पूरी तरह निकाल दिया जाय तो मैं सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इस धारा को निकाल दिया जाय ।

श्री मदन मोहन (जिला फैजाबाद)---श्रीमन्, यहां मैं उपस्थित विधेयक का समर्थन करता हूं । अभी मुझे मालूम हुआ कि संशोधन अभी उपस्थित हो सकते हैं तो मैं एक संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं । उसे मैं बाद को लिख कर भेज दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता---जब तक आप लिखकर भेजेंगे नहीं तब तक मैं संशोधन पर बोलने की अनुमति नहीं दे सकता हूं ।

श्री मदन मोहन---श्रीमन्, संशोधन बिक्री कर के सम्बन्ध में इस विषय पर विचार करना कि यह एक वीभत्स कानून है, एक बड़ा कष्टदायक कानून है, बिलकुल अप्रासांगिक और इर्रेलेवेंट है । प्रश्न तो केवल यह है कि यह विधेयक अपने वर्तमान बिक्री अधिनियम को और कुत्सित करता है और उसका उद्देश्य यह है कि हम अपने करों को वसूल करें और जो ईमानदार दूकानदार और व्यापारी हैं, उनके हितों का संरक्षण करें । श्रीमन्, इस विधेयक का केवल तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से कर देते हैं , उनके हितों का संरक्षण हो । अनुभव यह हुआ कि कुछ ऐसे व्यापारी हैं , जैसा कि वित्त मंत्री जी ने बताया , जो दो महीने के लिये

[श्री मदन मोहन]

दूकान खोलते हैं और अपना माल बेच कर दूकान बन्द कर देते हैं और उसके उपरान्त दूसरे नाम से कार्य आरम्भ कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जो दूकानदार केवल दो महीने के लिये नाम रजिस्टर्ड होने के पूर्व अपना माल बेच देते हैं, वह खरीददार को बगैर बिक्रीकर लिये माल बेच देते हैं। अब जो व्यापारी, कानपुर से, ऐसे व्यापारी से माल लेता है जो रजिस्टर्ड नहीं है, और बिक्री कर नहीं देता है, वह व्यापारी कानपुर से बाहर जाकर अपना माल ज्यादा सस्ता बेचता है बमुकाबले उस शख्स के जो ईमानदार व्यापारी से माल ले जाता है और बेचता है। इन दिक्कतों के कारण ईमानदार व्यापारी सफर करता है और जो कर नहीं देता है उसका माल बिकता है इसको रोकने के लिये ही यह विधेयक बनाया गया है।

विरोधी दल का कहना यह है कि सरल कानून बनाओ। कानून तो सरल ही बनाया जाता है, लेकिन जो कानून को तोड़ना चाहते हैं, उनके तरीके बड़े काम्पलीकेटेड रहते हैं और उनको रोकने के लिये कुछ खंड ऐसे जोड़ने पड़ते हैं जिससे कानून थोड़ा बहुत काम्पलीकेटेड हो जाता है। कहा यह जाता है और अभी आप के सामने कहा गया कि सिक्योरिटी क्यों ली जाय? नहीं ली जानी चाहिये। सिक्योरिटी लेने से व्यापारी व्यापार नहीं कर सकेगा। उनकी परेशानी बढ़ जायगी। मेरा निवेदन यह है कि कर वसूल किया जाता है कम्युनिटी के, राज्य के और प्रजा के कल्याण के लिये। जितना कर वसूल होता है वह सरकार जन-कल्याण के कार्यों में प्रयुक्त करती है। और अगर यह उद्देश्य कर का है, तो प्रत्येक राज्य और सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि उन करों को वसूल करे और किसी को नाजायज तरीके से बचने न दे। हमारे सामने ऐसे दृष्टांत और उदाहरण आये हैं कि जिससे सरकार का यह निश्चित मत है कि बिक्री कर की प्रवंचना (evasion) बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है। हम समझते हैं कि जन-कल्याण के लिये यह आवश्यक है कि इन प्रवंचकों को बचने का मौका न दिया जाय। तो प्रश्न यह है कि हम उनसे किस प्रकार से व्यवहार करें, किस प्रकार से जो व्यक्ति करों का इवेजन करते हैं, उनसे कर वसूल करें। इसके लिये क्या उपाय आप बतलाते हैं? कोई उपाय हमारे सामने नहीं रखा जाता है कि इवेजन करने वालों के लिये इस विधेयक के अन्दर प्रस्तुत provisions के बजाय कौन से प्रतिबन्ध लगाये जायं। अगर इसके लिये कोई कांस्ट्रक्टिव सजेश्चन्स हमारे सामने नहीं आते हैं तो इस कानून का विरोध किस आधार पर किया जा रहा है? अभी तक किसी विरोधी दल के वक्ता ने यह नहीं कहा कि हमारा जो खयाल है कि बहुत कुछ लोग इवेजन करते हैं यह गलत है। अगर यह सही है कि लोग इवेजन करते हैं तो फिर उसके लिये हम क्या कानून बनायें, यह आप बतायें। और अगर हम यह कानून बनाते हैं तो वह किस तरीके से अनुचित है। मेरा निवेदन यह है कि यहां एक प्रवाहात्मक बात कहना कि यह कलंकित कानून है, वीभत्स कानून है, यह सरल कानून नहीं है, यह तो एक व्यर्थ की आलोचना की बात है। अगर कोई रचनात्मक संशोधन उधर से आता कि इस प्रकार से इस कानून को बदला जाय तो सम्भव था कि हम उस पर विचार करते। मेरा नम्र निवेदन यह है कि जिस रूप में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन इस सदन को करना चाहिये। अभी तक कोई बात ऐसी नहीं कही गयी जिससे हम इस परिणाम पर पहुंचे कि यह अनुचित विधेयक है और इसकी स्वीकृति सदन से नहीं होनी चाहिये।

श्री रघुराज सिंह चौधरी (जिला बुलन्दशहर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सेल्स टैक्स सन् १९४८ में वजूद में आया था। उसके बाद कितनी इसमें तरमीमें हो गयीं वह याद रखने से भी याद नहीं रहतीं। सबसे पहले मेरा ऐतराज इस बात पर है कि जो भी कानून हमारी सरकार पेश करे उस पर काफ़ी गौरोखोज के बाद उसको इतना मुकम्मल बनाये कि जिससे बाद में कोई ऐसी बात पैदा न हो जिससे किसी अदालत या हाई कोर्ट को उसमें कलम लगाने की जरूरत पेश आ जाय, और उसका नतीजा यह हो कि

फिर उसमें तरमीमात हों और जिस पब्लिक पर वे दफ़ात पसन्दाज होती हैं उसके और गवर्नमेंट के दरमियान बदमजगी हो। यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जा चुका है और वह अपने दायरे में जो इम्प्रूवमेंट कर सकती थी वह उसने किये। लेकिन अब भी यह कानून बहुत ही नामुकम्मल है इसलिये कि जैसा इस सदन में बताया गया कि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया इस सिल-सिले में कुछ तरमीम कर रही है और उसके साथ यहां भी ऐक्ट में फिर तरमीम पेश होगी। तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्लाज ४ का रिटेंशन और ऐप्लीकेशन इस में क्यों रखा गया। कुछ थोड़ा सा और इन्तजार किया जा सकता था। अब इसमें जब कोई फर्म एक से दूसरे को ट्रान्सफर होगी तो इस कानून के मुताबिक एक ऐसी सख्त पाबन्दी है कि जो शख्स उसको लेता है, पुराना बाकी टैक्स उसको देना पड़ेगा। इससे तो यही ज्यादा अच्छा था कि जैसी तजवीज पेश की गई थी जिसको मंजूर किया जाना जरूरी था कि जो शख्स उसको ट्रान्सफर करता है वह पहले एक सार्टिफिकेट हासिल कर ले कि उस पर कोई टैक्स बाकी नहीं है। साथ ही जो लाइसेंस के साथ जमानत का किस्सा पैदा कर दिया है वह भी काफी परेशानकुन है। जब-जब सेल्स टैक्स में तरमीमात पेश हुईं, मैं बड़ी उम्मीद से देखा करता था कि कोई ऐसी तरमीम आयेगी कि जिस से यह सेल्स टैक्स सही मानों में सेल्स टैक्स हो जायगा। लेकिन मेरी वह उम्मीद आज तक पूरी नहीं हुई। सन् १९४८ में दूसरे सदन में हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने यह फरमाया था कि यह टैक्स जिसको कि लोग कंज्यूमर्स टैक्स कहते हैं, कंज्यूमर्स टैक्स नहीं है बल्कि सेल्स टैक्स है, लेकिन यह हमारे सूबे की बदकिस्मती है कि यह कंज्यूमर्स टैक्स ही निकला और आज तक यह उसी शक्ल में चला जा रहा है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता था कि अपने तजुर्बे और मिनिस्टर साहब के बयान के बाद गवर्नमेंट ऐसी कोई तरमीम लायेगी कि यह वाकई में सेल्स टैक्स हो जायगा, लेकिन आज इस ऐक्ट में तरमीम पेश करने के बाद पहले से भी ज्यादा इसको काम्प्लीकेटेड बना दिया गया है इसको साधारण मनुष्य तो क्या, वकील भी समझ नहीं पाते और मेरे खयाल में एक वेलफेयर स्टेट में यह एक अजीब सी बात है।

सेल्स टैक्स कमेटी की रिपोर्ट की ताखीर के बारे में जैसे कि मेरे और साथियों को शिकायत है, मुझे भी है कि उसकी रिपोर्ट अभी तक देखने को नहीं मिली। समझ में नहीं आता कि ऐसे मसले को जो सामने आना चाहिये, और आना जरूरी है, क्यों राज में रखा जाता है। इसकी मसलहत समझ में नहीं आती। मैं उम्मीद करता हूं, कि गवर्नमेंट उस रिपोर्ट को जल्द से जल्द शाया करेगी जिससे यह मालूम हो सके कि दर हकीकत जिस कमेटी पर इतना बड़ा खर्चा किया गया है उसने क्या तजावीज पेश की हैं ताकि उनको देख कर यह गौर किया जा सके कि यह जो रोजाना तरमीमात पेश होती है उनसे कैसे छुटकारा हो सकता है, और यह पब्लिक फंड पर रोजाना जो बार पड़ता है उससे कैसे नजात मिल सकती है। जिस तरीके से कि यह बिल इस सदन के सामने आया है उस तरीके से मैं समझता हूं कि मैं इसकी हिमायत नहीं कर सकता और इन चन्द अल्फाज के साथ मैं इस की मुखालिफत करता हूं। यह जरूर है कि कमेटी ने जिन बातों के मुताल्लिक कहा है और जिस खंड को निकाला है उसका मैं खैरमकदम करता हूं, लेकिन साथ ही साथ इस में और जो बातें हैं--जमानत का किस्सा, क्लाज ४ का कायम रखना-जिनकी वजह से आइन्दा इसमें तरमीमात आने का अंदेशा है इसलिये मैं नहीं समझ पाता कि मैं किस तरह से इसकी हिमायत करूं। बिलआखिर मैं इसकी मुखालिफत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आफ इंडिया की उस तरमीम का इंतजार करेगी जो उसके इस वक्त जेरे गौर है जो तरमीमात मुखालिफ पार्टी की तरफ से पेश हुई है और जो दरहकीकत, सही मानों में इस कानून में इस्लाह करेंगे उनको गवर्नमेंट कबूल करेगी।

†श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--जनाब चेयरमैन साहब, सेल्स टैक्स का जो अमेंडिंग बिल हमारे सामने है उस पर जो अभी तक तकरीरें हुई हैं, वह मैंने गौर से

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खां]

सुनीं। एक बात जो अभी कही गयी उसे मुझको सुन कर बड़ा ताज्जुब हुआ। वह यह है कि सेल्स टैक्स में बार-बार तरमीम क्यों लाई जाती है। जमाना बदलता रहता है और हालात बदलते रहते हैं और उन हालात के तक़ाजे से मजबूर होकर इन्सान को तरमीम लाना होता है। मैं बतलाना चाहता हूं कि शायद हाउस के बहुत से मेम्बरों को मालूम होगा कि हमारा कांस्टीट्यूशन इस मुल्क में बना जिसके बनाने में ३ साल खर्च हुये और बेहतर दिमाग उसमें लगे, लेकिन अभी ७ साल गुजरने नहीं पाये हैं कि उस कांस्टीट्यूशन के अन्दर ८ तरमीम हो चुकी हैं और न मालूम अभी कितनी तरमीम होना बाकी है जो वक्तन फवक्तन होंगी। अमेरिका में कांस्टीट्यूशन बना। १ या डेढ़ साल के बाद उसमें तरमीम होना शुरू हो गया था; अगर हमारे सेल्स टैक्स बिल में जरूरत के मुताबिक कोई तरमीम होती है तो यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है। सवाल यह है कि जो यह अमेंडिंग बिल हमारे सामने पेश है, उसका मन्शा क्या है। कभी-कभी ऐसी बातें भी कही जाती हैं जो इस बिल के पूरे एम्स एन्ड आब्जेक्ट्स के ऊपर हावी होती हैं, लेकिन चेयरमैन साहब, आपकी इजाजत से मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि कोई भी अमेंडिंग बिल हमारे सामने आवे, हम उस अमेंडिंग बिल के उतने हिस्से पर ही बात करें जो उस बिल से मुताल्लिक हो, लेकिन ओरिजनल बातों के ऊपर अगर हर मर्तबा बहस करें तो मैं समझता हूं इसका सिलसिला कभी खत्म नहीं हो सकता।

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है यह बिल सिर्फ दो मन्शा के साथ लाया गया है। एक मन्शा और मकसद यह है कि जो टैक्स इवेड होता है उसको किसी तरीके से हासिल किया जाय और दूसरा मकसद यह है कि हमारे यहां जो डेसिमल सिस्टम नाफिज हो गया है उसको भी इसके अन्दर ऐडाप्ट किया जाय। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जो सेल्स टैक्स लगाया है उसके मुताबिक भी अपने आपको एकोमोडेट करने की बात है। यह चन्द मन्शा हैं जिसकी वजह से यह बिल आया है। इसका यह मन्शा हरगिज नहीं है कि लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जाय। अगर इसका मन्शा यह होता कि टैक्स की शरह को बढ़ाया जाय तो सब से पहला आदमी मैं होता जो इसकी मुखालफत करता और गवर्नमेंट से यह इल्तिजा करता कि वह इस तरह का बिल न लाये।

यहां पर टैक्स इवेजन रोकने का सवाल है। कोई भी गवर्नमेंट अगर टैक्स इवेजन को रोकने की कोशिश करती है तो यह चीज सही कदम की तरफ जाती है, क्योंकि अगर कुछ रुपया वसूल होने से रह जाता है तो कुछ न कुछ हमें जरूरत पड़ने पर दूसरे किस्म का टैक्स लगाना पड़ता है, लेकिन अगर इस तरह से हम कोशिश करें कि जो रुपया इवेड होता है वह सरकारी खजाने में आ जाय और ऐसी सूरत निकले जिससे वह रुपया सरकार के पास पहुंच जाय तो फिर इस तरह के टैक्स लगाने की जरूरत नहीं रह जाती है। यह सवाल यहीं पर नहीं उठा बल्कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट में भी यह सवाल उठा है। वहां जब कभी फाइनेन्स बिल पर तकरीर होती है तो यह सवाल वहां पर भी उठता है। त्यागी जी के जमाने में इवेजन को रोकने की कोशिश काफी की गयी और बहुत कुछ उससे रुका भी। आज भी हमको जरूरत है कि इस तरह से किया जाय जिससे वह चीज रुके। जितनी जरूरत सेल्स टैक्स लगाने की है उतनी ही इवेजन को रोकने की भी है। अगर टैक्स लगाना पहली जरूरत है तो इस चीज को रोकना भी दूसरी जरूरत है। वे लोग जो व्यापार करते हैं, जो गड़बड़ करते हैं और गड़बड़ करने के बाद बदनीयती से उसे खत्म कर देते हैं और खत्म करने के बाद एक नये नाम से दूसरी फर्म खोल देते हैं...

श्री अधिष्ठाता—मैं आपका ध्यान नियम १०६ की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें यह लिखा हुआ है कि :

"There shall be no debate on any motion or amendment at this stage except that the member making the motion or moving the amendment and the member opposing may be allowed to make brief statements....."

तो इस स्टेज पर आप कृपया जनरल डिस्कशन न करें । जो अमेंडमेंट कमेटी ने किये हैं उन पर आप बहस कर सकते हैं, जनरल प्रिन्सिपल की बातें आप न कहें तो अच्छा है ।

श्री सुल्तान आलम खां---मैं आपके हुक्म की तामील कर रहा हूं और इस बिल में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उन्हीं तक अपने को कनफाइन कर रहा हूं लेकिन इसके एम्स ऐन्ड आबजेक्ट्स में लिखा हुआ है....

श्री अधिष्ठाता---इस वक्त एम्स ऐण्ड आबजेक्ट्स का सवाल नहीं है । सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है। जो अमेंडमेंट हुए हैं वह होना जरूरी है या नहीं, इसी पर इस समय बहस हो सकती है ।

श्री सुल्तान आलम खां---यह बिल तमाम मंजिलों से गुजर कर सेलेक्ट कमेटी के पास गया। सेलेक्ट कमेटी ने गौर करके उस पर रिपोर्ट दी और वह रिपोर्ट आज हमारे सामने है। इस बिल के अन्दर जो प्रावीजन्स दिये हुए थे, सेलेक्ट कमेटी में जाने के बाद उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। मिसाल के तौर पर सेलेक्ट कमेटी ने यह प्रावीजन भी रख दिया है कि अगर किसी शख्स को इसके मातहत कोई शिकायत है तो वह रिवीजन में भी जा सकता है। यह चीज पहले इस बिल में नहीं थी । मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह बिल अपनी जगह पर बहुत जरूरी बिल है। नीज सेलेक्ट कमेटी ने जो भी इसके अन्दर कमियां थीं उनको दूर कर दिया। इसलिये मैं समझता हूं कि इसकी इस सूरत को देखते हुए, यह भी खयाल करते हुए कि हमें प्लानिंग के लिये रुपया चाहिये, इसके अलावा हम इवेजन को भी रोकना चाहते हैं, इन तमाम बुनियादी बातों को सामने रखते हुए हम समझते हैं कि इससे किसी भी शख्स को हार्डशिप नहीं होगी बल्कि इसके इम्प्लीकेशन्स यह हो सकते हैं कि दूसरे लोगों पर टैक्स का बोझ कम पड़े। इसलिये जो बिल गवर्नमेंट की तरफ से पेश किया गया है और जो उसमें सेलेक्ट कमेटी ने संशोधन किये हैं, उसके मुताल्लिक कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि यह एक इन्नोसेंट मेजर है और हाउस इसको मंजूर करेगा। जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं इस बिल की ताईद करता हूं ।

†श्री अवधेश प्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---मान्यवर, आपने जो आज्ञा दी थी वह मुझे भी शिरोधार्य है। मैं प्रसन्न हूं कि हमारा जो कर्तव्य था उसकी ओर आपने हम लोगों का ध्यान आकर्षित कर दिया, परन्तु उसमें हमें कुछ कठिनाई यह प्रतीत होती है कि संभवतः जो विधेयक इस सदन में आया, उस समय मैं नहीं था और इस पर पूरे रूप से विचार विनिमय नहीं हो पाया।

श्री अधिष्ठाता---इसमें सदन का तो कोई कसूर नहीं है।

श्री अवधेश प्रतापसिंह---तो अब मैं आपकी आज्ञानुसार चन्द शब्दों में ही जवाब दे देना चाहता हूं और इस विधेयक के अमेंडमेंट्स पर ही अपने विचार व्यक्त करूंगा जिससे आपको कोई आपत्ति न होगी और सदन का समय नष्ट न होगा।

श्रीमन्, इस विधेयक में जो सबसे बड़ी कठिनाई है और जो आपत्ति से भरी हुई चीज है तो वह यह है कि सेल्स टैक्स आफीसर साहब जब चाहें या किसी व्यापारी से यदि वह उचित समझें तो उससे सिक्योरिटी डिमान्ड कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता---श्री अवधेशप्रताप सिंह जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि किसी बात का बार-बार रेपीटीशन भी न होना चाहिये।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अवधेश प्रतापसिंह—श्रीमन्, यह भी ठीक है। यह भी आज्ञा शिरोधार्य है। जिस रूप से आप चाहेंगे उसी रूप से मैं भाषण दूंगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं और कुछ ऐसे माननीय सदस्य बोल चुके हैं कि उनका हवाला देना आवश्यक हो जाता है। फैजाबाद के हमारे माननीय सदस्य, ने इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि हम लोग कोई ऐसी बात न कहें, जो प्रचार हेतु हो,परन्तु हमें ऐसे सुझाव देने चाहिये जिससे कि सरकार इवेजन को रोक सके। उस प्रवंचना की किस तरह से रोकथाम की जा सके, मैं आपके द्वारा उनसे नम्रतापूर्वक बतलाना चाहता हूं कि वह समय आ रहा है जबकि हम संशोधन के रूप में वह चीज सदन के सम्मुख रखेंगे और उस समय मैं उन माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे हमसे सहमत होंगे। यह सच है कि यह एक ऐसा विधेयक था और एक ऐसा ऐक्ट है जिसके सम्बन्ध में बहुत से ऐसे संशोधन आये हैं और यही नहीं बल्कि भविष्य में भी आने वाले हैं। तो यह लेजिस्लेशन का काम होता है कि वह देखें कि जहां तक हो सके मल्टीप्लीसिटी नहीं होनी चाहिये। अगर सरकार को कोई विशेष आपत्ति न हो तो एक ही चीज बार-बार नहीं आनी चाहिये। यदि सेंट्रल सेल्स ऐक्ट की प्रतीक्षा कर ली जाती और उस वक्त यह विधेयक यहां लाया जाता तो मैं समझता कि बहुत सी कठिनाइयों को देखते हुए उस विधेयक के अनुरूप आप ला रहे हैं।

मैं कहता हूं और इसको स्वीकार करता हूं कि सेलेक्ट कमेटी ने इस विधेयक में बहुत सुधार किया है जिसके लिये मैं सेलेक्ट कमेटी के माननीय सदस्यगण तथा माननीय वित्त मंत्री महोदय को भी बधाई देता हूं। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु यह देखना होगा कि जो इवेजन है यह कोई ऐसी नवीन चीज नहीं है जो कि हम पहले दिन सुनते हों। श्रीमन्, जहां तक इस प्रदेश का प्रश्न है या भारतवर्ष का प्रश्न है, इसके बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि इवेजन होता है और यदि वह इवेजन रोका जा सके तो यह भी सच है कि बहुत से ऐसे कर जो आयन्दा चल कर या किसी विषम परिस्थिति के अधीन होकर हम लगाने वाले हैं उससे बचत हो सकती है। मैं दावे के साथ यह कहना चाहता हूं और सरकार के पक्ष को पूर्ण आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जहां तक इवेजन का सम्बन्ध है, उसकी रोकथाम आप कीजिये, हम आपके साथ हैं। हम नहीं चाहते कि व्यापारीगण इस तरह से धांधली करके और असत्य का सहारा लेकर एक फर्म आज खोलें और कल बन्द करें या गलत नाम से फर्म खोलकर अनुचित लाभ उठावें। लेकिन फैजाबाद के माननीय सदस्य, का यह कहना था कि हमें बताना है, लेकिन मैं आपके द्वारा उनको बतलाना चाहता हूं कि यह सरकार का भी उतना ही कर्तव्य है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, फिर पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता, कि सरकार को इस विधेयक को लाने के पहले कोई अग्रसर कदम उठाना था जिससे कि इवेजन रुक सके। जहां तक इवेजन का प्रश्न है, मैं सहमत हूं और सरकार को हर प्रकार की सहायता विरोधी दल देने के लिये हमेशा तत्पर और सन्नद्ध है और भविष्य में भी हमेशा देता रहेगा। हम यह नहीं चाहते कि इस विधान सभा को कुछ कटु और दुखमय कदम को उठाना पड़े जिससे कि हमको भी तकलीफ हो और जनता को भी कष्ट पहुंचे।

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूं और वह यह है कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करके जितनी भी खराबियां हैं उनको एक मर्तबा ही दूर कर दे। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि आप एक मर्तबा कमेटी बैठा दीजिये या दो चार आदमी बाहर के जिनको आप एक्सपर्ट समझें उनको बुला कर एक कमेटी बैठा दीजिये और डेमोक्रेटिक तरीके से जो करना हो उसे एक बार ही कर दीजिये। इस तरह से रोज-रोज का संशोधन आना बन्द होना चाहिये। यह ठीक है कि मजबूरियां आपके सामने आती हैं और मजबूरियों की वजह से आप इसमें तरमीम करते हैं।

रहा यह कि हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय जो बहुत ही पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं इसमें वह माहिर व मश्शाक़ हैं कि जो कुछ भी विरोधी दल की तरफ से कहा जाता है उस पर वह पर्दा डालते हैं और अगर कोई दूसरा सदस्य नये होने के कारण कोई ऐसी बात फरमा दे . . .

श्री अधिष्ठाता--आप भी तो पुराने हैं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--मुझे तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होती। आप भी पुराने हैं और मैं भी पुराना हूं, लेकिन जो नये सदस्य आते हैं उन्होंने अगर नातजुर्बेकारी से कोई बात भी कह दी तो सब बातों को भुलाते हुये बेचारे पर फाट पड़ते हैं और ऐसी हालत में हमें भी मजबूरियां हो जाती हैं कि क्या जवाब दिया जाय।

इस कारण मैं भी यह देखता हूं कि सेल्स टैक्स कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें कोई बलगत प्रश्न आता हो। उधर के लोग भी उससे इतने ही परेशान हैं जितने कि हम लोग हैं। आज इस सदन में हम कुछ भी कह कर बच सकते हैं, लेकिन चाहे विरोधी दल के, कांग्रेस के या किसी भी दल के सदस्य कोई क्यों न हों, जब वह बाहर निकलते हैं या कांस्टीटुएन्सी में जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारियां बहुत हो जाती हैं। जब एलेक्ट्रेट का सामना करना पड़ता है और अपने हर कदम को सही साबित करना होता है तब बड़ी परेशानी पड़ती है। इवेजन के बारे में जो प्राविजन उन्होंने किया है वह ठीक है। और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इवेजन नहीं होना चाहिये। जो कानून उसको रोकने के लिये आप बना रहे हैं अगर उससे भी सख्त कोई कानून आप बनायेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन आप इतना देख लें कि जो कानून आप बना रहे हैं वह मुकम्मल है या नहीं, क्योंकि आपको यह भी देखना लाजमी है कि जो व्यापारी बेईमान नहीं हैं, उनकी व्यवस्था हो सकती है या नहीं। व्यापारी वर्ग में ऐसे भी लोग हैं कि जो ईमानदारी से रुपया कमाते हैं और रोटीदाल खाकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनके साथ ही कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनका पेशा है कि कभी दिवालिये बनेंगे, कभी फर्म तोड़ेंगे, कभी अपनी इकानामिक डेथ स्वयं बुला लेंगे, उनके लिये तो ठीक है कि सख्त कानून बने, लेकिन जिस तरह से कि आप किसी से सिक्योरिटी तलब करते हैं, बहुत से गरीब हैं कि जिन्हें सिक्योरिटी के लिये कोई नहीं मिलेगा, वह किसी से सूद पर कर्ज लेंगे या औरत का जेवर बेच कर अपना फर्म चलायेंगे और वह उसकी अदायगी में कितनी मुसीबत में पड़ जायंगे। आप यह भी देख लें कि जो आपका एक्जिक्यूटिव इसको वहां चलाता है वह किस माहौल में काम करता है। जिस माहौल से माननीय मंत्री जी को भी नफरत है, वह वही पुरानी ब्यूरोक्रेसी है, हो सकता है, और यह ठीक है कि आप उसको सुधारना चाहते हैं, लेकिन अगर जईफी में कोई माननीय वित्त मंत्री जी को ही अब बदलना चाहे तो उन्हें नागवार होगा, वह अफसरान उसी पुरानी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं जो उनकी हायरार्की है, और सेल्स टैक्स अफसर, जो जिलों में हैं वह, जहां तक व्यापारियों का सम्बन्ध है, बड़ी चीज हैं। उसके लिए आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई महत्व नहीं रखता। वही एक चीज ऐसी है जिसकी सेवा में मोटर भी मौजूद हो सकता है, जो खिदमत वह चाहे उसके लिए दस्तयाब है। तो यह ब्यूरोक्रेसी जब डेमोक्रेसी में बहुत शक्तिशाली हो जाती है तो उस वक्त डेमोक्रेसी के बुरे दिन आ जाते हैं। मान्यवर, मैं वह बात कह रहा हूं, जिसमें मैं समझता हूं, सदन में दो राएं नहीं हो, सकतीं। मैं यह नहीं कहता कि आपकी एक्जीक्यूटिव एक कोने से दूसरे कोने तक इस काबिल नहीं है कि वह रखी जाय। लेकिन चन्द उसमें ऐसे हैं जो, बावजूद आप की कोशिशों के भी, अपने को अमेंड करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर नये नातजुर्बेकार जाते हैं तो उनके ऊपर ऐसा पानी फेरा जाता है, ऐसा रोगन किया जाता है कि वह भी इस दूषित वातावरण में आकर अपने सत्कर्म और कर्तव्य को भूल जाते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से क्या कहूं। वह तो उन लोगों में से हैं जो जिन्दगी की सुबह, शाम और दोपहर सब देख चुके हैं। यह बाल धूप में नहीं, तजुरबे में सफेद हुए हैं। कितने लोगों को उन्होंने शिक्षा और दीक्षा देकर, इस सदन में बिठाया, बहुतों को सेल्स टैक्स अफसर बनाया, बहुतों को उन्होंने कुछ बनाया, क्या-क्या उन्होंने नहीं किया। उनके लिए यह शोभा नहीं देता है। दूसरे मंत्रीगण से मुझे यह शिकायत नहीं होती, लेकिन जहां तक सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का सवाल आता है मेरी शिकायत लाजिमी है। अगर आप इस बुढ़ापे में इस डिपार्टमेंट को नहीं सुधार सकते तो कौन सुधार सकता है? जरा सी इसमें मेहनत की बात है। खुदा के लिए, अल्लाह के लिए आप सब चीजों पर गौर करने के बाद तब आगे कदम बढ़ाइये। यह नहीं कि आज कुछ कहते हैं दूसरे दिन आपका

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

अमेन्डमेन्ट आ जाता है। मैं समझता हूं कि अगर जमींदारी अबालिशन और लैण्ड रिफार्म्स के सम्बन्ध में माल मंत्री जी कोई अमेंडमेंट रखते हैं तो मेरी बदकिस्मती है, उनसे मेरा कहना फिजूल है।

श्री अधिष्ठाता---माननीय अवधेश प्रताप सिंह, आप कुछ और समय लेंगे ?

श्री अवधेशप्रताप सिंह---मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं खत्म किये देता हूं। मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इन सब बातों पर गौर फरमायेंगे।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत बिल का समर्थन करता हूं। यह छोटा सा बिल है और इसका संबंध उन लोगों से है जो टैक्स को इवेड करना चाहते हैं और मुल्क में तिजारत करके, मुनाफाखोरी करके, पूरा मुनाफा अपने ही पास रखना चाहते हैं और जो सरकार को देना चाहिये उससे अपना हाथ खींचना चाहते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी ? इसलिये पड़ी कि अगर कुछ लोग जो तिजारत करते हैं उसी दर्जे के लोगों में से कुछ तो ईमानदारी से सेल्स टैक्स सरकार को दें और दूसरे लोग ऐसे तौर-तरीके अख्तियार करें जिससे वे टैक्स से अपने को बचालें और सारा प्राफिट अपने पास रख लें, तो इससे टैक्स पेयर्स में बड़ा डिसकन्टेंटमेंट पैदा होता है। जो ईमानदारी से देते हैं वे कहते हैं कि हम तो दें और दूसरे न दें, यह क्या बात है ? तो इसका ऐफेक्ट टैक्स पेयर्स पर बहुत बुरा होता है और यह बात रिफ्लेक्ट करती है सरकार के इंतजाम पर, कि उसका इंतजाम पक्का नहीं है। कुछ लोग तो टैक्स दें और कुछ उसको इवेड करें। इसलिये यह एक तो सरकार की बदइंतजामी को जाहिर करता है और दूसरे टैक्स पेयर्स में डिसकन्टेंटमेंट होता है कि हम लोग ही क्यों टैक्स दें, क्योंकि हमारे संविधान में डिस्क्रीमिनेशन की कोई जगह नहीं है। इसलिये जो उसकी मंशा है वह पूरी होती है और सबको कानून एक निगाह से देखता है, सब के साथ एक बरताव होना चाहिये। इसलिये अगर हम इस इवेजन को बन्द नहीं करते हैं तो यह साबित होता है कि हमारा कानून पक्का नहीं है। इसके माने यह हैं कि जो लोग ईमानदार हैं उनको अपनी ईमानदारी की कीमत अदा करनी पड़ती है, या जुरमाना देना पड़ता है और जो लोग बेईमान हैं उनको फायदा पहुंचता है। इस प्रकार से टैक्स इवेड करने वालों के लिये यह अमेंडमेंट लाया गया है इसमें तो कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। जहां तक टैक्स का कानून है वह तो आलरेडी पास्ड है और १९४८ या ५० में वह पास हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि इसमें दो रायें हो नहीं सकतीं कि ऐसे लोग जो टैक्स नहीं देते हैं, उससे बचने के तरीके निकालते हैं, उनके लिये कोई न कोई कानून का बंधन होना चाहिये, नहीं तो जो हमारे रेवेन्यू के चैनल्स हैं अगर उनमें कोई लीकेज होता है तो यह ठीक नहीं है। जो रेवेन्यू हम पब्लिक एक्सचेकर में लाते हैं, जिससे कि हम गवर्नमेंट का ऐडमिनिस्ट्रेशन मेन्टेन करते हैं और जनता के फायदे के काम करते हैं उस रेवेन्यू के चैनल में जो लीकेज है उसको स्टाप न कर दिया जाय तो उसका नतीजा यह होगा आज एक लीकेज छोड़ दिया, कल दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, इस तरह से जितने हमारे रेवेन्यू के चैनल्स हैं वह सब बरबाद हो जायेंगे और हमारा सारा पब्लिक एक्सचेकर खाली हो जायगा, उसमें रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होगा। फिर हमारे देश की जो प्रगति है, जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं उसके लिये हमारे पास कोई और जरिया नहीं रह जाता जिससे कि हम उन ऐक्टिविटीज को फाइनेंस कर सकें। इसलिये जहां तक उस लीकेज को स्टाप करने का प्रश्न है या

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस इवेजन को रोकने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि यह तो एक मत से ही होना चाहिये और इसमें कोई दूसरा ग्राउन्ड तो ऐसा हो ही नहीं सकता है जिसमें कि उज्रदारी की जाय कि इस तरह का अमेंडमेंट नहीं आना चाहिये।

इसके अन्दर एक प्राविजन है कि सिक्योरिटी जमा करनी होगी। अगर कोई अपील करना चाहता है, वह समझता है कि हमारे ऊपर नाजायज तरीके से असेसमेंट हुआ है या सेल्स टैक्स लिया गया है तो यह तो बिलकुल ठीक है। एक आदमी जो कि पहले डिफाल्टर रहा हो, जिसने कि पब्लिक एक्सचेकर को चीट करना चाहा हो, तो मैं समझता हूं कि उसके लिए यह बिलकुल ठीक है। उसकी सुनाई अवश्य होनी चाहिये, उसके साथ इंसाफ होना चाहिये; लेकिन अगर उससे यह कहा जाता है कि तुम्हारी सुनवाई तब तक नहीं होगी जब तक कि तुम सिक्योरिटी जमा नहीं करोगे, तो ऐसा तो इन्कम-टैक्स में भी होता है, हर जगह गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेती है। आजकल ऐलेक्शन पेटीशन अदालतों में चल रहे हैं, उसमें भी यह है, नहीं तो सभी एलेक्शन पेटीशन फाइल करने लगें। उसमें यह है कि अगर खारिज हो गया तो दूसरी पार्टी का खर्चा अदा करना होगा। मैं समझता हूं कि यह तो बहुत ही उचित प्राविजन रखा गया है और यह राष्ट्र की सेफ्टी के लिये है। सरकार तवालत में न पड़े, मुकदमा न करना पड़े, उसकी जायदाद को नीलाम न करना पड़े, अगर सिक्योरिटी जमा है तो सरकार उसको अपने हाथ में कर सकती है, उस रुपये को फौरन जमा कर सकती है, उस हद तक जिस हद तक कि उसको टैक्स देना है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें कोई उज्रदारी की गुंजाइश हो नहीं सकती, क्योंकि जहां तक सेल्स टैक्स का प्रश्न है वह तय ही है और उसका ऐक्ट बना हुआ है। उसके प्राविजन्स के इवेजन को रोकने के लिये एक ऐसी धारा लायी गयी है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई गुंजाइश उज्रदारी की नहीं है और बहुत सारे माननीय सदस्य इसको एक मत से, एक राय से पास करेंगे।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब आज यह संशोधन विधेयक पास होने जा रहा है उस दिन भी इस पर सरकार की ओर से संशोधन पर संशोधन आता हो तो उससे यह प्रत्यक्ष प्रमाणित होता है कि इस सेल्स टैक्स की नीति पर अभी सरकार का माइन्ड क्लीअर नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी और उनके सहायक सभा-सचिव महोदय की काबलियत पर शक नहीं करता, वह बहुत काबिल हैं, लेकिन सन् ४८ की प्रोसीडिंग्स को मुझे पढ़ने का मौका मिला। अपर हाउस में सब सदस्यों ने कहा कि इसको सेल्स टैक्स हम तभी कहते जब कि जो चीज को बेचता है उस पर वह टैक्स लगता। लेकिन यह टैक्स जो लगता है वह बेंचने वाला कंज्यूमर से ले लेता है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह सेल्स टैक्स किस तरह से हुआ। अगर हम होटलों में जाते हैं तो वहां भी हमारे ऊपर सेल्स टैक्स लगता है। अन्य बहुत सी बातें इस हाउस में कही गईं, लेकिन मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन धारा ४ को देखते हुये मुझे ताज्जुब होता है। १९४८ के बाद पहली अप्रैल को आर्डिनेंस लगाया गया था और अब यह संशोधन आ रहा है। मैं समझता हूं कि इस जनतांत्रिक प्रणाली में जनता की भावनाओं की कद्र करनी चाहिये और जिन दूकानदारों पर यह संशोधन लागू होने जा रहा है उन पर किस तरह से यह लागू किया जायगा, इसको भी सोच समझ लेना चाहिये। संशोधन होते हैं और संशोधन पर भी संशोधन होते हैं। दूसरे देशों का अगर इतिहास आप देखें, जैसे अमेरिका में अगर किसी व्यक्ति से आप पूछें कि वह संशोधन चाहता है तो यही उत्तर मिलेगा कि वह नहीं चाहता। वह सोचता है कि संशोधन जाने क्या मुसीबत लाये। लेकिन यहां सरकार संशोधन पर संशोधन कर रही है। संशोधन तभी किया जाता है जब टैक्स की वसूली में दिक्कत होती है, लेकिन देखना यह है कि सरकार जिनसे वसूल करने जा रही है उनके भी सुभीते का कोई ध्यान रक्खा जाता है या नहीं।

[श्री प्रताप सिंह]

दूकानदारों की रजिस्ट्री का प्रश्न आया। इस संबंध में यह भी सरकार को देखना चाहिये कि जैसे फ़्रूट्स एण्ड पुटेटोज के दूकानदार हैं, जो सेल्स टैक्स से एग्जेम्पटेड हैं उनको क्यों रजिस्टर किया जाता है, वे क्यों हिसाब-किताब रक्खें? श्रीमन्, मैं वित्त मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि जिन चीजों पर सेल्स टैक्स नहीं है उनके दूकानदारों को सेल्स टैक्स आफिसर्स का तलब करना और उनको रजिस्टर करना और हिसाब-किताब उनसे रखवाना मेरी समझ में तो बेकार है। वहां जाने के बाद वे कहते हैं कि हम एग्जेम्पटेड हैं, हमको क्यों बुलाया गया है? फ़्रूट्स एण्ड पुटेटोज डीलर्स, जिन पर सेल्स टैक्स नहीं पड़ता है, उनकी रजिस्ट्री कराना न्यायसंगत नहीं है।

रजिस्ट्रेशन का जहां तक सवाल है वह तो हो ही, लेकिन अगर माननीय सदस्य इस संशोधन विधेयक को गौर से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अगर सरकार चाहे तो उनसे जमानत भी मांग सकती है। लेकिन किससे कितनी जमानत ली जायगी यह साफ नहीं है। विधेयक में यह साफ होना चाहिये कि जिसकी आमदनी ५०० रुपया है उससे इतनी जमानत ली जायगी और जिसकी उससे अधिक या कम है उससे इतनी-इतनी जमानत ली जायगी।

इसके अलावा जो दूकानदार ईमानदारी से अपनी दूकान चलाते थे, सही तरीके से अपना हिसाब रखते थे, उनको अब इस रजिस्ट्रेशन की वजह से कुछ बेईमानी करनी पड़ेगी। क्यों? इसलिये कि कुछ दूकानदार ऐसे होते हैं जिनकी आमदनी साल में एक या दो महीने ही अधिक होती है और उनको पूरे साल भर का हिसाब रखना पड़ेगा। उसके लिये उनको ४० रुपये महीने का एक क्लर्क, जिसे मुनीम कहते हैं, रखना पड़ेगा। सरकार की नीति इस संबंध में स्पष्ट होनी चाहिये।

यह बिल प्रवर समिति को भेजा जाता है। मैं प्रवर समिति के सदस्यों की काबलियत की सराहना करता हूं। प्रवर समिति एक तरफ तो कहती है कि धारा ४ में राष्ट्रीय सरकार भी संशोधन का विचार कर रही है और उसके बाद कहती है कि इसको इसमें रक्खा जाय और पारित कराया जाय। श्रीमन्, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। अगर राष्ट्रीय सरकार फिर संशोधन करने जा रही है तो क्या जरूरत है कि दफा ४ इसमें इस प्रकार रक्खी जाय? सेल्स टैक्स वालों से अगर जमानत ली जाती है तो मैं माननीय मंत्री से पूछूंगा क्या एग्रीकल्चर वालों से भी जमानत ली जाती है? मैं लम्बी बातों में न जाकर सिर्फ इतना ही कहूंगा कि दफा ४ गलत है। छोटे-छोटे दूकानदार किस तरह से जमानत देंगे? अगर जमानत लेनी है तो बाकायदा कहना चाहिये कि इतनी आमदनी वालों से इतनी जमानत लेंगे और इतनी आमदनी वालों से इतनी जमानत लेंगे। जिस आदमी की कोई आमदनी ही न होगी अगर उससे जमानत मांगी गई तो वह कहां से जमानत देगा? इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जब कानून में वे संशोधन करें तो जहां सरकार की सुविधा का ख्याल किया जाय वहां जिन पर कानून लागू होने जा रहा है उनकी सुविधा का भी ख्याल रक्खा जाय।

रिवाइजिंग अथारिटी के पास अपील करने की बात है तो मेरी मंत्री महोदय से इतनी इस्तदुआ है कि ३० दिन के बजाय ४५ दिन का समय उसको मिलना चाहिये। इन शब्दों के साथ जिस तरह से यह संशोधन रक्खा गया है उसका मैं विरोध करता हूं और मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि फिर इस पर सोचा जाय और सही तरीके से संशोधन हो।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। दो बातों पर माननीय सदस्यों ने ज्यादा जोर दिया है। पहली बात यह कि अगर कानून मुकम्मल बनाया गया होता तो ज्यादा अच्छा होता और इस प्रकार रोज तब्दीली करने की आवश्यकता नहीं रहती। तब्दीली करने का अर्थ है कि गवर्नमेंट उसको एक बार में नहीं समझ सकी और न उसके

एक्सपर्ट्स ही समझ सके। यद्यपि हमारे मंत्री महोदय बड़े योग्य आदमी हैं, लेकिन ऐसा होते हुये भी यह बात नहीं हुई। मैं बहुत अदब के साथ एक बात बतलाता हूं कि यह बात जो उन्होंने कही कि कानून मुकम्मल होना चाहिये था, यह बात कहने में और सुनने में बड़ी सुन्दर सी मालूम होती है, परन्तु जब हम इसे प्रैक्टिस में लाना चाहें तो मैं यह कहूंगा, कि यह असंभव सा है और विशेषतया आज के युग में, जिस समय कि हमारी यह धारणा हो गयी है कि गवर्नमेंट कोई कानून बनाये हम उससे बचाव का उपाय निकालने के लिये पहले से ही तैयारी में लगे रहते हैं। ऐसी दशा में यह आवश्यक हो जाता है है कि जो हमारे सामने कठिनाइयां आयें उनको हम समय-समय पर दूर करते रहें। साथ ही यह सेल्स टैक्स का जो कानून है, यह यू०पी० के लिये एक नयी चीज है और स्वाभाविक बात है कि नयी चीज के अन्दर ऐसी कुछ बातें रह सकती हैं जिनको समय-समय पर हमको बदलने की आवश्यकता पड़े।

दूसरी बात, हमारे माननीय सदस्यों ने इस बात पर बड़ा जोर दिया कि सिक्योरिटी जो रक्खी गयी है, यद्यपि उसमें संशोधन की आवश्यकता है और वह इस तरह से हमारे सामने अभी स्पष्ट नहीं है, परन्तु बावजूद इसके, मैं माननीय सदस्यों को यह बतलाऊं कि सेल्स टैक्स की चोरी एक आम चोरी है। आज एक फर्म ने अपना रजिस्ट्रेशन १० रुपया देकर किसी के नाम कराया, लेकिन वास्तविक फर्म का नाम कुछ और है, और इस तरह से १० रुपया देकर उन्होंने ४ फर्मों का रजिस्ट्रेशन करा लिया और लाखों रुपये का काम कर रही हैं, लेकिन जब टैक्स देने की बात आये तो वह फर्म गायब है, उसका कोई पता नहीं है। हम जानते हैं कि उसके पार्टनर्स और प्रोप्राइटर्स कौन थे, लेकिन वह फर्म गायब है। तो इस तरह से यह कह देना कि इससे व्यापारियों और फर्म्स को बड़ी असुविधा होगी, मैं नहीं समझ सकता कि कहां तक ठीक है। उनको तो आगाह किया जा रहा है कि तुम जो आज तक काम करते थे उससे सरकार की हानि होती थी और देश के चरित्र के ऊपर भी वह एक प्रकार का धब्बा था।

माननीय साथी ने अभी विदेशों की बात कही कि अगर अमरीका में कोई कानून बदलने की बात कहे तो लोगों को बड़ी हिचकिचाहट पैदा हो जाती है। मैं बहुत अदब के साथ उन माननीय सदस्य को यह बतलाऊंगा कि जहां तक चरित्र संबंधी बात है, वहां दूसरे देश हमसे बहुत आगे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस हद तक पहुंच जायं। हमारे यहां टैक्सों की चोरी करना या टैक्स न देना, या अपनी आमदनी को छिपाना, यह कोई पाप नहीं समझा जाता और इसके विपरीत अपनी बहादुरी, कुशलता और योग्यता समझा जाता है। परन्तु विदेशों में इस बात को एक चारित्रक अवगुण माना जाता है, कि कोई मनुष्य गवर्नमेंट के कोष में इस प्रकार के कर को देने की अवहेलना करे, या उसके एवेजन (Evasion) के लिये कोशिश करे।

साथ ही एक बात एक माननीय सदस्य ने कही, यद्यपि वह कोई माने नहीं रखती, कि यह सेल्स टैक्स नहीं है, बल्कि कंज्यूमर टैक्स है? यह चीज विचाराधीन तो इस समय नहीं है, परन्तु उन्होंने जब कहा है तो मैं बतलाऊं कि अगर वास्तव में वैसे आप देखें तो हर sales tax कंज्यूमर टैक्स में ही आ जायगा और सेल्स टैक्स से जब आप बचना चाहेंगे तो वास्तव में जो उसका प्रभाव पड़ेगा वह कंज्यूमर पर पूरा पड़ेगा। तो इन दोनों संशोधनों से मैं तो यह समझता हूं कि ये जो टैक्स में एवेजंस (Evasions) वंचन हैं, जो आज तक हम करते चले आ रहे हैं, इनको रोकने के लिये जो दो सुझाव हमारे सामने रखे गये हैं, इनसे हमको आशा यह है कि शायद कुछ ज्यादा कर सरकार को मिल सके।

जहां तक सिक्योरिटी की बात है, उन्होंने यह कहा कि उसके लिये कोई धनराशि उन्होंने निर्धारित नहीं की कि इतने पर इतना दिया जाय और इतने पर इतनी सिक्योरिटी ली जाय। तो यह तो संशोधन है, इसके द्वारा एक चीज पूर्णतया प्रकाश में नहीं लायी

[श्री छत्रपति अम्बेश]

जा सकती, वह तो रूल्स में बता सकेंगे। हां, यह नहीं होगा कि जिसकी सेल साल में १,००० की है उससे सिक्योरिटी १,००० की मांग बैठें। उसमें रिवीजन भी है, ३० दिन का टाइम भी है, और रिवाइजिंग अथारिटीज, जैसा कि हम देखते चले आये हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि कहा गया है, और इन्कम टैक्स में देखा गया है कि रिवाइजिंग अथारिटी काफी सहानुभूति टैक्स देने वालों के साथ करती हैं और उनसे कर दाताओं को बहुत राहत मिलती है और मुझे विश्वास है कि यहां भी राहत मिल सकेगी। परन्तु मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रार्थना करूंगा कि वह सिक्योरिटीज के बारे में स्पष्टीकरण करें और इस बात का ख्याल रखें कि व्यापार में क्षति न हो, क्योंकि पूंजी की व्यापार में वैसे ही बहुत कमी है। यदि इस कमी को सरकार पूरा नहीं कर सकती है और पूरा करने में असमर्थ है तो जो व्यापारी थोड़ी सी पूंजी लिये बैठे हैं वह सिक्योरिटीज के नाम पर जमा करा ली जायगी और व्यापारी बैठे रह जायंगे। मैं इन शब्दों के साथ इस (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, मैं इस माननीय सदन में बैठकर इस अधिनियम के संबंध में जो भाषण हुये हैं, उनको सुनता रहा और मैंने यह देखा कि छोटा सा संशोधन विधेयक इस सदन में प्रस्तुत है और इस पर बहुत से ऐसे भाषण हुये कि जिनका इससे कोई संबंध नहीं था। जो मुख्य बातें विरोधी दल की ओर से बताई गईं उनका जवाब अच्छी तरह से सरकार की ओर से सदस्यों ने दिया। लेकिन मैं सिर्फ दो, तीन बातें आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं। विरोधी पक्ष को इस पर बड़ी आपत्ति है कि समय-समय पर इसमें परिवर्तन होते रहे हैं जो नहीं होने चाहिये थे। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जो कानून यहां पर बैठकर हम और आप सब बनाते हैं, यह विरोधी पक्ष के सदस्यों को जानना चाहिये कि, कानून की प्रत्येक धारा प्रांत के हजारों उच्च कोटि के वकीलों की नजर से गुजरती है और वह उसकी छानबीन करते हैं और अदालत में जब प्रश्न उपस्थित होता है तो एक-एक शब्द पर घंटों बहस होती है कि आया इसके माने यह हैं या दूसरे हैं। पक्ष विपक्ष में बहस हुआ करती है और अन्त में न्यायाधीश निर्णय देता है। तो कभी-कभी हो सकता है कि जो हमारी मंशा है उसके विरोध में भी उनका निर्णय हो जाता हो। उस समय संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ती है। जहां तक मैं समझता हूं कि जो संशोधन सदन में प्रस्तुत हैं वह उन फैसलों की वजह से ही हैं।

जो मुख्य बात हमें देखना है वह यह कि सेल्स टैक्स के द्वारा जो धनराशि एकत्रित की जा रही है और जिसे सरकार एकत्रित कर रही है वह एक पवित्र कार्य के लिये कर रही है। देश की उन्नति के लिये जो कार्य हो रहे हैं उनमें यह धन खर्च किया जा रहा है, तो हमारे प्रांत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह धनराशि, जो सरकार को मिलनी चाहिये उसमें किसी को छूट न मिल सके और हमने और आपने देखा है कि जहां तक हो सकता है व्यापारी वर्ग इस धनराशि को देने से बचता रहता है और उसी के रोकने के प्रयत्न में हम लग रहे हैं। आप किसी व्यापारी से सेल्स टैक्स के संबंध में बात कीजिये तो वह कहता है कि बड़ी परेशानी है, हम हिसाब कैसे रखें, एक आदमी नौकर रखें। यह परेशानी की बात नहीं है। जब आप रोजगार करते हैं, उससे लाखों रुपये की आमदनी करते हैं तो आपका यह कर्त्तव्य है कि पाई-पाई का हिसाब ठीक रखें, और यदि आप ईमानदारी से उस हिसाब को अधिकारियों के समक्ष रखें तो कोई वजह नहीं है कि वह आपसे अनुचित टैक्स की रकम वसूल करने का प्रयत्न करें। मेरा नम्र निवेदन है कि जो संशोधन विधेयक यहां पर पेश किया गया है वह ऐसी कम्पनियों के संबंध में है जिनका अनुभव सरकार के अधिकारियों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ है और जिनके ऐसे बहुत से मुकदमे हाई कोर्ट और अन्य अदालतों में गये हैं। उनमें अदालतों ने फैसला किया है और उसकी वजह से सरकार का लाखों रुपये का नुकसान हुआ है क्योंकि नियम के अन्दर वे नहीं आते थे। आपने अनुभव किया होगा कि बहुत से लोग कम्पनियां खोलते हैं, फिर दिवालिया हो जाते हैं, या आज नाबालिग लड़के के नाम दूकान है तो दो महीने बाद किसी दूसरे के नाम हो जाती है। तो ये सब दिक्कतें पड़ती हैं जिसकी वजह से इस प्रकार का संशोधन विधेयक लाने की आवश्यकता पड़ी।

दूसरी बात विरोधी दल की तरफ से सिक्योरिटी के संबंध में कही गयी। मैं आपके द्वारा उन सज्जन का ध्यान उस धारा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। यह उन्हीं रोजगार करने वाले दूकानदारों या कम्पनियों के संबंध में है जिनके बारे में अधिकारियों को कुछ शंकायें उत्पन्न हों। मैं उस धारा को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

"कार्य निर्धारक अधिकारी जहां पर राजस्व की सुरक्षा के निमित्त उसे ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो।"

अब कितना राजस्व होगा? अगर कोई कहे कि किसी रोजगार करने वाले से १० हजार रुपये की सिक्योरिटी मांग लेगा तो यह सोचना भी गलत है। अन्दाजन उसको जितना देना पड़ेगा लगभग उतनी रकम अगर उससे सिक्योरिटी के रूप में अधिकारी पहले मांग लेता है तो उसमें कोई अनुचित बात नहीं है। अधिष्ठाता महोदय, इन्कम टैक्स ऐक्ट के अनुसार भी जिसके ऊपर इन्कम टैक्स लगता है उससे एक वर्ष की अन्दाजन रकम पेशगी जमा करने को कहा जाता है। तो करीब-करीब उसी प्रकार का इसमें भी है कि अगर अधिकारी यह समझे कि फलां व्यक्ति या कम्पनी राजस्व देने में कुछ गड़बड़ी करेगी या कोई ऐसी बात होगी, तो सरकार को उसे वसूल करने में कोई कठिनाई न पड़े इसलिए वह उनसे सिक्योरिटी मांग सकता है। इस बात को भी विरोधी पक्ष के सदस्यगण मानते हैं कि राजकार्य के लिये या देश की उन्नति के लिये टैक्स लेना है। जब यह बात है तो फिर जो उसके रास्ते निकाले जाते हैं उनको भी स्वीकार करना अनुचित नहीं होगा। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो विधेयक है इसमें कुछ बहुत सीधे सादे संशोधन हैं और मैं समझता हूं कि इस पर इतने बड़े वाद-विवाद और टीका टिप्पणी का अवसर नहीं था। मैं भी उस प्रवर समिति का सदस्य था और जितनी आपत्तियां की गई हैं वह उसमें भी आई थीं और बड़े विचार के बाद यह निर्णय लिये गये।

श्रीमन्, इस संशोधन की आवश्यकता तब पड़ी कि जब केन्द्रीय सरकार ने नयी मुद्रा प्रणाली के आधार पर व्यवस्था बनाई। पुराने अधिनियम में आने और पाई के ऊपर व्यवस्था बनाई गई थी, आप इसमें देखेंगे कि प्रतिशत की बात रखी गई है। जो पुराना विधेयक था उसको इस नयी मुद्रा प्रणाली में रखने से कार्य रूप में कठिनाई पड़ती। एक कारण तो यह रहा कि नयी सिक्का प्रणाली के कारण यह विधेयक आया। यह ठीक है कि केन्द्रीय सरकार की इस व्यवस्था के बाद कि तीन वर्ष तक दोनों प्रकार के सिक्के चल सकते हैं इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं रहती, किन्तु एक बात और मालूम हुई और वह यह कि इसमें बहुत से लोग गड़बड़ी करते हैं। इस ऐक्ट में एक ऐसी धारा थी कि यदि एक फर्म एक नाम से अपना कारबार बन्द करता है और कल दूसरे नाम से आरम्भ हो जाता है तो वह इस प्रकार अपना पिछले कई साल का टैक्स बचा जाता है। इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि कोई ऐसी धारा लाई जाय कि जो राजस्व है उसको वह लोग बचा न सकें और जिसको जितना देना है वह उतना दे। दूसरा कारण इस संशोधन विधेयक को लाने का यह है।

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

धारा ४ के बारे में कहा गया कि सिक्योरिटी लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि यह बड़ी आवश्यक बात है। कोई फर्म चल रहा है और उसके जिम्मे काफी राजस्व इकट्ठा हो गया, उतना देने का सामर्थ्य उसमें है नहीं, तो वह धन कैसे वसूल होगा ? तो राजस्व की सुरक्षा की दृष्टि से यह किया गया है और उसमें लिखा गया है कि अधिकारी को च्वायस होगी। यदि वह अधिकारी देखता है कि उससे व्यापार को क्षति होती है तो वह सिक्योरिटी मांगेगा नहीं, लेकिन जहां राजस्व की सुरक्षा की जरूरत है वहां वह सिक्योरिटी मांगेगा।

यह दो तीन संशोधन हैं जो कि निर्दोष और निर्विवाद हैं, किन्तु इनको लेकर ही सारे सेल्स टैक्स ऐक्ट की आलोचना हुई। यह मेरी कुछ समझ में आया नहीं। अन्त में मैं अधिक समय न लेकर सदन से इतना ही निवेदन करूंगा कि जो प्रवर समिति की रिपोर्ट है उस पर आधारित इस संशोधन विधेयक को वह स्वीकार करे।

*श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी जो सेल्स टैक्स (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत है उसके लिये मैं प्रवर समिति को धन्यवाद देता हूं परन्तु जिस धारा ४ के बारे में अभी सरकारी बेंच के दो माननीय सदस्यों ने कहा है और यह बतलाया है कि यह एक सीधा सादा विधेयक है, इसको शीघ्र ही पास हो जाना चाहिये, उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इस सेल्स टैक्स कानून ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। इसमें जो यह हिसाब-किताब रखने की बात कही गई है कि जो व्यापार करता है उसे हिसाब-किताब रखना ही चाहिये, उसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि जिसका व्यापार बहुत छोटा है, और ऐसे लोगों की संख्या इस प्रदेश में बहुत ज्यादा है, उनको इसका पालन करने में बड़ी दिक्कत पड़ेगी। मैं नहीं समझता कि यह बात उनके लिये कहां तक उचित है। जिसकी आमदनी ७०, ८० रुपया माहवार है और जो १,००० या २,००० रुपया लेकर अपना काम किसी प्रकार चलाता है उसको बड़े-बड़े व्यापारियों की तरह हिसाब रखना, जिसके लिये कि १०० रुपये महीने के मुनीम की आवश्यकता पड़े, कैसे मुमकिन होगा ?

दूसरी बात जो धारा ४ के बारे में कही गयी कि यह तो ऐसी स्थिति में लिया जायगा कि जब सेल्स टैक्स अधिकारी को यह विश्वास हो जायगा कि सम्भवतः उस व्यक्ति से टैक्स वसूल नहीं हो सकता है तब रजिस्ट्री के पहले रुपया जमा करने के लिये वह कहेगा; किन्तु जहां तक अविश्वास या शक का सम्बन्ध है बहुत बड़े व्यापारी को भी आज सरकारी अधिकारी सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। इन्कम टैक्स और सेल्स टैक्स के बारे में तो सन्देह बना ही रहता है। जब इस प्रकार का कानून उनके हाथ में हो तब उनको शंका न हो यह तो कैसे माना जा सकता है। वे व्यापारी जो बहुत छोटा व्यापार करते हैं किसी प्रकार से रुपया इधर उधर से लेकर अपना काम चलाते हैं और तब अपना व्यापार शुरू करते हैं। अगर वह अपना व्यापार शुरू करना चाहता है तो पहले उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि सरकारी अधिकारी उससे हजार रुपया सिक्योरिटी के लिये मांगते हैं और वह नहीं दे सकता है तो उस व्यापारी के सामने कितनी कठिनाई पैदा होगी। इस प्रकार से इसमें लिखा है कि वह इसकी अपील कर सकता है, परन्तु अपील करने के पहले उसे वह धनराशि अवश्य जमा करनी होगी। तो वह बेचारा कितनी परेशानी में फंस जायगा, जो ठीक प्रकार से यह नहीं समझ पाता है कि कहां अपील करे और क्या करे।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो भी व्यक्ति या जो सदस्य यहां पर उपस्थित हैं वह भी यदि व्यापारी होंगे तो समझते होंगे कि वह इसका हृदय से स्वागत करते हैं या दिखावे का स्वागत करते हैं। आज व्यापारी वर्ग को कितनी कठिनाई में घसीटा जा रहा है। मान्यवर, मैं तो कहूंगा कि यह जो रुपया जमा करने वाली बात है इसमें संशोधन होना चाहिये था, क्योंकि इन्कम-टैक्स या दूसरे मामलों में जब किसी के ऊपर जुर्माना हो जाता है तब वह उसकी अपील करता है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन उसको मजबूर नहीं किया जाता है कि वह पहले जुर्माना जमा करे और बाद को अपील करे। इस सेल्स टैक्स के बारे में पहले उसको रुपया जमा करना होगा तब वह अपील कर सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आया।

दूसरे यह कि यह जो विधेयक यहां पर उपस्थित है यह सन् १९४८ में ओरिजिनल ऐक्ट के रूप में आया था। उसके पश्चात् सन् १९५३ में इसमें संशोधन हुआ। उसके बाद सन् १९५६ में आर्डिनेन्स आया और फिर ५६ में ही दो बार संशोधन हुये। कानून बनता है और संशोधन भी उसमें आते हैं लेकिन कोई भी कानून जिसमें साल में दो बार संशोधन हों तो उसके सम्बन्ध में कानून बनाने वालों के लिये क्या कहा जा सकता है। यदि कानून को हर प्रकार से सोच विचार कर और ठीक प्रकार से, एक बार नहीं दो बार सोच समझकर पेश किया जाय तो ज्यादा अच्छा है। यहां पर काफी वकील हैं और बैरिस्टर हैं और माननीय मंत्री जी काफी योग्य हैं। आज व्यापारी व्यापार करते समय अपने को सुरक्षित नहीं समझता। जिस देश में ईमानदारी से काम करने वालों पर सन्देह किया जाय तो वह किस प्रकार से सामाजिक उन्नति कर सकता है? व्यापारी के ऊपर हम लोग बड़ी श्रद्धा रखते हैं, लेकिन हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि रुपया उनसे ही जमा कराया जायगा जिन पर शंका पैदा होगी। शंका की डेफिनीशन इस सेल्स टैक्स बिल के अन्दर नहीं दी गयी है कि वह शंका कैसी होगी। तो मान्यवर, मैं इतना ही कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)---माननीय अधिष्ठाता जी, जो तक़रीरें यहां हुईं उन सब को तो मैं नहीं सुन सका लेकिन इस संशोधन से, जैसा मैं समझ सका हूं, ऐसा मालूम होता है कि इसमें न्याय नहीं है। आज हमारी जिन्दगी में सेल्स टैक्स बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है। मेरा तो साफ-साफ़ यह कहना है कि सेल्स टैक्स कंज्यूमर पर पड़ रहा है। दूकानदार अपनी क़ीमत तो लेता ही है, साथ में सेल्स टैक्स का भी इज़ाफा करता है। ऐसी सूरत में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह छोटा हो या औसत दर्जे का हो या बड़ा हो, कोई भी, सेल्स टैक्स की जद से बच नहीं सकता। सेल्स टैक्स से बचता है बड़ा व्यापारी या जो चोरबाजारी में एक्सपर्ट है। जरूर यह संशोधन इसलिये है कि कोई अपनी बिजनेस छिपा न सके। मेरे जिले में राब और खांडसारी के व्यापारियों पर आढ़त पर टैक्स लगा हुआ है और सन् ५५-५६ में आप ५२-५३ का टैक्स लगा रहे हैं। वहां जिले में और भी व्यापारी हैं जिन पर टैक्स नहीं लगा है। वहां नोटिस की यह सूरत है कि वह सबके पास नहीं जाता है। वहां के अधिकारी कहते हैं कि उनके सामने कोई अगर बतलावे कि फलां शख्स टैक्स के काबिल है जब हम टैक्स लगावेंगे। गवर्नमेंट के आफीसर्स इस बात का पता नहीं लगा सकते कि कौन ऐसा राब और खांड का व्यापारी है जो कि टैक्स देने के क़ाबिल है। जो ग़लत या सही इत्तिलात उनके पास पहुंच जाती हैं उन्हीं के ऊपर वे टैक्स लगा देते हैं। सन् ५२-५३ का टैक्स सन् ५५-५६ में लगाया जाता है और हिसाब-किताब भी मांगा जाता है। उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टैक्स अलहिदा है और गांव का टैक्स अलहिदा है। हजारहां किस्म के टैक्स हैं। इस तरह से टैक्स का, बोझ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है।

सेक्शन ४ पर दोनों ओर से ख्यालात का तबादला हुआ। कुछ सदस्यों का कहना है कि सिक्योरिटी होनी चाहिये और कुछ का कहना है कि नहीं होनी चाहिये। लेकिन, बन्दानवाज आपने कुल ३० दिन का टाइम दिया है। कोई मुजरिम होता है तो उसे भी जुर्माना अदा करने के लिये स्टे आर्डर लाने का हक़ हासिल है, वह सेशन कोर्ट से या किसी ऊंची अदालत से स्टे आर्डर ला सकता है और अपील का फैसला होने तक जुर्माना अदा करने से बच जाता है। मगर यहां आपने वह भी नहीं रखा है। आप यहां चाहते हैं कि जमानत, जिसकी कोई सीमा नहीं है, पहले ही जमा होनी चाहिये। आपके आफ़ीसर ही इसका ताइयुन करेंगे कि कितनी सिक्योरिटी होनी चाहिये। आप चाहते हैं कि जमानत पहले जमा की जाय और फिर दादरसी के लिये निगरानी की जाय। अपील का शब्द आपने नहीं रखा है, निगरानी रखा है। निगरानी और अपील में बहुत बड़ा जबरदस्त फर्क है। हाईकोर्ट के लिये निगरानी की कोई मुद्दत नहीं है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराज बहादुर]

वहां रिवाज है कि ९० दिन में निगरानी होनी चाहिये। लेकिन इस कानून में आपने रखा है कि ३० दिन में निगरानी हो जानी चाहिये। यदि कोई ३० दिन में सिक्योरिटी जमा न कर पावे तो वह निगरानी भी नहीं करा सकता है। हाई कोर्ट में कोई निगरानी इस बिना पर खारिज नहीं की जा सकती कि वह टाइम-बार्ड है। मैं चाहूंगा कि आप इसमें कम से कम ३० दिन का टाइम सिक्योरिटी जमा करने के लिये दें और ९० दिन का समय निगरानी के लिये दें। बल्कि मैं तो यह अर्ज करूंगा कि आप अपील रखिये। बहुत सी धांधलियां और ग़लतियां हो जाती हैं जिनका करेक्शन नहीं हो पाता है। बहुत से ऐसे मामले हैं जो कानून की ज़द में नहीं आते हैं लेकिन वाक़यात की ज़द में आते हैं। अगर आप बजाय निगरानी के अपील कर दें तो ज्यादा आसानी होगी। हमारा देश ग़रीब है। रोज़ टैक्स बढ़ रहे हैं। हमें अपने देश की हालत और व्यापारियों और खरीदारों की हालत को देखना चाहिये। पिछले सालों में खांडसारी के व्यापारियों को काफी नुकसान रहा। जब उनकी राब बड़े-बड़े व्यापारियों के पास चली गई तब तेजी आई और अब ५ साल बाद आप उन छोटे व्यापारियों से टैक्स मांग रहे हैं, जब कि उनके पास कोई हिसाब-किताब नहीं है। मैं यह तो नहीं उम्मीद करता कि हमारे मिनिस्टर साहब ऐसे हो जावें जैसे खात्मुलनबी थे। कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। चेन्ज इज़ ला आफ नेचर (change is law of nature), इसे हम नहीं रोक सकते हैं, तब्दीलियां होती हैं। हमने ३० दिन का टाइम भी दे दिया और इसमें लफ्ज़ 'may' रखा गया है, यानी आफ़ीसर साहब की डिसक्रीशन पर है। उसमें 'shall' रखकर पाबन्दी होनी चाहिये।

मैं आपके जरिये मिनिस्टर साहब से फिर कहना चाहता हूं कि वह बजाय रिवीज़न के अपील रखने की मेहरबानी करें और कम से कम ९० दिन का टाइम मिलना चाहिये। यह भी मालूम हो जाना चाहिये कि किस हद तक सिक्योरिटी डिमांड की जा सकती है। तब इसमें सहूलियत होगी।

श्री धर्म सिंह—अधिष्ठाता महोदय, प्रातःकाल से लेकर अब तक बहुत से माननीय सदस्यों ने, उधर के बैठने वालों ने और इधर के बैठने वालों ने, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, अपने-अपने विचार व्यक्त किये। जहां तक विरोधी दल की बातों का सम्बन्ध है, इधर के बैठने वालों ने उनकी बहुत सी बातों का जवाब दे दिया है। फिर भी जो बातें कही गयी हैं, मैं उनका जवाब देना अपना कर्तव्य समझता हूं।

जहां तक टैक्स छोड़ने, इवेजन करने और रुकावट डालने का सम्बन्ध है, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, सभी ने इस बात को माना है कि इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही सरकार कर रही है, वह ठीक कर रही है और यह, कि यह, कार्यवाही बहुत पहले हो जानी चाहिये थी। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है और यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे मुल्क का इतना ऊंचा कैरेक्टर नहीं है। एक तरफ तो आप कंज्यूमर से टैक्स लेते हैं लेकिन जब देने की बात आती है और सरकार यह कहती है कि आपने टैक्स लिया है, उसको आप दीजिये तो व्यापारियों की ओर से हर प्रकार की परेशानियां पैदा की जाती हैं और कहा जाता है कि सरकार इस प्रकार से ज्यादती कर रही है। सरकार तो वही टैक्स वसूल करने जा रही है जिसको उस दूकानदार या फर्म ने छोटे लोगों से या बड़े, चाहे वे अमीर हों या गरीब, वसूल कर लिया था और उसको देने का नाम नहीं लेता। जब कि इस देश में गरीबी है, जब कि हम अपने प्लान्स के लिये पैसे की आवश्यकता है, दूकानदार इतनी कुरबानी करने के लिये भी तैयार नहीं हैं, तो फिर आखिरकार हमारा काम कैसे चलगा? हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे?

जहां तक इस विधेयक के संशोधनों का ताल्लुक है, मैंने इस सदन में हमेशा सुना है और विशेष रूप से उधर के बैठने वालों ने कहा है कि आज एक फर्म चल रही है, ९ महीने तक चली, अथवा ११ महीने तक चली, लेकिन बारहवें महीने में वह लापता हो जाती है। आखिरकार सरकार ने कौन सा गुनाह किया है? उसने केवल इस प्रकार की चीजों को रोकने के लिये ही तो यह बिल प्रस्तुत किया है।

माननीय नारायणदत्त जी ने फरमाया कि इसका स्वरूप बदल कर आना चाहिये था, ओवरहालिंग होनी चाहिये थी। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, मुझे अच्छी तरह से याद है और माननीय लहरी साहब ने उस तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित किया था, जब यह विधेयक पिछली मर्तबा पेश किया गया था तो माननीय पालीवाल जी ने एक संशोधन पेश किया था कि हम इस विधेयक को जिसे हम प्रवर समिति को भेजने जा रहे हैं और जितने भी विधेयक आज तक आये हैं, उन सब पर विचार करें, लेकिन सरकार ने उसको टर्न डाउन कर दिया था और यह निवेदन किया था कि जहां तक इस विधेयक का जूरिसडिक्शन है वहां तक प्रवर समिति विचार करे और इसी माननीय सदन के माननीय सदस्यों के सामने प्रवर समिति में इस विधेयक को भेजा गया था। फिर किस प्रकार से माननीय तिवारी जी कहते हैं कि सन् १९४८ से लेकर आज तक जितने भी संशोधन हुए हैं और जो सरकार करना चाहती है उन सबको इसके जूरिसडिक्शन में आ जाना चाहिये था। यह किस प्रकार से, जहां तक कि प्रवर समिति का सम्बन्ध था, सम्भव हो सकता था। इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रवर समिति को धन्यवाद दिया है कि जहां तक खंड २ और ३ का सम्बन्ध है, उसको प्रवर समिति ने मान लिया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि पिछले समय में—यों तो प्रवर समिति की तरफ से यह स्वीकार होकर या उसके हस्ताक्षर से यहां आया है तो इसमें दो रायें नहीं हैं, लेकिन प्रवर समिति में जाने से पूर्व ही सरकार ने डिक्लेयर कर दिया था। जहां तक टैक्स बढ़ने की बात है, क्वायनेज सिस्टम के चेंज होने की वजह से ही यह किया गया। यह कहना कि प्रवर समिति में जाने की वजह से ही टैक्स नहीं बढ़ा नहीं तो बढ़ जाता, यह ठीक नहीं है। प्रवर समिति को धन्यवाद दिया गया, ठीक है, लेकिन इस सिद्धान्त को सरकार ने प्रवर समिति में जाने के पूर्व ही मान लिया था और उस पर अगर प्रवर समिति की मुहर लग गयी तो और कौन सी बात हो गयी? साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जहां तक टैक्स के बढ़ाने का सम्बन्ध है, धारा २ और ३ में सभी बातें हैं। अगर क्वायनेज सिस्टम की वजह से कुछ टैक्स बढ़ा भी है तो बहुत संख्या में घटा भी तो है। तो यह कहना कि सरकार टैक्स को बढ़ाना चाहती थी लेकिन प्रवर समिति में जाने से ही वह नहीं हो सका, यह बात नहीं है। सरकार ने पहले ही डिक्लेरेशन कर दिया था, प्रवर समिति में जाने से पूर्व ही।

एक बात और कही गयी है। माननीय नारायणदत्त तिवारी ने ही नहीं बल्कि सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने सिक्योरिटी के सम्बन्ध में कहा। जहां तक सिक्योरिटी का सम्बन्ध है, यह तो बहुत साफ है। मैंने तो इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय निवेदन किया था कि यह कार्यवाही इसलिये की गयी है कि हमारे यहां टैक्स का इवेजन न हो। दूकानदार अच्छी तरह से जानते हैं और सेल्स टैक्स अधिकारी जो जिले में रहते हैं, वे भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सा फर्म और कौन सा दूकानदार ईमानदार है और जिनके यहां दूकानदारी की परम्परा चलती आयी है, इसको भी वे जानते हैं। इसके साथ-साथ यह भी है कि ३० दिन का मौका होगा कि ऐसे लोग रिवाईजिंग अथारिटी के यहां जाकर अपील कर सकें यदि उनके साथ कोई ज्यादती हुई है। इस प्रकार के उदाहरण हैं, इस प्रकार की बहुत सी नजीरें हैं कि एक फर्म, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि, पहले से चला आता है और १० महीने तक चला और उसके बाद वह दूकानदार शहर से गायब हो गया और कहीं दूसरे जिले में जाकर उसने अपनी दूसरी तिजारत आरम्भ कर दी। फिर बहुत से माननीय सदस्यों ने एक बात और यह कही कि साहब आप कितनी सिक्योरिटी लेंगे, एक हजार लेंगे, दो हजार लेंगे या चार हजार लेंगे? इसके लिये विशेष रूप से उसमें यह लिखा गया है और कहा गया है कि जो जिले का कर अधिकारी है केवल उसी के अधिकार में नहीं है कि वह जो चाहे कर दे, बल्कि उसे जो सेल्स टैक्स का अधिकारी होगा, पहले सेल्स टैक्स कमिश्नर से यदि किसी फर्म के बारे में उसे सन्देह हुआ तो, उससे सिक्योरिटी प्राप्त करने के लिये इजाजत लेनी पड़ेगी। अब कितना कैश के रूप में होगा, कितना काइंड के रूप में होगा, इसके बारे में भी बहुत से माननीय सदस्यों ने एतराज किया था। तो इसके लिये आगे चल कर रूल्स बनेंगे और उस वक्त यह तय कर लिया जायगा।

[श्री धर्म सिंह]

सिक्योरिटी का प्राविजन केवल हमारे ही यहां नहीं किया जा रहा है बल्कि जो दूसरे मुल्क हैं जहां कि ८० परसेंट सेल्स टैक्स से आमदनी होती है, वहां भी सिक्योरिटी जमा की जाती है। उसी प्रकार से हमने अपने यहां भी प्राविजन किया है। इस लिहाज से यह कहना कि इससे तो बड़ी दिक्कतें आयेंगी और यह क्यों लिया जा रहा है, ठीक नहीं है। यह तो केवल इसलिये है कि टैक्स का इवेजन न हो, दूकानदार जो इधर उधर टैक्स लेने के बाद भी करते हैं और सरकार को नहीं देते, उसके लिये यह प्राविजन किया गया है।

एक बात विशेष रूप से माननीय नारायणदत्त जी और माननीय प्रताप सिंह ने कही कि साहब, जो धारा ४ है जिसमें कोयले का डेफिनीशन आता है, उसमें इस वक्त आप रुई, खाल, चमड़े, को क्यों ला रहे हैं? माननीय रघुराज सिंह ने भी कहा था और भी दो सदस्यों ने कहा कि इस सबको निकाल दिया जाय और जब भारतीय सरकार अपने यहां संशोधन कर ले तब इसको रखा जाय। लेकिन मैं आप से कहूंगा कि यू० पी० सरकार ने यह भारतीय सरकार की हिदायत के मुताबिक ही किया है। उसमें जितनी भी परिभाषा हैं, रुई की, पटसन की, तिलहन की और बहुत सी चीजें हैं, वह उनकी सलाह से हुई हैं। क्योंकि उन्होंने अपने यहां ५६ में इसको किया था और दूसरे सूबों को यह हिदायत भेजी थी। उनका कहना यह था कि मान लीजिये कि ६ माह में कुछ भी उन के यहां से संशोधन होते हैं इसलिये? कोई प्राविजन या संशोधन न हो। पता नहीं सेन्टर की क्या हिदायत होगी या क्या होगा सदन को इसको मानने के लिये तैयार नहीं होना चाहिये। तो इस तरह की जो ४ खंडों को निकालने की बात करते हैं वह समझ में नहीं आती।

लहरी जी ने कहा कि जो असेसिंग अथारिटी होगी उसके बारे में यह चीज पहले नहीं थी अब रखी है। जब यह बिल हाउस के सामने सेलेक्ट कमेटी को जाने से पहले आया था उस वक्त भी उसमें असेसिंग अथारिटी की बात थी जिसको अब संशोधित किया गया है, या जो प्राविजन अब प्रवर समिति द्वारा रखा गया है।

इसके अलावा जहां तक और बातों का सम्बन्ध है मैं अब सदन का अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि इस तरफ के बैठने वाले सदस्यों ने उधर के सदस्यों की बातों को सुनकर पूरे तरीके से जवाब दे दिया है। सरकार ने, जो दिक्कतें बताई गईं, उनको नोट कर लिया है। अब मैं आदरणीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस को स्वीकार करे।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५७, पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ३-कक का संशोधन।

२—मूल अधिनियम की धारा ३-कक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

कुछ मालों के संबंध में कर की दर तथा अवस्थान (Rate and point)

३-कक—(१) धारा ३ या ३-क में किसी बात के रहते हुये भी, निम्नलिखित मालों के विक्रय-धन पर, व्यापारी द्वारा उपभोक्ता के हाथ बिक्री को छोड़कर, बिक्री कर नहीं लगेगा तथा कर की दर २ प्रतिशत से अधिक न होगी :—

(१) कोयला, जिसके अन्तर्गत कोक अपने सभी रूपों में है :

(२) रुई, अर्थात् सब प्रकार की रुई (देशी अथवा विदेश से आयात की हुई) अपनी कच्चे माल वाली अवस्था में, चाहे ओटी हो अथवा न ओटी हो, गांठ बनायी गई,

दबाई गई लेकिन इसके अन्तर्गत छीजी रुई (Cotton waste) नहीं है।

(३) खालें तथा चमड़े (Hide and Skins) चाहे कच्चे हों अथवा परिशोधित अवस्था में हों।

(४) लोहा तथा इस्पात, अर्थात् (क) कच्चा लोहा (Pig-Iron) तथा लोहे का क्षेप्य (Iron Scrap)।

(ख) लोहे का प्लेटे (Iron plates) :

सीधे उसी रूप में जिसमें वे रोलिंग मिलों (rolling mill) में बनी हों।

(ग) इस्पात का क्षेप्य (Steel Scrap), इस्पात के पिण्ड (steel ingots), इस्पात पिंडक (steel billet), इस्पात के सीक्चे (Steel bars) तथा सरिया (rods),

(घ) इस्पात की प्लेटें (Steel plates)
(२) इस्पात की चादरें (Steel sheets)
(३) शीट बार (Sheets bars) तथा टीन की सरिया (Tin bars)
(४) रोल किये हुये तथा इस्पात के भारी टुकड़े (Rolled and Steel Section)
(५) टूल अलाय स्टील (Tool alloy Steel)

} उसी रूप में बिक्री जिसमें कि बेल्लन निर्माणी मिलों से सीधे बनते हैं।

(५) पटसन, अर्थात् कोरकोरस (Corchorus), कैपसूलैरिस, तथा कार्कोरस ओलीटोरियस उपजातियों से निकाले गये रेशे (fibre) तथा हिबिसकस केनापिनस (Hibiscus cannapinus) तथा हिबिसकस सब डेरी फेबर एलटिस्मा (Hisbiscus sub dari favar altissima) से निकाले गये रेशे जिनको मेस्टा या बिमली (mesta or bimli) कहा जाता है, चाहे उनकी गांठें बनाई गयी हों या न बनायी गई हों।

(६) तिलहन (oil-seeds) अर्थात् ऐसे तिलहन जिनसे मनुष्यों द्वारा काम में लाये जाने वाले, न उड़ने वाले (Non-Volatile) तेल निकाले जाते हों, या जो उद्योग में अथवा वार्निश, साबुन तथा इसी प्रकार के अन्य पदार्थों के निर्माण में, अथवा स्नेहन (lubrication) के लिये प्रयुक्त किये जाते हों, तथा ऐसे उड़ने वाले तेल जो मुख्यतः औषधियों, सुगंधियों, श्रृंगार प्रसाधनों (cosmatics) तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के लिये मुख्यतः प्रयुक्त होते हों।

(२) जब तक कि व्यापारी अन्यथा सिद्ध न कर दे, उप-धारा (१) के प्रयोजनों के निमित्त व्यापारी द्वारा की गई प्रत्येक बिक्री उपभोक्ता के हाथ की गई बिक्री समझी जायगी।

श्री अधिष्ठाता—खंड २ में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५, १९४८ में एक नयी धारा ३-ग का रखा जाना ।

३—मूल अधिनियम की धारा ३-ख के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ३-ग के रूप में रख दी जाय :—

" ३-ग—किसी भी विघटित संस्था (firm) इत्यादि के कर का दायित्व —

यदि व्यापारी एक संस्था, अथवा व्यक्तियों का संघ, अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब है तथा ऐसी संस्था, संघ अथवा कुटुम्ब ने किसी कर-निर्धारण वर्ष की अवधि में व्यापार बन्द कर दिया है , तो—

(क) इस अधिनियम के अधीन ऐसी संस्था, संघ अथवा कुटुम्ब द्वारा ऐसे बन्द किये जाने के दिनांक तक की अवधि के लिये देय कर इस प्रकार निर्धारित तथा अवधारित किया जायगा (assessed and determined) मानों कि ऐसी बन्दी हुई ही न हो, तथा

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे बन्दी के समय ऐसी संस्था का हिस्सेदार, अथवा ऐसे संघ अथवा कुटुम्ब का एक सदस्य रहा हो, तो वह ऐसी बन्दी के होते हुये भी ऐसी संस्था, संघ अथवा कुटुम्ब द्वारा देय निर्धारित कर का भुगतान करने के निमित्त पृथक् पृथक् अथवा संयुक्त रूप से कर देने का उत्तरदायी होगा , चाहे ऐसा कर-निर्धारण बन्दी (discontinuance) के पूर्व अथवा पश्चात् किया गया हो तथा पूर्वोक्त के अधीन रहते हुये भी इस अधिनियम के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अथवा हिस्सेदार स्वयं ही एक व्यापारी हो ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब ऐसा मालूम हो कि संस्था या संघ के संघटन में परिवर्तन हुआ है अथवा ऐसी संस्था या संघ ने अपना व्यापार हस्तान्तरित कर दिया है और पूर्वोक्त रूप में हिस्सेदार अथवा सदस्य द्वारा देय कर उस से नहीं वसूल किया जा सकता है तो उसे पुनः संघटित संस्था अथवा संघ से वसूल किया जा सकता है ।

प्रतिबन्ध यह भी है कि जब इस प्रकार संस्था अथवा संघ से कर वसूल किया जाय तो ऐसी संस्था अथवा संघ को अधिकार होगा कि वह उस हिस्सेदार अथवा सदस्य से जो मूलतः कर देने का जिम्मेदार था यह कर वसूल कर ले ।

स्पष्टीकरण—किसी संस्था अथवा व्यक्तियों के संघ का विघटन (dissolution) अथवा पुनःसंघटन (reconstitution) अथवा किसी व्यापारी द्वारा अपने व्यापार का हस्तान्तरण अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का विभाजन, इस धारा के अर्थ में व्यापार की स्थगनबन्दी समझी जायगी ।

श्री जगन्नाथ लहरी—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तुत विधेयक के खंड ३ में प्रस्तावित नयी धारा ३—ग के दोनों प्रतिबन्धात्मक वाक्य खंड निकाल दिये जायं। यद्यपि हमारी सरकार के पक्ष के सभी सदस्यों ने बार-बार इस बात को दोहराया है कि यह एक बहुत ही साधारण विधेयक है और इस के ऊपर इस तरह की बहसें क्यों की जा रही हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि यदि उन माननीय सदस्यों में से कुछ थोड़े से लोग भी व्यापारी होते तो, वह इसकी असलियत को पहचान लेते। "जिसके पैर न फटी बिवाई वह क्या जाने पीर पराई"। वहां तो यह प्रश्न इसलिये होता है, कि क्योंकि विरोधी पक्ष द्वारा यह संशोधन आया है, जब ऐसी परिपाटी हो गयी है, तो वह लोग उसका विरोध अवश्य करेंगे और अवश्यमेव इसका विरोध होगा।

लेकिन श्रीमन् के द्वारा मैं अपने उन साथियों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह खंड ३ की धारा (ख) को अगर ध्यान पूर्वक पढ़ लें तो शायद उन्हें इस प्रकार का संशोधन करने की स्वतः आवश्यकता महसूस हो जाती। इसमें साफ-साफ लिखा है—"प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे बन्दी के समय ऐसी संस्था का हिस्सेदार, अथवा ऐसे संघ अथवा कुटुम्ब का एक सदस्य रहा हो, तो वह ऐसी बन्दी के होते हुये भी ऐसी संस्था, संघ अथवा कुटुम्ब द्वारा देय निर्धारित कर का भुगतान करने के निमित्त पृथक्-पृथक् अथवा संयुक्त रूप से कर देने का उत्तरदायी होगा, चाहे ऐसा कर निर्धारण बन्दी के पूर्व अथवा पश्चात् किया गया हो तथा पूर्वोक्त के अधीन रहते हुये भी इस अधिनियम के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अथवा हिस्सेदार स्वयं ही एक व्यापारी हो।"

श्री अधिष्ठाता—माननीय लहरी जी, यह कहां से आप पढ़ रहे हैं ?

श्री जगन्नाथ लहरी—मैं खंड ३-ग (ख) पढ़ रहा हूं।

इसके आगे ही यह प्रतिबन्ध लगाया गया है जिसमें मैंने संशोधन उपस्थित किया है। जहां तक व्यापारी का सम्बन्ध है उसमें साफ लिखा हुआ है कि चाहे वह किसी भी संस्था का सदस्य हो, या किसी भी व्यापारी संघ का सदस्य हो, अथवा किसी कुटुम्ब का सदस्य हो, यदि संस्था उस कारोबार को बन्द कर देती है तो संस्था के प्रत्येक सदस्य से आपको धारा "ख" के अनुसार यह पूरा अधिकार मिल जाता है कि उसके एक सदस्य से या सभी सदस्यों से जिस तरह से चाहें, बकाया टैक्स वसूल कर सकते हैं। अगर वह किसी तरह से ज्वाइंट स्टाक कम्पनी या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है, तब भी आप को धारा "ख" के अधीन यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि आप उसके एक मेम्बर से या सभी मेम्बरों से, जिस तरह से भी आप मुनासिब समझें, यह टैक्स वसूल कर सकते हैं। अगर वह किसी संघ या कुटुम्ब का सदस्य है तब भी आप को अधिकार प्राप्त होगा कि अगर उसने टैक्स नहीं दिया है तो उसके परिवार के किसी सदस्य से आप टैक्स वसूल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अधिकार प्राप्त करने के लिये आप यह दलील देते हैं कि एक फर्म ने दस महीने, ग्यारह महीने व्यापार चालू रखा और बाद में वह फर्म बन्द कर दी गयी तो टैक्स कैसे वसूल किया जाय ? मेरा कहना है कि अगर सेल्स टैक्स ऐक्ट और उसके नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लिया जाय तो मालूम होगा कि सेल्स टैक्स हर तीन महीने के बाद जमा करना पड़ता है। फार्म नम्बर चार के मुताबिक उसको इस बात की घोषणा करनी पड़ती है कि उसकी कितनी बिक्री हुई और अपनी बिक्री के मुताबिक उसको सरकार के खजाने में उसका सेल्स टैक्स अदा करना पड़ता है। अगर वह नया व्यापारी होता है तो सेल्सटैक्स कानून के मुताबिक उसको प्रतिमास सेल्स टैक्स जमा करना पड़ता है। इसलिये बारह महीने बाद का प्रश्न नहीं उठता। आप तो सेल्स टैक्स साल भर में चार मर्तबा वसूल कर लेते हैं। अगर किसी तरह से एक तिमाही का सेल्स टैक्स अदा करने में किसी व्यापारी को देरी हो जाती है तो सेल्सटैक्स अधिकारियों को यह अधिकार दे रखा है कि वह जितना उचित समझें सेल्स टैक्स असेस कर दें, व्यापारी को उस तीन महीने का उतना रुपया जमा करना पड़ता

[श्री जगन्नाथ लहरी]

है। वर्ष के बाद तो वह अपने सारे बहीखाते लेकर सेल्स टैक्स अधिकारी के सम्मुख पहुंचता है जब कि कर निर्धारण की अन्तिम रूपरेखा तैयार की जाती है। अगर उसने गलत रुपया दाखिल किया है तो उससे बाकी टैक्स वसूल कर लिया जाता है। अन्तिम कर निर्धारण वर्ष भर के बाद होता है लेकिन आप टैक्स प्रति तिमाही के बाद वसूल कर लेते हैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आप एक साल तक व्यापारी का इन्तजार करें। फिर भी यह कहा जाता है कि व्यापारी भाग जाता है। बड़े ताज्जुब की बात है। व्यापारी कहां भाग कर जायगा? आपके सेल्स टैक्स अफसर रेलवे रिसीट्स से पता लगाते हैं। उससे पता चल जाता है कि यह माल किस व्यापारी से किस व्यापारी के पास आया है। अगर मोटर ट्रान्सपोर्ट से माल आता है तो मोटर ट्रान्सपोर्ट की आर० आर० की एक प्रति सेल्स टैक्स अधिकारियों के पास पहुंचानी पड़ती है। उस से पता लगता है कि कहां से और किस के यहां माल आया है। इसके अलावा जो माल बाहर से आता है उसके लिये भी आपने भेजने वाले को आवश्यकीय कर दिया है कि वह अपने बिल की एक कापी सेल्स टैक्स अफसरों के पास पहुंचाये जिससे पता चल जाय कि उनके क्षेत्र में फलां व्यक्ति ने यह माल मंगाया है। तो म्युनिसिपिल बोर्ड, नोटीफाइड एरिया, जहां पर भी टैक्स वसूल किया जाता है, औक्ट्राय वसूल की जाती है वहां पर आपके अधिकारी और कर्मचारी पहुंचते हैं और कापीज करके लाते हैं। किस व्यापारी के यहां क्या माल आया है और कितनी औक्ट्राय दी है, सेल्स टैक्स अधिकारी, रेलवे, मोटर ट्रान्सपोर्ट, म्युनिसिपिल बोर्ड औक्ट्राय पोस्ट या बैरियर में छान-बीन करते हैं। बाहर के व्यापारियों के लिये लाजिमी कर दिया गया है कि वे सेल्स टैक्स अधिकारी को इस तरह की सूचना दें कि उनके यहां कहां से माल आया, इसके अतिरिक्त व्यापारियों को अपनी रजिस्ट्री करानी पड़ती है १० रु० जमा करके। वह जब रजिस्ट्री कराता है तो उसमें उसका सारा पता लिखा होता है, उसके हिस्सेदारों का नाम व पता लिखा होता है, अपने व्यापार के स्थान को लिखता है और किन-किन वस्तुओं में व्यापार करता है, यह सारा ब्यौरा आपके कार्यालय में रहता है। फिर भी आपको सन्देह रहता है कि व्यापारी एक वर्ष के पूर्व ही अपना कारोबार बन्द करके चला जायगा, बड़ा ताज्जुब मालूम होता है। हो सकता है कि कुछ व्यापारी ऐसे हों, हर जगह इस तरह की शिकायतें मिलती हैं कि एक व्यापारी का दिवाला पिट गया तो वह अपनी फर्म मजबूरन बन्द कर देगा या एकाएक पार्टनर्स में झगड़ा हो गया तो वह अपना काम बन्द कर देगा।

मैं आप की बात मानता हूं कि हो सकता है जहां देश में भ्रष्टाचार के तरीके और लोगों में फैले हुये हैं तो कुछ व्यापारियों में भी हों। लेकिन ऐसा बहुत कम हो सकता है कि एक व्यापारी हर वर्ष अपना तख्ता पलट दे। आप देखिये कि इस तरह के व्यापारियों को क्रेडिट पर माल भी तो नहीं मिल सकता क्योंकि अगर वह ऐसा करेंगे तो उनकी गुडविल खत्म हो जायगी। व्यापारिक संस्थायें तो इस बात की कोशिश करती हैं कि उनकी गुडविल बाहर की कम्पनियों में बनी रहे और जितनी पुरानी इस्टेबलिश्ड फ़र्म होती है उनकी उतनी ही ख्याति होती है। तो फिर यह कहना कि व्यापारी भाग जायगा, इसका मतलब यह है कि आप हर व्यापारी पर संदेह करते हैं। मुझे तो एक किस्सा याद आगया। एक बकरी का बच्चा एक नदी में पानी पी रहा था वहां एक भेड़िया भी आया पानी पीने के लिये, बकरी का बच्चा देखकर भेड़िये के मन में उसको खाने की इच्छा हुई लेकिन कुछ बहाने की बात भी उसके मन में आयी। तो उसने सोचा कि कुछ न कुछ बहाना तो होना ही चाहिये। तो उसने कहा कि ए बकरी के बच्चे तू जो पानी पी रहा है उसके कारण मुझे तेरा झूठा पानी पीना पड़ रहा है। बकरी के बच्चे ने कहा कि पानी का बहाव तो आपकी तरफ से मेरी तरफ़ है, मैं ही आपका झूठा पानी पी रहा हूं। तो भेड़िये ने कहा कि तेरे बाप ने पिछली साल मेरा पानी झूठा कर दिया था इसलिये तेरे बाप ने जो जुर्म किया था उसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। इतना कहकर उसको खा लिया। वही आज सरकार इस सेलेक्ट कमेटी द्वारा दी हुई रिपोर्ट के मुताबिक इस विधेयक में करने जा रही है। एक फ़र्म चालू हुई और बन्द

हुई, फर्म के हिस्सेदारों से आप टैक्स वसूल करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो पुनर्गठित फ़र्म हो और उसमें कोई पहले वाला हिस्सेदार हो या न हो आप कहते हैं कि हम यह सारा टैक्स उससे वसूल कर लेंगे । जनाबवाला, हमारी सरकार कहती है :

"प्रतिबन्ध यह भी है कि जब इस प्रकार संस्था अथवा संघ से कर वसूल किया जाय तो ऐसी संस्था अथवा संघ को अधिकार होगा कि वह उस हिस्सेदार अथवा सदस्य से जो मूलतः कर देने का जिम्मेदार था यह कर वसूल कर ले"।

क्या अच्छी बात है ? आप तो वसूल कर नहीं सकते, जब कि सरकार के पास सब साधन उपलब्ध हैं और फर्म को आप उस के लिये कहते हैं। आप ने, जो फ़र्म इस कर के देने की कतई जिम्मेदार नहीं है उससे जबरन वसूल कर लिया और फिर आप उसे यह लालच देते हैं कि हम आपको यह अधिकार देते हैं कि आप इस टैक्स को इस तरह के हिस्सेदारों से वसूल कर लें। जब सरकार जिसके पास अधिकारी, पुलिस, कोर्टस् सारे अधिकार मौजूद हैं वह तो स्वयं किसी भ्रष्टाचारी व्यापारी से कर वसूल करने में असमर्थ है, फिर वह व्यापारी उससे यह रुपया कैसे वसूल कर सकता है ? एक व्यापारी जो बिलकुल निर्दोष व्यक्ति है, फर्म है, जिस पर आप का एक पैसा भी बकाया नहीं है उससे जबरन पैसा आप वसूल करते हैं और फिर उससे कहते हैं कि हम तुम्हें यह अधिकार देते हैं कि तुम उससे यह पैसा वसूल कर लो .....

श्री अधिष्ठाता—माननीय लहरी जी, "आप" शब्द जो अधिष्ठाता के लिये प्रयोग होता है वह आप सरकार के लिये प्रयोग कर रहे हैं।

श्री जगन्नाथ लहरी—मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा इस सरकार के कानों तक यह आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि वह जिस टैक्स को किसी से वसूल करने में स्वयं असमर्थ रही उस के लिये वह दूसरी फर्म को यह अधिकार देती है कि तुम उस से यह वसूल कर लो। इसका मतलब यह है कि वह मुकदमेबाजी में फंसे, मुकदमा दायर करें, कोर्टफीस लगायें, पैरवी करें, और डिक्री करायें। सरकार ने तो उस निर्दोष व्यापारी से टैक्स वसूल लिया जिस तरह से कि भेड़िये ने बकरी के बच्चे को खा लिया, लेकिन फिर भी सरकार ने तो उस का पिंड नहीं छोड़ा। उस के लिये मुकदमेबाजी का और प्राविजन कर देते हैं जिस में कि सरकार को कोर्टफीस और दूसरे तरीके से भी कुछ आमदनी और हो जाय। तो मैं आप के द्वारा इस सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रवर समिति ने जो यह नया संशोधन जोड़ा है इस से हमारे व्यापारी वर्ग के हृदय पर बड़ी चोट पहुंचेगी, सारा व्यापारी वर्ग इस संशोधन से तिलमिला उठेगा। इसलिये व्यापारी वर्ग के साथ न्याय करने के लिये, उन निर्दोष व्यक्तियों के साथ न्याय करने के लिये, चन्द भ्रष्टाचारी व्यापारियों की सजा आप सभी व्यापारियों को न दें। इस दृष्टि से मैं आप से यह मांग करता हूं कि इस प्रतिबन्ध को इस खंड में से निकाल दीजिये क्योंकि धारा ३ में सरकार को स्वतः अधिकार प्राप्त हो गये हैं कि वह अपने टैक्स को किसी भी व्यक्ति से या एक भी मेम्बर से वसूल कर सकती है। मुझे आशा है कि सरकार मेरे इन शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ेगी और उसके बाद फिर इसके ऊपर पुनर्विचार करके व्यापारी वर्ग के साथ सच्चा न्याय करने के लिये इन शब्दों को निकालने की कृपा करेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं।

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मैं इस सदन को एक बात सुनाना चाहता हूं यह फैसला करने के लिये कि यह जो मोशन अभी इसके एक टुकड़े को निकालने का हुआ है इसे सदन को मंजूर करना चाहिये या नहीं करना चाहिये। जो तकरीर हुई उसको मैंने सुना और मिनजुमला और बातों के मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि व्यापारियों के लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

यह बात जो इस कानून में और विशेषकर इस तरह की जा रही है यह बहुत ही तकलीफदेह और नुकसान पहुंचाने वाली है। मैंने अर्ज किया और मैं एक किस्सा बयान किया चाहता हूं। वह किस्सा यह है कि यह मौजूदा कानून कैसे आया। जहां तक गवर्नमेंट आफ इंडिया के उस कानून का, कि जो उन्होंने इंटर स्टेट सेल्स टैक्स का बनाया है, ताल्लुक है उसमें उन्होंने छः चीजों को, जो इसमें लिखी हुई हैं, आलरेडी डिक्लेयर्ड कमोडिटीज करार दिया है और यह बात कह दी है कि उनके ऊपर दो फीसदी से ज्यादा टैक्स नहीं लगाया जायगा। इसलिये बगैर इस इन्तजार के कि आगे को गवर्नमेंट आफ इंडिया और चीजों की बाबत क्या करने वाली है जिन चीजों की बाबत उन्होंने अंतिम फैसला कर लिया है, उनको हमने इस अमेंडमेंट में रख दिया। लेकिन यह अमेंडमेंट इस वक्त इसकी वजह से नहीं लाया गया, यह मैं अर्ज किया चाहता हूं, बल्कि इसलिये लाया गया था कि व्यापारियों का एक डेपुटेशन मेरे पास आया और उस डेपुटेशन ने मुझ से यह शिकायत की कि साहब जो व्यापारी ईमानदार हैं वे इन्तिहा दर्जा नुकसान उठा रहे हैं और उन लोगों की वजह से और व्यापारी भी इवेजन करते हैं और बेइमानियां करते हैं। उन्होंने इस बात को कहा कि व्यापारी फर्म ऐसे बनाते हैं, ६ महीने, ८ महीने या १० महीने उसे उन्होंने रखा, उसको फिर तोड़ कर फिर नये नाम से दूसरी फर्म चालू की ताकि उस पर असेसमेंट न हो सके। उसे खत्म किया तो तीसरी चालू की। इस तरह से वे करते हैं और सेल्स टैक्स नहीं देते और हम लोगों को सेल्स टैक्स देना पड़ता है। सेल्स टैक्स न देने से वे माल सस्ता बेचते हैं और उनकी बिक्री ज्यादा होती है और हमारी बिक्री नहीं होती। इसका इन्तजाम होना चाहिये कि ये फर्म्स इस तरह से तब्दील न हों।

दूसरी बात जो सिक्योरिटी की कही गई वह भी गवर्नमेंट का आइडिया नहीं है, गवर्नमेंट को यह आइडिया व्यापारियों ने दिया। जो व्यापारी रजिस्ट्री करने में फरेब करते हों उनसे सिक्योरेटी ली जाय और कानून ऐसा बनाया जाय जिस के अन्दर सिक्योरेटी का प्राविजन किया जाय। यह सिक्योरिटी भी जो इस के अन्दर रखी गई है वह व्यापारियों के कहने से रक्खी गयी है, व्यापारियों की फरमाइश से रक्खी गयी है और इन फर्म्स को तबदील न करने के लिये जो कानून बनाया गया है वह भी व्यापारियों की फरमाइश से बनाया गया है। सेल्स टैक्स ऐक्ट के जरिये से किसी को तबाह करने का मकसद हर्गिज नहीं है, बल्कि यह व्यापारियों के नफे का काम है जो उनके कहने के मुताबिक किया जा रहा है। जो बातें यहां कही जा रही हैं वे मेरे नजदीक किसी तरह से सही नहीं हैं। इससे अधिक मुझे कुछ अर्ज नहीं करना है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं आपको बधायी देना चाहता हूं कि कम से कम आपने माननीय मंत्री जी को एक मौका दिया कि जो बात उनको विधेयक के आम वादविवाद के अवसर पर कहनी चाहिये थी उन्होंने इसे इस अमेंडमेंट पर कह दी। अगर कोई और सदस्य होते तो आप उनको टोकते और यह कहते कि अमेंडमेंट पर बोलिये, यह तो आप बिल के सामान्य विवाद पर बोल रहे हैं। सारे विधेयक पर अब उन्होंने बात कही। देर आयद दुरुस्त आयद। इसे तो आप ही ज्यादा समझ सकते हैं। हाफिज तो हाफिज ही हैं।

माननीय मंत्री जी का मुझे एक और पुराना भाषण याद आता है। उस समय भी उन्होंने व्यापारियों के डेपुटेशन का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के सैकड़ों डेपुटेशन आते हैं, कभी रेडियो के, कभी ज्वेलरी के, कभी जवाहरात के और कभी फूडग्रेन्स के आते हैं। मगर किसी ऐसे डेपुटेशन का नाम उन्होंने नहीं लिया जैसे यू० पी० चेम्बर आफ कामर्स और मर्चेन्ट्स चेम्बर आफ कामर्स, जो व्यापारियों की अधिकृत संस्थायें हैं। पता नहीं कौन से व्यापारी थे और किस चीज के व्यापारी थे? उन्होंने व्यापारियों की ओर से कहा और मंत्री महोदय ने उनकी बात मान ली।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं, जनाबवाला, अर्ज कर दूं कि उनसे माननीय सदस्य को मिलवा दूंगा। नाम नहीं बतलाऊंगा और न यह बतलाऊंगा कि कहां से आये और वे कौन हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---प्वाइंट आफ आर्डर है क्या ?

श्री अधिष्ठाता---प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---माननीय मंत्री स्वयं कई बार कह चुके हैं कि वे डेपुटेशन की बात नहीं मानते, लेकिन आज एक डेपुटेशन की बात मान रहे हैं। भविष्य में भी वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई डेपुटेशन आये तो उतनी ही जल्दी अमेंडिंग बिल ले आयेंगे जैसे कि आज ले आये। मुझे डर है कि ऐसा होता नहीं। सेल्स टैक्स बिल पास करते समय सैकड़ों डेपुटेशन आये और कहा कि फूडग्रेन्स पर सिंगिल प्वाइंट भी सेल्स टैक्स न लगाया जाय, लेकिन माननीय वित्त मंत्री उस समय अपनी उदारता नहीं दिखला सके और उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। आज मान ली है। इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं और आगे भविष्य में भी वे इसका ध्यान रखेंगे।

यहां पर जो संशोधन था वह केवल इतना था कि जो फर्म, एक प्रकार से जितने फर्म हैं, उनके प्रत्येक हिस्सेदार को जिस गल्ती का और दोष का वह भागी नहीं है उसका जिम्मेदार न बनाया जाय और जो एक नयी फर्म कांस्टीट्यूट हो जाय उसको इस बात का अधिकार न दिया जाय कि उस फर्म के हिस्सेदार से, जिसके नाम पर पुरानी रकम बकाया है, उससे वह रुपया वसूल कर ले। मैं पहले ही कह चुका हूं कि सिद्धान्ततः मुझे इस संशोधन से एतराज नहीं है, लेकिन इस बात में मैं माननीय लहरी जी से पूर्णतया सहमत हूं कि जहां उन्होंने यह कहा कि हमें यह अधिकार नहीं कि पुराने हिस्सेदार से वसूल कर लें या उसे अधिकार दें वसूल करने का, साथ ही जिस प्रकार से यह चीज इस ऐक्ट में रखी हुई है वह बिलकुल ऐबसर्ड-सी है, क्योंकि उसके लिये तो पहले से ही सिविल प्रोसीजर मौजूद हैं। अगर कोई पुरानी फर्म टूट करके नयी बनी है, तो उसके स्टैम्प होंगे, लिखा-पढ़ी होंगी, बिना उसके नहीं होगी। तो अगर हम इस कानून में इसके लिये प्रावीजन न भी रखें तब भी इस नयी फर्म को अधिकार होगा कि पुराने हिस्सेदार से, जिसका कि वह लीगल रिप्रेजेन्टेटिव है, उन सब से रुपया वसूल कर ले। तो इसे ऐक्ट में रखना बिलकुल सुपरफ्लुअस और ऐबसर्ड है। मैं लहरी जी की बात से सहमत हूं कि द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य जो है, "किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि जब इस प्रकार संस्था अथवा संघ से कर वसूल किया जाय तो ऐसी संस्था अथवा संघ को अधिकार होगा कि वह उस हिस्सेदार अथवा सदस्य से जो मूलतः कर देने का जिम्मेदार था यह कर वसूल कर ले", इसकी आवश्यकता नहीं है। उसे अधिकार न भी दें तब भी वह सूट फाइल कर सकता है। हां, यदि इस ऐक्ट में कोई सरल रेमेडी होती, जैसे कि लैंड रेवेन्यू में है कि कलेक्टर के यहां अपील हो सकती है कि मुझसे इतना रुपया वसूल कर लिया गया लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के मातहत, आप एरियर्स वसूल कर लीजिये, यहां पर तो वह सिविल सूट फाइल करेगा और जितनी कानूनी पेचीदगियां हैं वह सब इस्तेमाल करेगा। वह कोई सरल मार्ग नहीं है, खाली एक लिप सिम्पेथी उसे दे दी कि एक अख्तियार कानूनी है। तो मैं इस अंश का समर्थन करता हूं।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत कुछ तो नहीं कहूंगा, मगर कुछ थोड़े से अपने मनोभाव जरूर पेश करना चाहता हूं। अभी अभी माननीय मंत्री जी ने जो बतलाया, बिलकुल सही चीज उन्होंने कही जिसके लिये मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं और जो चीज उन्होंने हाउस के सामने रखी वह अक्षरशः सत्य है। इसी प्रकार से करीब-करीब हर जगह टैक्सों से बचने के लिये लोग अनेकों प्रकार के रंग बदलते हैं और उस रंग के बदलने में जनता को तो कोई लाभ होता नहीं

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

है, हां, यह होता है कि गवर्नमेंट को नुकसान जरूर हो जाता है। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इन चीजों को रोकने के लिये यह जो विधेयक है, उससे भी अगर कोई बड़ी चीज बनायी जाय तो भी मैं उसको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि यह मुल्क के नैतिक स्तर को गिराने वाली चीज है। इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से आपने व्यापारियों के ऊपर यह कड़ा कदम उठाया है, उसी तरीके से आप अपने बिक्री कर के जो मुलाजिमान हैं गवर्नमेंट के, उनके लिये इस किस्म का प्रतिबन्ध लगाइये कि वह ढिलाई न कर पावें, वरना उससे भी चीज छिप जाया करती हैं और उसका नुकसान गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है, जनता को उससे कोई लाभ नहीं होता।

हालांकि मैं विरोधी पक्ष का हूं, मगर फिर भी इस बात में मैं हाफिज जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और यह समझता हूं कि अगर इस तरीके से गवर्नमेंट सोच कर उन जगहों पर हिट करेगी जो समाजविरोधी तत्व हैं, जिनके जरिये से समाज का नैतिक स्तर गिरता है, तो हमारी समझ में देश उन्नति कर सकता है, और मैं इसको सपोर्ट करता हूं कि यह जरूर पास होना चाहिये।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जो श्री लहरी द्वारा संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह संशोधन जो माननीय वित्त मंत्री जी की तरफ से पेश है, सुनकर वह किस्सा याद आ जाता है, जैसे किसी शहर में किसी राजा के दरबार से एक आदमी को फांसी की सजा हुई और जब वह फांसी के लिये ले जाया गया तो जल्लाद ने राजा से कहा कि यह बहुत दुबला पतला आदमी है और रस्सी इसके गले में नहीं फिट हो रही है, क्योंकि फंदा बहुत बड़ा है। राजा ने हुक्म दे दिया कि किसी मोटे आदमी को इसके बदले में फांसी पर चढ़ा दो। बिल्कुल वही दशा इस संशोधन विधेयक के जरिये हो रही है कि अगर कोई व्यापारी रुपया अदा न करे तो उसके परिवार वालों से, उसके साथियों से या किसी संबंधी से वसूल कर लिया जाय और उस आदमी को अधिकार दिया गया है कि वह अदालत के जरिये या जैसे चाहे उससे रुपया वसूल करे। मेरी समझ में नहीं आता है कि सरकार के पास सब तरह के साधन रहते हुये उसके घर, गांव और जायदाद से सरकार वसूल नहीं कर सकती है, लेकिन जिससे रुपया वसूल किया जाता है उसको अधिकार दिया जाता है मोटे अल्फाज में लकीर खींचकर, कि उसको अधिकार है कि वह जिस तरह से चाहे रुपया वसूल करे। इसके माने यह हैं कि वह अदालत दीवानी में जाय और चौगुना रुपया खर्च करे तो उसके घर में एक पैसा भी नहीं जायगा।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि मंत्री जी अपने इस संशोधन को ठीक कर लें और सख्त से सख्त बनायें, जैसा कि श्रीपाल सिंह जी ने कहा है और मैं उनसे सहमत हूं, अगर टैक्स की चोरी रोकने के लिये सख्त कानून बनाया जाय, मगर इस तरह का न बनाया जाय कि दूसरे से रुपया वसूल करके उसे अधिकार दिया जाय कि वह उससे वसूल करे यह क्या है? जहां तक यह बात कही गई है कि व्यापारी वर्ग का डेपूटेशन मंत्री जी के पास भ्रष्टाचार रुकवाने के लिये आया और उन लोगों के कहने से वह इस विधेयक को लाये हैं, मेरा कहना यह है कि कानून की खामियों की बदौलत ऐसा होता है। अगर सीधासादा कानून बने और आपके अधिकारी सख्ती से कारबन्द हों तो व्यापारी चोरी चमारी और भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। लेकिन कानून में नुक्ते छोड़ दिये जाते हैं जिससे व्यापारी बचने का मौका निकाल लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि लखपती आज भी बच रहे हैं और गरीब दुकानदार मारे जा रहे हैं। जो विधेयक मंत्री जी ला रहे हैं इसका भी असर सीधे-सादे व्यापारियों पर ही पड़ेगा। जो ४२० करने वाले हैं, कर बचाने वाले हैं या भ्रष्टाचार करने वाले हैं, वह बच जायेंगे। मंत्री जी व्यापारियों के लिये यह विधेयक

लाये हैं लेकिन वह अधिकारियों के साथ भी सख्ती करें और सीधा सादा कानून हो तो कोई व्यापारी चोरी नहीं कर सकता। इन शब्दों के साथ में लहरी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री मदनमोहन—अधिष्ठाता महोदय, जहां तक विधेयक के आधारभूत सिद्धांतों का संबंध है, श्री नारायणदत्त ने उनका समर्थन किया और सिद्धान्ततः वह यह कहते हैं कि जितने भी प्रतिबन्ध ऐसे लगाये जायं कि जिससे कर की प्रवंचना न हो उसका वह स्वागत करेंगे। किन्तु वह कुछ कानूनी प्रश्न उठाते हैं और वह दो बातें कहते हैं। नम्बर एक तो यह है कि एक पार्टनरशिप में एक हिस्सेदार है जो चला जाता है तो उस हिस्सेदार के जिम्मे जो बिक्री-कर का रुपया है वह दूसरे हिस्सेदार से क्यों वसूल किया जाय। एक बात तो वह यह कहते हैं।

दूसरी बात आप यह कहते हैं कि अगर एक संस्था विघटित हो जाय और दूसरी संस्था उसकी जगह पर स्थापित हो तो विघटित संस्था से जो कर देय है, वह उस नयी संस्था से क्यों वसूल किया जाय? ये दो सवाल आपने पेश किये हैं और इसका कुछ समर्थन हमारे रऊफ साहब ने भी किया है। अब श्रीमन्, देखें कि दो चार आदमियों की साझेदारी है, वह साझेदारी समाप्त हो रही है। और जिस वक्त समाप्त होती है तो यह कानून भी है और यही बुद्धि की भी बात है, कि जितने भी हिस्सेदार हैं वे बैठ कर अपना हिसाब-किताब करेंगे। उसके बाद ही वे जानेंगे कि इसमें क्या नफा और क्या नुक्सान हुआ। विघटन पर ही यह तो निश्चय होगा। जब यह निश्चय होगा कि कितना नफा है तभी तो अपना-अपना हिस्सा भी लिया जायगा। अब आप यह देखिये कि अगर कोई पार्टनर-शिप बिक्री-कर की अदायगी की जिम्मेदार हो गयी है जो बिक्री-कर उसने जनसमुदाय से वसूल किया है तो क्या उस धन को भी जो बिक्री-कर के स्वरूप में उस संस्था में आया है, उस पार्टनरशिप के हिस्सेदार खा जायेंगे? उनका पहला कर्त्तव्य यह हो जाता है कि जो कर्जा, जो देय उस संस्था पर वाजिब है, उनको पहले अदा करें। अगर वे हिस्सेदार अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो फिर किसको शिकायत हो सकती है कि हम वाजिब बिक्री-कर को किसी एक हिस्सेदार से वसूल करते हैं और दूसरे से नहीं वसूल करते। जो व्यक्ति स्वयं अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करता, जो कानून ने उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली है वह महसूस नहीं करता तो उसको क्या शिकायत हो सकती है कि मुझसे वसूल कर लिया गया और दूसरे से नहीं वसूल किया गया? यह साधारण सी बात है, कानूनी भी बात है और न्याय की भी यही बात है।

दूसरा सवाल यह है कि एक पुनस्संगठित फर्म से क्यों वसूल किया जाय? लहरी साहब कुछ इस प्रकार की बात करते हैं भेड़िये और बकरी का किस्सा कह दिया, पर वस्तुतः वह यह नहीं समझते हैं कि हम चाहते हैं कि भेड़िया और बकरी दोनों पानी एक घाट पर पियें और किसी को परेशानी न हो। हम तो भेड़िये को पकड़ना चाहते हैं जो बकरी को खा जाना चाहता है। वे यह नहीं समझते हैं। वित्त मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट कह दिया कि क्यों हम यह कानून बना रहे हैं। जो शब्दावली इस विधेयक में है उससे स्पष्ट है कि वास्तव में हमारा मंशा यह है कि एक वर्तमान संस्था अपने आप को दूसरी संस्था में परिवर्तित करती है 'परिवर्तन का शब्द इस्तेमाल हुआ है, यह नहीं है कि एक संस्था "x" की है उसका बिक्री-कर हम "y" से वसूल करें'—तो उस सूरत में ऐसी परिवर्तित और पुनस्संगठित संस्था से हम कर वसूल करेंगे। फर्ज कीजिये कि एक संस्था का नाम कृष्ण राम है। अब राम को हटा कर अर्जुन आ जाता है और वही पुराना व्यापार चलता रहता है। तो क्या जो आदमी उस संस्था में हैं उनका कर्त्तव्य यह नहीं है कि राम को निकालने के पहले जो बिक्री-कर उन व्यापारियों ने वसूल किया है उसको लेकर सरकार को दे दें? तो यह जो माननीय नारायणदत्त जी सोचे हुये हैं कि इस विधेयक का मंशा यह है कि एक फर्म डिजाल्व हो जाय, उसका अस्तित्व ही न रहे,

[श्री मदनमोहन]

एक नयी फर्म बन जाय या कोई बेचारा दूसरे फर्म में हिस्सेदार हो जाय तो हम उस फर्म से बकाया कर वसूल कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि एक फर्म जो रिकांस्टीट्यूटेड है, एक फर्म जो पुनःसंगठित हुई, एक फर्म जिस ने केवल एक नया रूप या आकार ग्रहण कर लिया, उससे बकाया कर क्यों न वसूल हो, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। वास्तविकता यह है कि हम यह देख रहे हैं कि एक ही फर्म नाम बदलती रहती है। कभी उसने एक आदमी को हिस्सेदार बना लिया, कभी दूसरे को, और इस तरह नये-नये नामों से एक ही फर्म चलती है। तो इस संशोधन विधेयक का मंशा यही है कि हम इस प्रकार टैक्स इवेजन करने वाले व्यक्तियों को नहीं छोड़ेंगे।

(इस समय ४ बजे अधिष्ठाता, श्री बेचन राम गुप्त, पुनः पीठासीन हुए।)

अब प्रतिबन्ध २ पर बातचीत शुरू हो गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ श्रीमन्, कि कानून की जो प्राथमिक बातें हैं उनको ही न समझ कर यहां बहस शुरू हो जाती है। यह प्रतिबन्ध २ तो हमने उन लोगों के फायदे के लिये रखा है कि जिन को हमने प्रतिबन्ध १ में जिम्मेदार करार दिया है। अगर इनकमटैक्स की दफा २६ आप लोग देखें तो उसमें भी इसी प्रकार का प्राविजन है। इस प्राविजन का मंशा यह है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति से हम कर वसूल कर लें कि जिस से हमें वसूल नहीं करना चाहिये, यद्यपि न्याय की दृष्टि से और कानून की दृष्टि से हम उससे वसूल कर सकते हैं, तो हम उसे वंचित नहीं करना चाहते इस हक से कि वह असली उत्तरदाई आदमी का पीछा करके उससे अपना हिस्सा वसूल कर ले। तो यह तो उसके लाभ के लिये, गवर्नमेंट के लाभ के लिये नहीं है। लेकिन एक विचित्र दृष्टिकोण सदन के सामने रखा जाता है और कदाचित वह इसलिये कि जैसा मैंने निवेदन किया कि लोग एलीमेंट्री रूल्स आफ ला से अनभिज्ञ होने के कारण ऐसी बातें कह दिया करते हैं। इन शब्दों के साथ जो संशोधन लहरी जी ने प्रस्तुत किया है उसका मैं विरोध करता हूं।

*श्री भुवनेशभूषण शर्मा---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, अभी जो वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि यह दफा ४ इस विधेयक में व्यापारी वर्ग के कहने के अनुसार रखी गई है, तो मैं उन से आप के द्वारा यह जानना चाहूंगा कि क्या उन का मंशा इस तरह का विधेयक लाने का नहीं था? इसको वह व्यापारी वर्ग के कहने से ही लाये हैं? मैं नहीं कहता कि माननीय मंत्री कोई ऐसी गलत बात कहते हैं, वह ठीक कहते होंगे, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, व्यापार मंडल या अन्य ऐसी कितनी ही संस्थायें हैं कि जिनके प्रतिनिधि मंत्री महोदय से मिले लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और यह बात व्यापारी वर्ग ने कही इसलिये उन्होंने इसको मान लिया। हो सकता है कि वे व्यापारी इसी प्रकार के हों कि उनकी बात मानी जाय। इस सदन में भी इसके पक्ष और विपक्ष में लोग हैं, और जैसे लोग इसके पक्ष में हैं उसी प्रकार के व्यापारी मंत्री महोदय के पास गये होंगे। हो सकता है कि वे व्यापारी ऐसे हों कि जो बड़े हों और सारे व्यापार पर अपना कब्जा जमाये रखना चाहते हों, उनके पास साधन हैं, काम करने वाले हैं, मुनीम भी हैं, क्लार्क भी हैं, और इस से उन पर कोई असर पड़ता भी नहीं। वे अपना व्यापार इसके होते हुये भी सुचारु रूप से चला सकते होंगे। आज जो यह मुसीबत और आपत्ति घटी है, यह तो उन छोटे व्यापारियों पर घटेगी जो इस कानून को समझते नहीं हैं, जैसा कि अभी तक एक माननीय सदस्य ने कहा कि संभवतः कानून को न जानने के कारण इस प्रकार की आपत्ति उन्होंने उठायी। तो सचमुच जो इस प्रकार के कानून को कभी नहीं समझ पायेंगे, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और काम को कर भी नहीं सकते हैं उनके लिये यह कठिनाई पैदा होगी। सेल्स टैक्स का हिसाब छोटा-मोटा मुनीम या छोटा-मोटा क्लर्क ठीक प्रकार से नहीं रख सकेगा और बड़े मुनीम या बड़ा क्लार्क रखने की उनकी हिम्मत नहीं है तो उनको कठिनाई होगी। हो सकता है माननीय मंत्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी के पास दो तरह के व्यापारी आये हों। एक तो वह जो इस प्रकार की सिफारिश करते हों और एक वह बड़े व्यापारी जिनको कोई आपत्ति नहीं है, ऐसे नियम पर उनको कोई परेशानी नहीं है चाहे उनका काम किसी भी प्रकार का होता हो।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी की सेवा में यह निवेदन करूंगा कि यह जो नियम बनाये गये हैं, इस धारा ४ के अन्दर, जिनमें अधिकारी के ऊपर यह छोड़ दिया गया है कि वह चाहे तो सिक्योरिटी जमा कराये और अगर नहीं चाहे तो न कराय, इससे भ्रष्टाचार पैदा होगा। यदि यह नियम इस प्रकार से बना दिया जाता कि जो व्यक्ति इतना सेल्स टैक्स देगा उसको इतनी सिक्योरिटी के रूप में जमा करना होगा तो अधिक अच्छा था, लेकिन यहां उस अधिकारी के ऊपर छोड़ दिया गया है, उसकी मरजी पर छोड़ दिया गया है कि जिससे वह चाहे सिक्योरिटी जमा करावे और जिससे न चाहे वह सिक्योरिटी जमा न करावे। इससे भ्रष्टाचार के बढ़ने की संभावना है। कानून बनाते समय कई पहलुओं से देख लेना चाहिये कि इसका व्यापारियों पर और सरकारी वर्ग पर क्या असर पड़ेगा और इसका क्या रिएक्शन होगा। अधिकारियों को शंका होगी तो इससे भ्रष्टाचार का दरवाजा निश्चय ही खुलता है। तो जो संशोधन लहरी जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस संशोधन को अवश्य मानें।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, मैं अब क्लोजर का प्रस्ताव मूव करता हूं।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन् जब यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने नहीं गया है तो फिर हम लोगों को क्लोजर मूव करना शोभा नहीं देता।

श्री अधिष्ठाता—अच्छा, १, २ सदस्य और बोल लें।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—अधिष्ठाता महोदय, जो बिक्री-कर संशोधन विधेयक इस समय पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने बड़े गौर से अपने माननीय साथियों की दलीलों को सुना और सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारे साथी उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो आम तौर पर इस टैक्स से बचना चाहते हैं। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मैं ऐसे शहर से आया हूं जहां पर व्यापारी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। कानपुर शहर से सेल्स टैक्स की बहुत बड़ी आमदनी सरकार को है। जिन व्यापारियों से इसका सम्बन्ध है वह दुखी थे इस कारण कि कुछ ऐसे चलते हुये व्यापारी वहां आये हुए थे जो बाजार को चौपट करना चाहते थे और सरकार को सेल्स टैक्स देने से भी बचना चाहते थे। उनका तरीका यह था कि उन्होंने एक फर्म खोली और चार महीने या साल भर काम किया और सेल्स टैक्स वसूल किया फिर उन्होंने साइन बोर्ड बदल दिया। सारी चीज वही, लेकिन साइन बोर्ड बदल दिया और सेल्स टैक्स से बच गये। नतीजा यह हुआ कि जो पुराने व्यापारी थे, जिन्होंने लाखों रुपया लगाया हुआ है सेल्स टैक्स के देने लायक भी मुनाफा नहीं कमा पाये और जो सेल्स टैक्स की जद से बचने वाले थे, वे सरसब्ज होते दिखायी दिये। मैं समझता हूं यह सिर्फ कानपुर में ही नहीं होता था बल्कि यह जाल बट्टा दूसरे स्थानों में भी होता था। होता यह था कि केवल फर्म का नाम बदल दिया जाता था और सब काम वही होता था और इस प्रकार से सेल्स टैक्स की जद से बचाव होता था। मुझे ताज्जुब हुआ कि माननीय सदन के लोगों ने उन्हीं व्यापारियों को आमतौर पर सपोर्ट किया और ऐक्ट की संशोधित धारा का विरोध किया। मैं समझता हूं किसी एक दो व्यापारी से माननीय मंत्री जी मुतास्सिर नहीं हो सकते थे कि इस तरह का संशोधन वे ले आते। लेकिन जब उनको यह मालूम पड़ा कि प्रदेश की मंडियां चौपट हो रही हैं और कुछ लोग इस तरह का जाल बट्टा करके दूसरे व्यापारियों का नुकसान करते हैं और सरकार का पैसा भी नहीं देते तभी वित्त मंत्री जी ने यह रखा कि फर्म के एक ही आदमी से भी सेल्ल टैक्स वसूल कर लिया जाय और जिस साझीदार का सरकार

[श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा]

को पता नहीं लग रहा है उससे व्यापारी को अधिकार होगा कि उसके हिस्से का रुपया वसूल कर ले। इसका नतीजा यह होगा कि जो आज केवल साइन बोर्ड बदल कर टैक्स का इवेजन होता है वह किसी हद तक रुक जायगा।

माननीय लारी साहब ने कहा कि कानून बनाते हैं लेकिन उसमें छिद्र रह जाते हैं। लारी साहब भी इस सदन के फुल फ्लेज्ड माननीय सदस्य हैं, उन्हें अधिकार है कि इस सदन में बैठ कर कोई अमेंडमेंट लायें, वे बतायें कि उन छिद्रों को किस प्रकार से रोका जा सकता है। वे ऐसा संशोधन लायें कि मुकम्मिल कानून बन सके। मैं आपके द्वारा माननीय दोस्तों से कहना चाहता हूं कि वे वाकआत को देखें तब उनको मालूम होगा कि वे ऐसे सुधार का विरोध कर रहे हैं जो कि आज की परिस्थितियों के प्रतिकूल है। मैं समझता हूं, यह अच्छा नमूना नहीं है। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और अपने लायक दोस्तों से अपील करता हूं कि वे सोचें कि वे गलत आदमियों को व्यर्थ सपोर्ट कर रहे हैं।

*श्री शिवराज बहादुर—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा इस वक्त कतअन बोलने का इरादा नहीं था लेकिन थोड़ी सी ग़लतफहमी हो गयी मालूम पड़ती है। इस अमेंडमेंट के मुताल्लिक कोई अजीब चीज नहीं है। आज भी ऐसा है। जिन लोगों ने टेनेंसी ला को देखा है और कानून से वाकिफ हैं वे जानते हैं कि अगर किसी जमींदार के बहुत से काश्तकार एक ही जोत के होते थे तो जमींदार एक से वसूल कर लिया करता था और वह जिससे कुल रुपया वसूल हो गया है वह अपने पार्टनर से उसके हिस्से का रुपया वसूल कर सकता था। इसलिये यह कोई अजीबो-ग़रीब चीज नहीं है। मान लीजिये, एक शख्श ने कुल टैक्स अदा कर दिया लेकिन अगर उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वह कुल अदा करे तो वह उन लोगों से जो टैक्स की जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, वसूल कर सकता है। अभी अधिष्ठाता जी, कहा यह गया कि माननीय तिवारी जी ने यह कहा है कि टैक्स वसूल न किया जाय। लेकिन यह बात नहीं है। आज भी इस प्रकार के कानून मौजूद हैं जिनके जरिये से वह वसूल किया जा सकता है, वह दूसरे कानूनों से दूसरों के हिस्सों का टैक्स उनसे वसूल करने का हक़दार है। उनकी मंशा यह थी कि जब इस जैसा कानून आज भी मौजूद है तो इसकी क्या आवश्यकता है। अगर हमसे दोनों का टैक्स वसूल करते हैं जिसकी पूरी जिम्मेदारी हम पर नहीं है बल्कि हमारे कोशेयरर्स पर भी है जो किसी तरह से अलहदा होकर दूसरी तिजारत कर रहे हैं, इसलिये जो उनके ऊपर वाजिब हो वह उनको भी देना चाहिये लेकिन अगर वे नहीं देते हैं तो उसके लिये इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए कहते कि हम इसके लिये यह अख्तियार दे रहे हैं। अख्तियार देने का माने यह नहीं है कि जिस शख्स ने पूरा टैक्स दिया हो, उसके हिस्सेदार का टैक्स भी उसी से वसूल किया जाय और बाद में वह उससे वसूल कर लेगा। वह अपने को शेयरर्स से टैक्स का रुपया अपने किसी मुलाजिम को भेज कर किसी नौकर चाकर को भेज कर नहीं वसूल कर सकता है। इसके लिये भी उसे अदालत में ही जाना पड़ेगा और अदालत के जरिये ही वह टैक्स का रुपया उससे वसूल हो सकेगा। मैं यह बात स्पष्ट कर दूं कि ऐसे बहुत से केसेज अदालत में जाते हैं और अदालत के जरिये ही उनसे टैक्स वसूल किया जाता है। इसमें कोई उलझन की बात नहीं है। यह एक बड़ा जबरदस्त संशोधन है और यह तो ऐसी चीज है जो नेचुरल है।

जहां तक इंसाफ का तकाजा है, मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि आप कोई भी कानून बनावें, कोई भी अमेंडमेंट लावें, लेकिन अमेंडमेंट लाने से, या कानून के बनाने से यह जरूरी नहीं है कि जो भी वहां फैसला हो वह सही ही हो। उनकी राय में सही और गलत दोनों बातें हो सकती हैं। इसलिये कानून बनाने के ऊपर ही इसका इनहसार नहीं होना चाहिये बल्कि वर्तमान स्थिति का भी खयाल रखना होगा। इसमें जो यह इजाफा किया गया है, इसकी कतई जरूरत नहीं थी। माननीय अधिष्ठाता जी, अगर सरकार वाकई चाहती है कि सही माने में टैक्स

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वसूल हो तो मैं सदन से अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं कि जो कोशेयरर्स से टैक्स वसूल करने की बात है वह सही नहीं है, सराहनीय नहीं है। यह मैं कोई समालोचना या ऐडवर्स क्रिटिसिज्म के खयाल से नहीं कह रहा हूं बल्कि मेरे सामने तो कई जिले की मिसालें मौजूद हैं। मुझे अपने जिले का पूरा तजुर्बा है कि वहां पर बहुत से ऐसे केसेज हैं जिनके ऊपर बड़ा जबरदस्त अत्याचार हुआ है। जिनसे नहीं वसूल होना चाहिये था उनसे टैक्स वसूल हुआ है। बहुत से केसेज में रिमांड भी हुआ है। बहुत से ऐसे भी हैं जिनसे वसूल होना चाहिये था वे बचे हुए हैं क्योंकि उनके ताल्लुकात ऐसे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको मालूमात कम हैं, उनको सही इनफार्मेशन नहीं मिलती कि कौन सा सही तरीका है। इसके अलावा बहुत से ऐसे जो टैक्स देने से बचे हुए हैं, उनके बारे में हम भी सही इत्तिला नहीं दे पाते। तो सरकार के पास खुद ऐसी मशीनरी होनी चाहिये जिसके जरिये मालूम किया जा सके और कोई बच न जाय। ऐसा हो रहा है कि जिसको देना चाहिये उसके ऊपर तो टैक्स नहीं पड़ता और जिसको टैक्स नहीं देना चाहिये उसके ऊपर टैक्स पड़ता है। मैं समझता हूं कि हमारे इतने बड़े प्रदेश के लिये यह शायानेशान नहीं है। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग जिनके ऊपर टैक्स पड़ना चाहिये उन्हीं के ऊपर टैक्स पड़े और जिनके ऊपर नहीं पड़ना चाहिये, उनके ऊपर नहीं पड़े। लेकिन आज यह चीज एग्जिस्ट करती है। इस तरह से एक बड़ा जबरदस्त हैजान है। पब्लिक बड़ी दिक्कत में पड़ी हुई है। यह कोई अमेंडमेंट की बात नहीं है और मैं खुले अल्फाज में इसकी वजाहत भी नहीं करना चाहता। मेरे सामने कई मिसालें मौजूद हैं, लेकिन उन मिसालों को मैं इस सदन के सामने रखना जरूरी नहीं समझता। मैं तो इस राय का हूं कि अगर कोई डिजाल्व्ड फर्म हो, उसके अगर दो हिस्सेदार हैं, तो टैक्स उन दोनों से जरूर वसूल किया जाना चाहिये। मैं बिल्कुल स्पष्ट राय का हूं और मेरा खयाल है कि इसके खिलाफ राय रखना न्याय और कानून के खिलाफ है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—श्री अधिष्ठाता महोदय, श्री लहरी जी ने ज संशोधन उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया और बहुत से मित्रों ने भी कहा कि हम अच्छे से अच्छा कानून लाते हैं तब भी उधर के लोग उसका विरोध करते हैं। लेकिन मैं सदन को बताऊंगा कि कानून यहां कितना ही अच्छा से अच्छा बने लेकिन जब तक हम उसे ठीक तरह से लागू नहीं करेंगे तब तक उसका सदुपयोग नहीं होगा। आपको शायद मालूम होगा कि आपके यहां आज बहुत सी ऐसी फर्में और व्यापारी हैं जो कि आप के टैक्सों की चोरी करते हैं, वह जनता से उसे वसूलते हैं, मैं भी चाहता हूं कि सरकार ऐसे कदम उठाये कि वह उनसे वसूला जाय जो कि टैक्सों की चोरी करते हैं। इसलिये मैं आपक द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से अपील करूंगा कि आज बहुत से ऐसे व्यापारी हैं और फर्में हैं जो टैक्सों की चोरी करती हैं उनके लिये हमें बहुत सख्त कानून बनाना चाहिये और उसको हर तरीके से उनसे वसूल करना चाहिये। लेकिन जैसा कि माननीय श्रीपाल सिंह जी ने कहा, आपके विभागों में जो अफसर हैं उनके ऊपर भी कड़ाई रखनी चाहिये। व्यापारी किसी मिनिस्टर का रिश्तेदार है, कोई किसी एम० एल० ए० का रिश्तेदार है, जिसकी वजह से उन अफसरों पर हर तरह के असर डाले जाते हैं और व्यापारियों की तरफ से भी तरह-तरह के असर और प्रभाव उन अफसरों पर डाले जाते हैं, व्यापारियों के भी प्रभाव पड़ते हैं, और ज्यादातर व्यापारियों के यहां बही खाते भी जाली बनते हैं। मैं जानता हूं कि बनारस में सैकड़ों ऐसे व्यापारी मिलेंगे जिनके यहां २ तरह के बहीखाते रहते हैं, एक सेल्स टैक्स आफिसर को दिखाने के लिये और दूसरा बिक्री का, मैं उनमें से बहुतों को पकड़वाने के लिये भी तैयार हूं। मैं यह मानता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी की नीयत या मन्शा खराब नहीं है, उनकी नीयत यही है कि जो टैक्स जनता से वसूल किया जाता है वह सरकारी खजाने में आये और वह सूबे के विकास और तरक्की के काम में लगे। लेकिन हम देखते हैं कि हर विभाग में भ्रष्टाचार है, चोरी सेल्स टैक्स की होती है, लेकिन अफसर नहीं पकड़ते। माननीय माल मंत्री जी ने सीरदारी का बहुत बड़ा अच्छा कानून बनाया था लेकिन यहां के अफसरों ने उसको किस तरह से तोड़ मरोड़ कर लागू किया जिसका नतीजा आपके सामने है। इसलिये आप पहले इस चोरी को चेक कीजिये और पकड़िये और ऐसी चोरी

[श्री ऊदल]

करने वाली फर्मों और व्यापारियों को पकड़ कर सख्त से सख्त सजा और जुर्माना दीजिये और कड़ा से कड़ा कानून बनाइये, हम आप का साथ देंगे और समर्थन करेंगे। यह न हो कि कानून भी बने और सरकारी पक्ष के लोग नाजायज दबाव अफसरों पर डालें और वह रिश्वत लेकर उसको ठीक से लागू न करें। इसलिए मैं अन्त में माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप सख्त से सख्त कानून बनायें, लेकिन उसका ठीक से पालन करायें और जहां भ्रष्टाचार है उसको रोकें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जगन्नाथ लहरी---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे खुशी है कि मैंने जो संशोधन उपस्थित किया था उसका समर्थन एक कांग्रेसी सदस्य श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा ने भी किया, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी द्वारा हमारे यहां के सभी सदस्यों को यह आदेश मिला था कि इस बिल के सम्बन्ध में सभी सदस्य अपने विचार प्रकट करने के लिये स्वतन्त्र हैं। माननीय श्रीपाल सिंह जी ने जो इस बिल का समर्थन किया है तो उनको पूरी स्वतन्त्रता इस विधेयक का समर्थन या विरोध करने के लिये हमारी पार्टी की तरफ से मिली थी। माननीय मंत्री जी ने कहा कि व्यापारियों के डेपुटेशन ने मिल कर उनसे इस प्रकार का संशोधन करने का आग्रह किया है। मैं जानना चाहता हूं कि जहां सरकार ने इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट के आधार पर व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने को नार्दर्न इंडिया एम्पलायर्स असोसियेशन को मनोनीत कर दिया है तो क्या कोई डेपुटेशन उनकी संस्था का भी आया है या उन्होंने भी यह मांग की है, या यू० पी० चैम्बर आफ कामर्स का कोई प्रतिनिधि मंडल आया हो जिसने यह मांग की हो ? मैं भी फिरोजाबाद क्षेत्र से आया हूं जहां चूड़ी और कांच का व्यापार होता है। वहां पर भी एक व्यापारिक संस्था है 'दी ग्लास इंडस्ट्री सिंडीकेट'। उसका कोई प्रतिनिधि मंडल आया हो जिसने मांग की हो, तो हम उस पर विचार कर सकें। साथ ही साथ हमारे एक कांग्रेसी भाई ने कहा कि उदाहरण के लिये रामकृष्ण का एक फर्म है। वह पुनर्गठित होता है। राम बिदा हो जाते हैं और राम की जगह पर अर्जुन आते हैं तो टैक्स किससे वसूल किया जाय ? मैं बड़े अदब से उन सम्मानित सदस्य से कहना चाहता हूं कि रामकृष्ण का जो फर्म चला था, राम के बिदा होने के बाद पुराने साझीदार कृष्ण रह गये। अर्जुन नये साझीदार बने। लेकिन जब दो बार आप इस विधेयक के मुताबिक टैक्स वसूल करेंगे वह कृष्णार्जुन से करेंगे जिससे अर्जुन भी बेचारा फंस जायगा। अगर सचमुच टैक्स वसूल करना है तो कृष्ण से अकेले कीजिये जिसने राम के साथ मुनाफाखोरी की और दौलत में हिस्सा बंटाया, उस टैक्स की अदायगी में कृष्ण को ही भागीदार होना चाहिए न कि अर्जुन को। आपने अगर विधेयक में इस तरह का संशोधन कर दिया होता कि फर्म के जो साझीदार रह गये हैं, ट्रांसफर होने के बाद जो नयी फर्म बनती है, उसके पुराने साझीदार से पुराना सेल्स टैक्स वसूल किया जायगा तो मुझे इस संशोधन के प्रस्तुत करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आपने तो यह संशोधन कर दिया है कि जो नयी पुनर्गठित फर्म बनेगी उससे टैक्स वसूल कर लेंगे और वह चाहें तो पुराने हिस्सेदार से टैक्स वसूल कर लें। जब कांग्रेस पक्ष के एक सदस्य ने निहायत ईमानदारी से मेरे इस संशोधन का समर्थन कर दिया है तो फिर मैं यह मांग करता हूं कि जब आप कहते हैं कि यह छोटा सा विधेयक है तो मेरा भी छोटा सा संशोधन है, उसे आप प्रदेश के व्यापारियों के हित के लिए स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री धर्म सिंह---अधिष्ठाता महोदय, जहां तक इस संशोधन का अभिप्राय है और जैसा कि माननीय लहरी जी ने प्रस्तुत किया है, माननीय वित्त मंत्री जी ने यों तो उसका जवाब दे दिया और इसके साथ-साथ इधर के बैठने वाले लोगों ने और विशेष रूप से माननीय वर्मा जी ने उत्तर दे दिया, लेकिन जहां तक इस संशोधन का अभिप्राय है मेरे विचार से माननीय लहरी जी उसको नहीं समझ सके हैं।

सेलेक्ट कमेटी ने बार-बार बैठ कर खास तौर से यह जो प्रतिबन्ध लगाये हैं, इन पर पूर्णतया विचार किया और कितने बार ही विचार किया। अन्त में सेलेक्ट कमेटी

भी इसी नतीजे पर पहुंची कि जो कुछ इसमें बढ़ाया जा रहा है वह ठीक है। तो मैं समझ नहीं सका जो बहुत सी दलीलें दी गईं। माननीय लहरी जी कहते हैं इन दोनों खंडों में जो नीचे प्रतिबन्ध हैं निकाल दिये जायं। अगर वह फिर से "क" और "ख" खंड को देखें तो उनका अभिप्राय बिलकुल समाप्त हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं यह बता देना चाहता हूं कि "ए" और "बी" दो फर्में हैं। चली आती हैं। दोनों टैक्स वसूल किया है। "बी" फर्म टूट जाती है या "सी" के साथ मिल जाती है। तो इसमें जो प्रतिबन्ध है वह यह है कि पहले 'बी' फर्म से वसूल किया जायगा। यदि किसी कारण से "बी" देने में असमर्थ रहे या न दे सके तो जिसमें जा कर वह जुड़ेगी, उदाहरण के तौर पर "सी" फर्म, तो उसको लाजिमी होगा कि वह "सी" फर्म से ले सके। जब एक बार टैक्स ले लिया और फर्म टूट गयी तो आखिरकार वह किससे वसूल किया जायगा? तो जो माननीय लहरी जी कहते हैं निकाल दिया जाय तो "क" और "ख" में जो दिया गया है उससे वह तो संशोधन का अभिप्राय समाप्त हो जायगा। और जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं कि इससे व्यापारियों का नुकसान होगा, ऐसी बात नहीं है।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ३ में प्रस्तावित नई धारा ३-ग के दोनों प्रतिबन्धात्मक वाक्यखंड निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मदनमोहन---अधिष्ठाता महोदय, सदन ने क्योंकि यह निर्णय कर लिया है कि जो प्रतिबन्ध इसमें है वह ठीक है, तो अब इन प्रतिबन्धों में कुछ शाब्दिक गलतियां हो गई हैं और उन्हीं के संबंध में मेरा संशोधन है। मेरा संशोधन यह है कि---

"खंड ३ में प्रस्तावित नई धारा ३-ग के प्रथम प्रतिबन्ध की पंक्ति ४ में शब्द 'अथवा संघ' के पश्चात् तथा शब्द "से वसूल" के पूर्व निम्नांकित शब्दों को संवर्धित किया जाय---

"अथवा हस्तान्तरिती (transferee)" और इसी प्रकार से

खंड ३ में प्रस्तावित नई धारा ३-ग के द्वितीय प्रतिबन्ध की पंक्ति १ में शब्द "संघ" के पश्चात् व शब्द 'से' के पूर्व, व

द्वितीय पंक्ति में शब्द 'संघ' के पश्चात् व शब्द 'की' के पूर्व निम्न शब्दों को संवर्धित किया जाय:

"अथवा हस्तान्तरिती (transferee)" यह संशोधन मैं करना चाहता हूं।

दूसरा संशोधन स्पष्टीकरण के संबंध में है वह मैं अलग से पेश कर दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---दो संशोधन जो पेश किये गये हैं एक साथ नहीं हो सकते, अलग-अलग होंगे।

श्री अधिष्ठाता---स्पष्टीकरण के संबंध में जो संशोधन है वह अलग से हो जायगा और बाकी दोनों का आशय एक ही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---एक इसलिये नहीं है कि पहला संशोधन प्रथम प्रतिबन्ध में है और दूसरा द्वितीय प्रतिबन्ध में।

श्री धर्मसिंह---क्लाज तो एक ही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं।

श्री अधिष्ठाता—क्लाज एक ही है और अमेंडमेंट भी शाब्दिक है। अगर आपको कोई ऐतराज हो तो अलग-अलग पेश करा दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मुझे ऐतराज इसलिये है और आप इस बात से सहमत होंगे कि गलत प्रीसीडेंट कायम न हो।

श्री अधिष्ठाता—अच्छा जैसा आप चाहें। मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री मदनमोहन—अधिष्ठाता महोदय, प्रतिबन्ध २ जो है वह प्रतिबन्ध १ पर आश्रित है इस वजह से दोनों संशोधन साथ-साथ होंगे। अब पहले प्रतिबन्ध में यह कहा गया है कि:—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब ऐसा मालूम हो कि संस्था या संघ के संगठन में परिवर्तन हुआ है अथवा ऐसी संस्था या संघ ने अपना व्यापार हस्तान्तरित कर दिया है और पूर्वोक्त रूप में हिस्सेदार अथवा सदस्य द्वारा देय कर उससे नहीं वसूल किया जा सकता तो उसे पुनः संघटित संस्था अथवा संघ से वसूल किया जायगा।" इसमें शब्द रह गये हैं कि "ट्रांसफरी" से भी वसूल किया जायगा। जब कि ऊपर लिखा हुआ है कि "व्यापार हस्तान्तरित कर दिया है।" तो परिणाम-स्वरूप यह प्रश्न उठता है कि हस्तांतरण की स्थिति में क्या होगा। प्रस्तावित संशोधन के शब्दों से मतलब पूरा हो जायगा।

और इसी प्रकार से प्रतिबन्ध २ में जो प्रतिबन्ध १ पर आश्रित है उसमें भी यही प्रश्न आता है। और कुछ मुझे अधिक नहीं कहना है। भूल से यह शब्द रह गया है, मैं आशा करता हूं कि सदन इसे मंजूर करेगा।

श्री धर्मसिंह—मुझे स्वीकार है।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—श्रीमन्, मुझे विरोध है। मान्यवर, यह शाब्दिक है परन्तु मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं इसका विरोध इस कारण से करना चाहता हूं कि यह अनावश्यक है। ऊपर से अगर इसको देखें तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। माननीय सदस्य फैजाबाद को थोड़ा-सा भ्रम ही रहा है। अगर ध्यानपूर्वक वह उसको देखेंगे तो यह उनका भ्रम दूर हो जायगा।

श्री अधिष्ठाता—मालूम होता है दोनों सदस्य फैजाबाद के हैं।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—हस्तांतरित' श्रीमन्, शब्द जो ऊपर है, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय से यह इस्तदुआ करूंगा कि उसको भी वह समझ लें। उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर जो लिखा हुआ है उससे उसका मतलब हल हो जाता है। लिहाजा यह रिडंडेंट है, इसकी जरूरत नहीं है।

श्री मदनमोहन—इतना ही कहना है श्रीमन्, कि फैजाबाद में अवधेशप्रताप जी मुझसे कानून सीखते हैं और इस सदन में मुझे सिखाते हैं।

श्री अधिष्ठाता—मैं माननीय मदनमोहन वर्मा के संशोधन पर राय लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ३ में प्रस्तावित नई धारा ३—ग के प्रथम प्रतिबन्ध की पंक्ति ४ में शब्द 'अथवा संघ' के पश्चात् तथा शब्द 'से वसूल', के पूर्व निम्नांकित शब्दों को संवर्धित किया जाय—

"अथवा हस्तान्तरिती (transferee)"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—माननीय मदन मोहन वर्मा, मेरा खयाल है कि दूसरे के लिये भी आपके आर्ग्यूमेंट्स वही हैं जो पहले के लिये थे?

श्री मदनमोहन—नहीं श्रीमन्, यह बिलकुल दूसरा है। इसमें जरा से शब्द कुछ गड़बड़ हो गये हैं, "किसी संस्था अथवा व्यक्तियों के संघ का विघटन अथवा पुनःसंघटन अथवा किसी व्यापारी द्वारा अपने व्यापार का हस्तान्तरण अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का विभाजन इस धारा के अर्थ में व्यापार की स्थगनबन्दी समझी जायगी"।

मैं इन अंतिम शब्दों "की स्थगनबन्दी समझी जायगी" के लिये कहना चाहता हूं कि यह कुछ समझ में नहीं आया इस वजह से मैं यह संशोधन रख रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय मदनमोहन वर्मा जी, चूंकि माननीय नारायणदत्त जी ने एक आब्जेक्शन किया था इस वास्ते पहले आप दो को ले लीजिये।

श्री मदनमोहन—तो उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, दूसरा मेरे ख्याल से यहां आपके द्वारा पढ़े जाने से पहले उनके द्वारा पेश किया जाना चाहिये यह रूल आफ पार्लियामेंट्री ला है।

श्री अधिष्ठाता—उन्होंने पेश कर दिया था।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं यह अर्ज करूं कि वह अलग-अलग भी हो सकता है और एक साथ भी मोशन मूव किया जा सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, उन्होंने पेश कहां किया था?

श्री अधिष्ठाता—उन्होंने पेश कर दिया था तब आपने आब्जेक्शन किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो जब आपने मेरे आब्जेक्शन को अपहोल्ड किया तो अब जरूरी है कि उसको दुबारा पढ़ा जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—मैं यह अर्ज करूं कि वह दोनों पढ़ गये थे तो फिर आपने आब्जेक्शन किया.....

श्री नारायणदत्ततिवारी—श्रीमन्, मैं जरा समझा दूं.....

श्री अधिष्ठाता—तो अब आप जरा कृपा करके बैठ जाइये। मैं समझ गया। माननीय मदनमोहन जी आप फिर से पढ़ दीजिये।

श्री मदनमोहन—श्रीमन्, वह इस प्रकार है—

खंड ३ में प्रस्तावित नई धारा ३-ग के द्वितीय प्रतिबन्ध की पंक्ति १ में शब्द 'संघ' के पश्चात् व शब्द 'से' के पूर्व व

द्वितीयपंक्ति में शब्द 'संघ' के पश्चात् व शब्द 'की' के पूर्व निम्न शब्दों को संवर्धित किया जाय– "अथवा हस्तान्तरिती (transferee)"

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ में प्रस्तावित नई धारा ३-ग के द्वितीय प्रतिबन्ध की पंक्ति १ में शब्द 'संघ' के पश्चात् व शब्द 'से' के पूर्व व

द्वितीय पंक्ति में शब्द 'संघ' के पश्चात् व शब्द 'की' के पूर्व निम्न शब्दों को संवर्धित किया जाय— "अथवा हस्तांतरिती (transferee)"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदनमोहन—अधिष्ठाता महोदय, अंतिम संशोधन स्पष्टीकरण से संबंधित है जो पृष्ठ ४ पर है । वह इस प्रकार है कि पृष्ठ ४ पर स्पष्टीकरण की अंतिम पंक्ति में शब्द 'की स्थगनबन्दी समझी' को निकाल दिया जाय व उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द लिखे जायं

'का बन्द करना समझा जायगा' ।

श्रीमन्, इस खंड के प्रारम्भ में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वे यह हैं "व्यापार बन्द कर दिया है" तो इस स्पष्टीकरण में भी वही शब्द आने चाहिये, "व्यापार बन्द करना समझा जायगा"।

श्री धर्मसिंह—स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ के स्पष्टीकरण की अंतिम पंक्ति में शब्द 'की, स्थगनबन्दी समझी को निकाल दिया जाय व उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द लिखे जायं

'का बन्द करना समझा जायगा' ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग बने ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ४

त प्रांतीय संख्या १९४८ ारा ८— का संशो । ।

४—मूल अधिनियम की धारा ८—क की उपधारा (५) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (६) के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"(६) कर-निर्धारक अधिकारी जहां पर राजस्व की सुरक्षा के निमित्त उसे ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, इस धारा के अधीन किसी व्यापारी को रजिस्टर्ड करने के लिये अथवा उसके ऐसे रजिस्ट्रेशन को बनाये रखने के लिये यह अपेक्षा आरोपित कर सकता है कि व्यापारी उस कर की अदायगी के निमित्त जिसका कि वह देनदार हो या आगे चलकर देनदार हो जाय, ऐसे अधिकारी द्वारा अपेक्षित धनराशि की, तथा उसी के द्वारा अपेक्षित रीति से, प्रतिभूति देगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कमिश्नर की पूर्व अनुमति के बिना इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जायगी ।"

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस धारा के अधीन दी गयी आज्ञा से क्षुब्ध (aggrieved) कोई व्यक्ति ऐसी आज्ञा के दिये जाने के ३० दिन के भीतर किन्तु प्रतिभूति की राशि जमा कर देने के उपरान्त पुनरीक्षण प्राधिकारी (Revising Authority) के पास पुनरीक्षण के लिये आवेदन कर सकता है, जो ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उचित समझे ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ८-क-की नई उपधारा (६) के दोनों प्रतिबन्धों में शब्द 'धारा' के स्थान पर शब्द 'उप-धारा' रख दिया जाय ।

यह एक साधारण-सा संशोधन है क्योंकि यह उपधारा ६ से ही संबंधित है । इसलिये धारा, धारा दोनों जगह न हो कर "उप-धारा" होना चाहिये ।

श्री धर्मसिंह—स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ४ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ८-क की नई उप-धारा (६) के दोनों प्रतिबन्धों में शब्द 'धारा' के स्थान पर शब्द 'उप-धारा' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथ लहरी—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में मूल अधिनियम की धारा ८ की प्रस्तावित नई उपधारा (६) निकाल दी जाय।

श्री अधिष्ठाता—इसका अर्थ तो यह होगा कि पूरा खंड ६ ही निकल जायगा। इस प्रकार का संशोधन उपस्थित नहीं हो सकता। आप खंड का विरोध कर सकते हैं।

श्री जगन्नाथ लहरी—अधिष्ठाता महोदय, इस धारा के मुताबिक व्यापारियों के ऊपर यह एक कठोर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। पहले तो गत वर्ष हमारे राज्यपाल महोदय ने १ अप्रैल, १९५६ को एक आर्डिनेन्स प्रचारित किया था, उसमें इस बात के लिये प्रतिबन्ध लगा दिया था कि इस प्रांत में जो भी व्यापारी व्यापार करेंगे उन्हें ६ रुपया जो लाइसेंस फीस देनी पड़ती थी, उसकी जगह १० रु० जमा करके लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा। अब सिलेक्ट कमेटी द्वारा यह जो रेजोल्यूशन हमारे सामने आया है जिसके आधार पर यह विधेयक हम लोगों के सम्मुख उपस्थित किया जा रहा है, उसके अनुसार अब एक नया प्रतिबन्ध व्यापारियों के लिये और जोड़ा जा रहा है कि बिक्री-कर अधिकारी अगर मुनासिब समझें और राजस्व की सुरक्षा के लिये, वह जिस व्यपारी को चाहें, उन्हें लाइसेंस देने से इंकार कर सकते हैं और उससे लाइसेंस प्राप्त करने या रिन्यू कराने के लिये एक अपेक्षित धनराशि जमा करने की आज्ञा देंगे। श्रीमन्, आज व्यापारिक दशा कुछ परिवर्तित हो गयी है। अभी तक तो सेल्स टैक्स स्टेट के अधिकार क्षेत्र में ही था और प्रोविंसेज अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में सेल्स टैक्स लेते थे, लेकिन अब कुछ दिनों से भारत की सरकार ने भी एक अन्तर्प्रान्तीय सेल्स टैक्स लगाना प्रारम्भ कर दिया है, जिसके लिये वह लाइसेंस देती है, यद्यपि उस लाइसेंस की व्यापारियों को कोई भी फीस अदा नहीं करनी पड़ती है। बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हीं व्यक्तियों को लाइसेंस देती है जिनके पास स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया हुआ सेल्स टैक्स का लाइसेंस होता है। इस अन्तर्प्रान्तीय सेल्स टैक्स में एक अजीब-सा गोरखधंधा है कि जिन फर्मों, संस्थाओं और संघों के पास वह लाइसेंस होगा उनको दूसरे प्रांतों से माल आयात करने पर एक परसेंट सेल्स टैक्स अदा करना पड़ेगा, लेकिन लाइसेंस न होने पर सवा छः परसेंट अदा करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जहां लाइसेंस की कोई फीस नहीं लेती है, वहां हमारी सूबे की गवर्नमेंट १० रुपये लाइसेंस फीस लेती है और अगर बिक्री-कर अधिकारी किसी व्यापारी को लाइसेंस न देगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उसे लाइसेंस नहीं मिलेगा और तब व्यापारी को एक परसेंट के बजाय सवा छः परसेंट सेल्स टैक्स देना पड़ेगा, इसको आप सोचिये। हमारे देश में जो ब्रिटिश फर्म हैं या विदेशी फर्म हैं वह सेल्स टैक्स कानून लागू हो जाने के बाद सिर्फ उन्हीं को माल सप्लाई करती हैं जिनके पास सेल्स टैक्स का लाइसेंस होता है। अब आप देखें कि एक व्यापारी फर्म है, किसी तरह से सेल्स टैक्स आफिसर उससे नाराज हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि इतना रुपया की कैश सिक्यूरिटी का जमा करो तब लाइसेंस मिलेगा। जब सेल्स टैक्स आफिसर कैश सिक्योरिटी जमा करने की आज्ञा देता है और वह फर्म जमा नहीं कर पाती है तो वह फेल हो जायगी। इस तरह से आप उस फर्म के बन्द करने की कार्यवाही करते हैं।

अब मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ भाइयों ने यह कहा कि इनकम टैक्स वाले भी पहिले रुपया जमा करा लेते हैं। लेकिन इनकम टैक्स में और इसमें कुछ अन्तर है। इनकम टैक्स में यह है कि चार-पांच साल तक असेंसमेंट नहीं होता है तो एक्ट के मुताबिक जहां असेसमेंट में देर लगती है तो उनका यह आर्डर हो जाता है कि

[श्री जगन्नाथ लहरी]

जब तुम्हारी वर्ष की मियाद समाप्त हो तो फिलहाल इतना रुपया टैक्स के रूप में जमा कर दो और असेसमेंट आगे होता रहेगा। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने इस तरह का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है कि आपका असेसमेंट नहीं हो सका है और आप रुपया जमा नहीं कर रहे हैं इसलिये आप यहां व्यापार नहीं कर सकेंगे। परन्तु हम इस प्रतिबन्ध से व्यापारियों पर कुठाराघात करते हैं और उनको विवश करते हैं कि वह इस प्रदेश में अपना व्यापार चालू न रख सकें।

एक साहब ने यह कहा कि आज एक फर्म जो रजिस्टर्ड की गई है लेकिन वह कुछ दिनों बाद गायब हो जाती है, उसके बारे में मैं आपके सामने बहुत सी बातें रख चुका हूं, और अधिक कुछ नहीं कहना है। एक चीज यह आती है कि वह व्यापारी जिसे लाइसेंस न दिया जाय रिवीजन तीस दिन में कर सकता है। यह अधिकार आप उसको उस समय देते हैं जब सेल्स टैक्स आफिसर ने उसको लाइसेंस नहीं दिया और उसके साथ-साथ यह शर्त लगाई है कि वह फर्म अमुक धनराशि जमा कर देगी तब उसको लाइसेंस मिलेगा। वह इस आज्ञा के विरुद्ध रिवीजन करने जाता है। लेकिन आप उसे अपील करने का अधिकार नहीं देते हैं, रिवीजन का अधिकार देते हैं। आप उसको यह अधिकार देते हैं कि वह तीस दिन में रिवीजन करे। वह इस बात का रिवीजन करना चाहता है कि वह अमुक धनराशि जमा नहीं करना चाहता है। लेकिन उससे पहले ही हमारा यह विधेयक उसे विवश कर रहा है कि रिवीजन करने का अधिकार वह तब प्राप्त कर सकेगा जब सेल्स टैक्स आफिसर ने जो हुक्म शाया कर दिया है, उसके मुताबिक वह रुपया जमा कर दे।

आप देखें कि सेल्स टैक्स का कानून यह है कि साल भर में जिसकी १२ हजार से ज्यादा सेल होगी उससे सेल्स टैक्स वसूल कर लेंगे। इसके माने यह है कि बारह हजार से ज्यादा सेल पर सेल्स टैक्स लेने का अधिकार है। अब आप यह सोचिये कि जिस फर्म की या व्यापारिक संस्था की इस तरह की सेल होती है उसकी कैपिटल बारह हजार की नहीं हो सकती है। एक हजार रुपया लगाने वाले की या ५०० रुपया लगाने वाले की भी सेल १२ हजार तक हो सकती है। थोड़े से कैपीटल से काम चल सकता है। व्यापार में रुपया आता जाता है और बिक्री बढ़ती जाती है परन्तु कैपिटल में बहुत थोड़ा इजाफा होता है लेकिन बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सेल्स टैक्स आप बिक्री पर लेते हैं। इसलिये अगर सेल्स टैक्स आफिसर नाराज हो गया और उसने कहा कि जो तुम्हारी बिक्री का असेसमेंट है, मानों उसकी बिक्री एक लाख रुपया होती है तो चार हजार रुपया अदा कर दो या सवा छै हजार रुपया सेल्स टैक्स देता है तो पहले वह सरकारी खजाने में रुपया जमा कर दे तब उसको सेल्स टैक्स का लाइसेंस दिया जायगा। इसका मतलब तो यह है कि उस फर्म को अपनी सारी पूंजी सरकारी खजाने में लगा देनी पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि आप इंडायरेक्टली उसको दिवालिया घोषित करने के लिये मजबूर कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय आध घंटा और बढ़ा दिया जाय।

(श्री अधिष्ठाता ने श्री नारायणदत्त तिवारी का नाम पुकारा।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, पहले एक तो परिपाटी यह होती थी कि आम तौर पर जब सरकार इस प्रकार सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव रखना चाहती थी तो वह विरोधी दलों से पूछ लिया करती थी।

श्री अधिष्ठाता--मैं तो आपसे पूछ रहा हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं इसीलिये निवेदन कर रहा हूं कि तीन संशोधन अभी बाकी हैं और माननीय जगन्नाथ लहरी अभी अपना व्याख्यान दे ही रहे हैं। मुझे दुःख है कि मेरे मित्र माननीय विष्ट जी ने उनके बोलते-बोलते बिना किसी प्वाइंट आफ आर्डर के यह प्रस्ताव रख दिया। मैं समझता हूं कि अगर आज सदन ५ बजे उठ जाय तो कोई हर्ज नहीं है क्योंकि इसका आज पास करना कोई अत्यन्त आवश्यक नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी के सामने यह जरूर आता। इसलिये आज सदन का समय बढ़ाना मुझे कोई आवश्यक नहीं प्रतीत होता।

श्री अधिष्ठाता--मैं आपसे यह निवेदन करने वाला था कि खंड ५ पर कोई संशोधन नहीं है। खंड १ पर एक संशोधन है। तो अगर थोड़ी देर और बैठ जायं तो शायद यह पास हो जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अभी थर्ड रीडिंग भी होगी।

श्री अधिष्ठाता--हां, यह ठीक है। माननीय वित्त मंत्री जी, आपकी क्या राय है?

(वित्त मंत्री के कुछ न कहने पर)

मेरा यह अनुमान है कि माननीय वित्त मंत्री जी इन्सिस्ट नहीं कर रहे हैं कि समय बढ़ाया जाय।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह तो जाहिर है कि मैं इन्सिस्ट नहीं करता कि समय बढ़ाया जाय। मैंने तो एक माकूल बात माकूल आदमियों के सामने रखी थी।

श्री जगन्नाथ लहरी--मैं आपके सम्मुख यह कह रहा था कि उस व्यापारी के लाइसेंस के ऊपर यह प्रतिबन्ध लगाना कि अपेक्षित धनराशि जमा करने पर ही उसे लाइसेंस मिलेगा, तब उसका जो छोटा सा कैपिटल व्यापार में लगा हुआ है वह सारा सेल्स टैक्स अधिकारी के आज्ञानुसार कहीं निकल जाये तो उसका साफ मतलब यह होगा कि उस फर्म का दिवाला निकल गया। पूंजी जो फर्म में लगी होती है वह सब वस्तुओं में होती है, नकद नहीं होती और जो रुपया आने जाने का चक्र रहता है उसी के कारण वह लाखों का व्यापार कर लेता है। जिस तरह की यह धारा यहां पेश है अगर इसे पारित कर दिया जाय तो इसका मतलब है कि हम उन व्यापारियों को इस बात के लिये मजबूर कर रहे हैं कि वे पूंजी के अतिरिक्त और रुपया अलग रखें लाइसेन्स लेने के लिये। जहां हम आज इस प्रदेश के ही नहीं बल्कि सारे देश के उद्योग-धन्धे को बढ़ाने की बात करते हैं और निजी पूंजी के अलावा विदेशी पूंजी का भी आवाहन करते हैं वहाँ इस विधेयक के द्वारा सरकार यह संकेत करती है कि ऐ पूंजी लगाने वालो, तुम सावधान रहो। न मालूम हमारे सरकारी अधिकारियों की दृष्टि किस पर टेढ़ी हो जाय और वह तुम्हें इस बात के लिये विवश कर दें कि तुम्हें व्यापारिक क्षेत्र से हमेशा के लिये हट जाना पड़े। तो इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद उनके व्यापार को कायम रखने के लिये एक अजीब संकट पैदा हो जायगा। जहां आज व्यापारियों को संरक्षण की आवश्यकता है कि इस महंगाई की हालत में वे अपने पैरों पर खड़े रहें और इस प्रदेश और देश की पूंजी बढ़ाने में सहायक हो सकें वहां हमारी सरकार इस संशोधन विधेयक के द्वारा उनके ऊपर कठोर नियंत्रण करना चाहती है। साथ ही आप यह भी देखें कि यहां इनकम टैक्स की बार-बार दुहाई दी जाती है कि असेसमेंट से पहिले व्यापारियों से रुपया जमा करा लिया जाता है। जैसा मैंने पहले कहा था कि अधिकारी जब कई सालों तक असेसमेंट नहीं कर पाते हैं तब वह रुपया जमा कर लेते

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

हैं और इस तरह से आज जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का इनकम टैक्स बकाया है व्यापारियों के पास टैक्स के रूप में, वह अगर देखा जाय और वसूल किया जाय तो जितना रुपया हमको अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजन को चलाने के लिये चाहिये वह उससे अधिक ही होगा। हो सकता है कि इस संशोधन के बाद आपके बिक्री कर अधिकारी भी अपने काम में लापरवाह हो जायं। हर साल असेसमेंट की आवश्यकता वह न समझें और व्यापारियों को कहें कि यदि तुम को अपना लाइसेंस रिन्यू कराना है अथवा नया लाइसेंस लेना है तो इतना रुपया सरकारी खजाने में जमा कर दो तब तुमको लाइसेंस मिलेगा। तो इस तरह से बिक्री-कर अधिकारियों के सामने एक नयी चीज आ जायगी और वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जायंगे।

श्री अधिष्ठाता—अब हम उठते हैं और आप अपना भाषण अगले दिन जारी रखेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
५ सितम्बर, १९५७।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६४ पर)

क्रम-संख्या	जिला	तहसील	उन ग्रामों की संख्या जिनमें चकबन्दी का कार्य समाप्त हो चुका है	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
१	मुजफ्फरनगर	कैराना	१९२	
२	सुल्तानपुर	मुसाफिरखाना	२५५	
३	सहारनपुर	देवबन्द	१४६	
४	मेरठ	सरधना	७७	
५	बुलन्दशहर	सिकन्दराबाद	१६०	
६	अलीगढ़	इगलास	१७९	
७	मथुरा	सादाबाद	१९८	
८	मुरादाबाद	बिलारी	४३२	
९	बरेली	बरेली	२८३	
१०	फर्रुखाबाद	छिबरामऊ	१७१	
११	बस्ती	डोमरियागंज तथा नवगढ़ का कुछ भाग	५५५	
१२	आजमगढ़	आजमगढ़	१४६	
१३	जौनपुर	साहगंज	१०३	
१४	लखनऊ	मोहनलालगंज	८५	
१५	उन्नाव	उन्नाव	१५२	
१६	फैजाबाद	फैजाबाद	२३	
१७	हरदोई	संडीला	३१	
१८	आगरा	खेरागढ़	२८	
१९	इलाहाबाद	सोरांव	४२	
२०	बदायूं	बिसौली	७१	
२१	बिजनौर	बिजनौर	८४	
२२	गोरखपुर	सदर	११	
२३	गाजीपुर	सैदपुर	४७	
२४	इटावा	भरथना व औरय्या	२३	
२५	फतेहपुर	फतेहपुर	९	
		योग	३,५०३	

अवर सचिवालय संसद

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न ८५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७३ पर)

मंगई, वैसो, भैंसही, और टोंस की बाढ़ से प्रभावित ग्रामों की सूची

(१) वैसो नदी के किनारे के ग्राम—

१—सराय गोकुल
२—माधो टांडा
३—देव कठिया
४—कवल जाखिनियां
५—हरदासपुर
६—फौलादपुर
७—सकुमपुर
८—हुरमुजपुर
९—तूलापुर
१०—कैमौली
११—पलनत्री
१२—कुंडिला
१३—बादशाहपुर
१४—रूहीपुर
१५—शिकारपुर
१६—मझौली
१७—केटला
१८—खतीलपुर
१९—गरदापुर
२०—रामपुर जीवन
२१—बोझवां
२२—कछुवा
२३—तालगांव
२४—जोलहटा
२५—अंडीला
२६—रसूलपुर
२७—कादीपुर
२८—विद्रावन
२९—उमरपुर
३०—निमाव
३१—भठिमा बलुआखास
३२—रायपुर
३३—घावा
३४—घटारो
३५—याकूबपुर
३६—तुखीपुर
३७—बोसिया
३८—भवंरी
३९—कुवरा सराय
४०—मनिहारी
४१—गोलवापुर
४२—चक सफिया
४३—हथिया राम
४४—दिलावलपुर
४५—भिखारीपुर
४६—डोरा
४७—कूसा
४८—पकड़ी
४९—फरीदपुर
५०—वरवां कलां
५१—चकेरी
५२—खतावपुर
५३—कनेरी
५४—कमीरपुर
५५—मोहब्बतपुर
५६—आसपुर
५७—मेहरानीपुर
५८—पिपनार
५९—चकफरीद
६०—अती का पुरा
६१—मुसुकपुर
६२—ककरही
६३—गुरैनी
६४—खजुरा
६५—चौरही
६६—सराम सदका
६७—परैवा
६८—फरीद चक
६९—गौरी
७०—गौसपुर

(२) मंगई नदी के किनारे के ग्राम—

१—घन चक
२—पलियामठिया खास
३—सिलाइच
४—अदजपुर
५—सलेमपुर
६—सुखपुरा
७—गोठिया
८—भिखारी
९—वालू
१०—वरमथान
११—मिठापारा
१२—तिनहिया

१३---महमूदपुर
१४---जंडीकलां
१५---कंलपा
१६---सरानकातेरा
१७---मंझनपुर
१८---छपरी
१९---नसीरपुर
२०---रामसिंघपुर
२१---टोडरपुर खास
२२---रेवरिया
२३---मनारपुर
२४---केसरपुर
२५---मुकरीबरेजपुर खास
२६---जकरौली
२७---सझानपुर
२८---शाहपुर
२९---चौथी
३०---अखताबाद
३१---सोहवतिया
३२---सलाईपुर
३३---मलिकपुरा
३४---सुजनीपुर
३५---कबीरपुर
३६---मोहब्बतपुर
३७---चकमलूक
३८---खरगपुर
३९---माधोपुर मिजौली
४०---त्रिलोकपुर
४१---बनतरा
४२---मस्तीपुर
४३---भदेंड
४४---रामपुर
४५---अन्हुज
४६---रानीपुर

(३) टोंस नदी के किनारे के ग्राम---

१---बदिहार
२---सेमरी
३---पान पट्टी
४---रंगा
५---बहादुरगंज
६---चकडोहा
७---फतेह सराय
८---गोशलपुर
९---कुरहर
१०---मुहम्मदपुर कुतुम
११---सहदेवरा खास
१२---सदकापुर
१३---रामगढ़
१४---गरार
१५---सरवत
१६---बनियापुर
१७---पांडेपुर
१८---पखनपुरा
१९---बढ़ौपतिया
२०---अलीमिल्वा
२१---पालिगरा
२२---बंकापुर
२३---बीबीपुर
२४---डिहवा
२५---हरदत्तपुर
२६---नसीरपुर
२७---मंगरौली
२८---असावर
२९---सेवरी
३०---सिधागर
३१---कूडीपुर
३२---खताहपुर
३३---फेफरा
३४---बोगना
३५---राजापुर
३६---दुर्गाथान
३७---महसीबशासपुर
३८---देवली
३९---विरूखही
४०---महेद
४१---कादीपुर
४२---मेख
४३---मिर्जापुर
४४---बूलाडीह
४५---खतावपुर
४६---शेखनपुर
४७---शेख अहमदपुर
४८---उपदही
४९---महंगवा
५०---हसनपुर गोरी
५१---गाशन्दपुर
५२---नसीपुर
५३---नकवतपुर
५४---वंसवारी
५५---करामपुर

(४) भैंसही नदी के किनारे के ग्राम---

१---वसवारी
२---गहलीवसारकपुर
३---मिभाना

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७४ पर)

गोरखपुर नियोजन समिति को सन् १९५५–५६ व १९५६–५७ में प्रदेशीय सरकार द्वारा मिलने वाले धन तथा उसके व्यय की सूची

मदें	वर्ष					
	१९५५–५६			१९५६–५७		
	स्वीकृत धनराशि	३० जून, १९५७ तक होने वाले व्यय	१ जुलाई, १९५७ तक न खर्च हुआ धन	स्वीकृत धनराशि	३० जून, १९५७ तक होने वाले व्यय	१ जुलाई, १९५७ तक न खर्च हुआ धन
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१—स्वावलम्बन अनुदान	६०,०००	४३,१९४	१६,८०६	३४,४५०	..	३४,४५०
२—विज्ञापन तथा समाचार-पत्र अनुदान	९००	९००	..	..	..	..
३—घरों के बनाने के लिये मुख्य मंत्री का फन्ड ..	१५,०००	..	१५,०००	..	..	..
४—फिजिकल कल्चर ग्रान्ट	१,०००	१,०००	..	२,९००	१,७१८–११	१,१८१–५
५—हायर सेकेंडरी स्कूलों के सुधार आदि के लिये अनुदान..	२०,१००	२०,१००	..	..	..	..
६—हरिजनों के घरों के लिये अनुदान	९,१००	..	९,१००	..	..	..
७—हरिजनों के घरों के सुधार आदि के लिये अनुदान ..	१,१००	८५०	२५०	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

८—हरिजनों द्वारा घरेलू उद्योग प्रारम्भ करने के लिये अनुदान..	११,९००	५,६००	६,३००	..	..	..
९—देहातों में हरिजनों के लिये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का अनुदान	१५,०००	१०,१७४–८	४,८२५–८	५,०००	..	५,०००
१०—बाढ़ द्वारा हरिजनों के गिरे हुए घरों के लिये अनुदान ..	१,६००	१,१८०	४२०	..	..	..
११—जिले के ८ स्कूलों के लिये मन्त्रियों द्वारा दिये गये अनुदान	१०,०००	१०,०००	..	..	..	..
१२—१० कूओं और १०० हाथ पम्पों को बाढ़ के इलाकों में लगाने के लिये मंत्रियों द्वारा दिया गया दान ..	२०,०००	१२,७८०	७,२२०	..	..	..
१३—हुमायूंपुर में हरिजनों की कलोनी के लिये अनुदान ..	७,५००	६,५५०	९५०	..	..	..
१४—नवीन टेक्निकल ट्रेनिंग सेन्टर के बढ़ाने के लिए स्थान..	४५,०००	४५,०००	..	..	..	..
१५—हरिजन विद्यापीठ गोरखपुर द्वारा होने वाली हरिजन कांफ्रेन्स के लिये अनुदान	१,५००	१,५००	..	..	..	..
१६—राजकीय टेक्निकल ट्रेनिंग सेन्टर गोरखपुर में बिजली की फिटिंग के लिये अनुदान	..	..	..	१२,६२५	११,६९०	९३५
१७—हरिजनों, पिछड़ी जातियों तथा भूतपूर्व जरायम पेशा जातों के घरों के बनाने तथा मरम्मत के लिये अनुदान..	..	..	..	३५,०००	३३,३००	१,७००
१८—मुर्गी व अंडे के धंधे के लिये अनुदान	..	..	..	१,०००	..	१,०००
योग ..	२,१९,७००	१,५८,८२८–८	६०,८७१–८	९०,९७५	४६,७०८–११	४४,२६६–५

गोरखपुर नियोजन समिति को सन् १९५५–५६ तथा १९५६–५७ में केन्द्रीय सरकार द्वारा मिलने वाले धन तथा उस के व्यय की सूची

मदें	वर्ष १९५५–५६			वर्ष १९५६–५७		
	स्वीकृत धनराशि	३० जून, १९५७ तक होने वाला व्यय	१ जुलाई, १९५७ तक न खर्च हुआ धन	स्वीकृत धनराशि	३० जून, १९५७ तक होने वाला व्यय	१ जुलाई, १९५७ तक न खर्च हुआ धन
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१—स्थानीय विकास अनुदान	१,८१,५१४	१,५३,६१६	२७,८९८	३,६६,०००	३७,१३५	३,२८,८६५
२—जिलों में छूतछात दूर करने के लिये अनुदान ..	६,०००	५१३–१५	५,४८६–१	..	..	..
३—भूतपूर्व जरायमपेशा जातों के कुएं को बनाने और उनकी मरम्मत के लिये अनुदान	५००	..	५००	..	..	..
४—भूतपूर्व जरायम पेशा जातों के मकानों के बनाने के लिये धनराशि	१,०००	४३०	५७०	..	..	..
५—भूतपूर्व जरायम पेशा जातों, हरिजनों तथा पिछड़ी हुई जातों को कृषि निर्माण के लिये अनुदान ..	..	..	..	१०,०००	..	१०,०००
योग ..	१,८९,०१४	१,५४,५५९–१५	३४,४५४–१	३,७६,०००	३७,१३५	३,३८,८६५

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १४४ एल० ए०—१९५७—७९६ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा